खण्ड-314, अंक-5
गुरूवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1896
(20 मार्च, 1975 ई0)

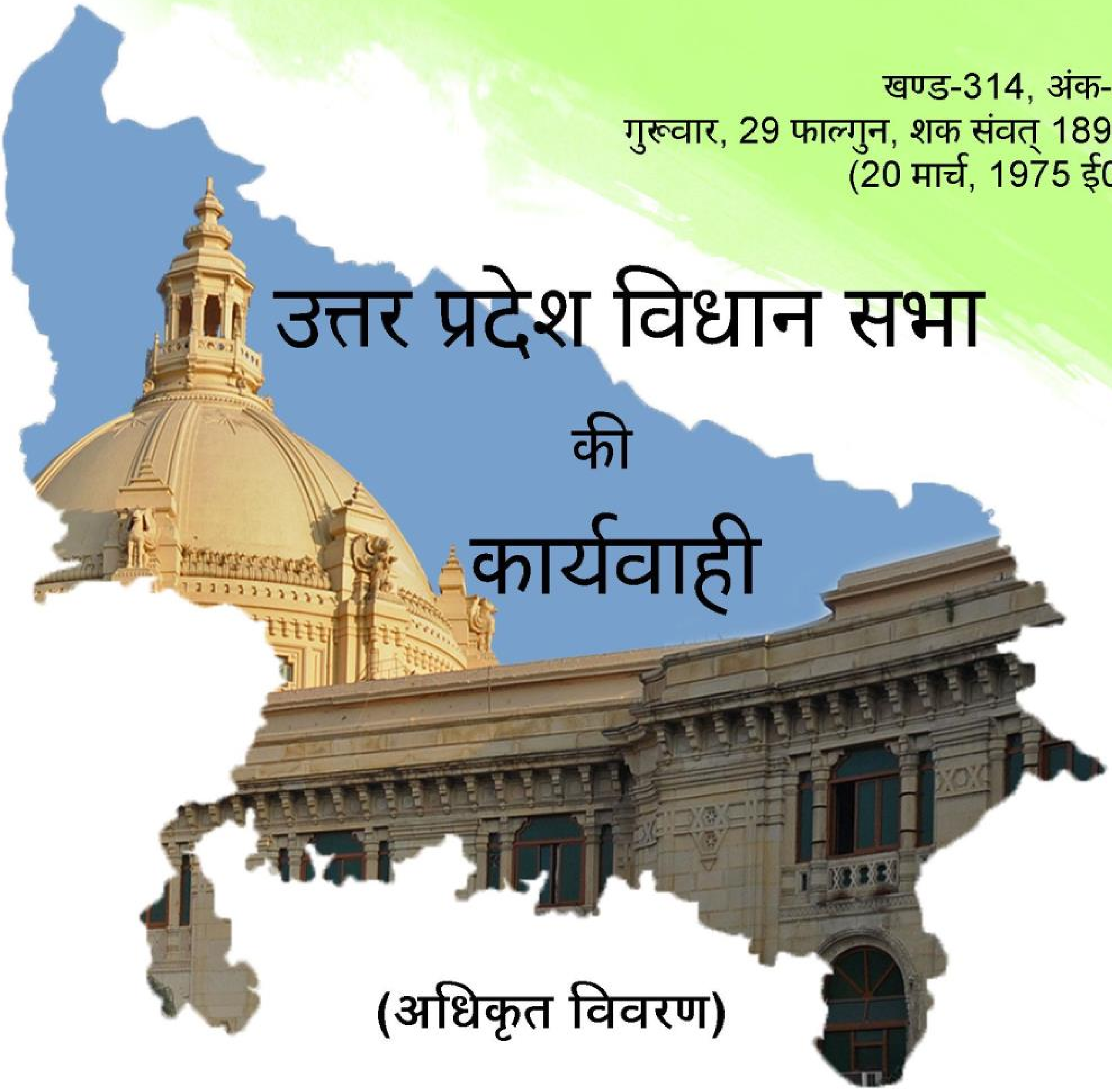

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २० मार्च, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५७

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीद्दीन, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री

गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बाहदुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्या लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह " जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवा ी, श्री
रजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन् प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामग ीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन ;श्री (जिला बस्ती)
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री

लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकु हमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमा ी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमा ी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहुउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुन्दर लाल कु ील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्रसिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २० मार्च, १९७५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले के फूलबाग में नेताजी, सुभाष चन्द्र बोस के प्रकट होने का समाचार

**१—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर में दिनांक २३ जनवरी, १९७५ को फूलबाग के मैदान में नेता जी, सुभाष चन्द्र बोस के प्रकट होने का प्रचार जय गुरुदेव नामक व्यक्ति के अनुयायियों ने परचों व लाउड स्पीकर द्वारा किया था ? इससे लाखों लोग नेता जी के दर्शनार्थ ठगे गये थे ? नेता जी के सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्ट के होते हुये प्रचार का अवसर दिया गया तथा जय गुरूदेव नामक परपन्ची द्वारा अपने ही को नेता बताने को सहन किया जाता रहा और उसी जय गुरु देव को गिरफ्तार करने के बजाय उसे सम्मान पूर्वक जिलाधिकारियों ने विदा किया ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

दिनांक २३ जनवरी, १९७५ को कानपुर के फूलबाग मैदान में नेता जी, सुभाष चन्द्र बोस के प्रकट होने का प्रचार सुभाष क्रान्ति वाहिनी नामक संस्था द्वारा किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा इस भ्रामक प्रचार का खन्डन समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया था। प्राप्त सूचनानुसार फूलबाग मैदान में करीब चालीस हजार लोग एकत्र हुए। जय गुरूदेव का भाषण प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद सभा में गड़बड़ी मची और सभा स्थल में जूते तथा ईंटें आदि फेंकी जाने लगीं तो जय गुरुदेव को सम्भावित खतरे को देखकर सभा स्थल से निकल जाने दिया गया। इस घटना से सम्बन्धित मामले की तफतीश के दौरान जय गुरुदेव को दिनांक १७ मार्च, १९७५ को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष, यह जो जवाब आया है, यह मैं आपसे निवेदन कर दूं कि बिल्कुल फाल्स है, बिल्कुल गलत जवाब है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर दूं कि गुरुदेव से सरकार की सांठगांठ है। माननीय जय प्रकाश के आन्दोलन को धार्मिक भावनाओं के द्वारा दबाने के लिये मिली जुली साजिश है, जिसे आप हमारे प्रश्नों से स्पष्ट पायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से क्या इस तरह की कोई अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, कि इस दुनिया में अब नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जिन्दा नहीं हैं ? अगर इस तरह की रिपोर्ट सरकार की तरफ से प्रकाशित हो चुकी है, और सरकार इसमें बिल्कुल निश्चित है, तो यह जानना चाहूंगा कि यह जानते हुए कि सुभाष वाहिनी ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के प्रकट होने का प्रचार किया, तो ऐसी स्थिति में उस सभा को किस तरह से होने दिया गया, किसने पर्चा बांटा, किसने प्रचार किया ? उन लोगों को सभा होने से पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो आक्षेप का अंश है, वह प्रश्न का अंश नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, यह मैं अपने प्रश्नों से प्रमाणित कर दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह सही है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार दुर्भाग्य से नेता जी सुभाष चन्द्र बोस अब जीवित नहीं हैं, और इस तथ्य का प्रचार और प्रसार विभिन्न माध्यमों से यदा कदा होता रहा है और सार्वजनिक रूप से जनसाधारण को भी यह तथ्य मालूम है। जिला प्रशासन द्वारा भी जब इस प्रकार का प्रचार वहां सुभाष क्रान्ति वाहिनी ने किया कि "चलो चलें फूलबाग प्रांगण में ७८ वां जन्मोत्सव मनाने" तो २३ जनवरी, १९७५ को अखिल भारतीय आध्यात्मिक सुभाष क्रान्ति वाहिनी नामक संगठन, जिसके मंत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे थे, उनके द्वारा यह घोषणा की गई और ७८ वें जन्म महोत्सव को मनाने की बात कही गई। इस पर्चे में जय गुरू देव नामधारी व्यक्ति का नाम छापा गया और इस पर्चे में भारत सरकार और श्रीमती इन्दिरा गांधी से कुछ प्रश्न पूछे गये, आदि-आदि। मैं इस सारे विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने २१ जनवरी, १९७५ को दैनिक जागरण में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की :

> "इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्री राम रतन राम ने कहा कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के तेइस जनवरी जन्म दिवस के अवसर पर फूलबाग में प्रकट होने की अफवाह फैली हुई है। इस सम्बन्ध में जनता को सूचित किया जाता है कि उनके प्रकट होने का भ्रामक प्रचार है। उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त जांच समितियों द्वारा जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, अतः उनके प्रकट होने की बात मिथ्या एवम् भ्रामक है।"

दैनिक विश्वमित्र में भी २१ जनवरी, १९७५ को जिला प्रशासन द्वारा "नेताजी के प्रकट होने की बात भ्रामक" नामक शीर्षक में इसका खंडन किया गया है। "जिला प्रशासन ने २३ जनवरी, १९७५ को नेता जी जयन्ती के अवसर पर फूलबाग में सुभाष चन्द्र बोस के प्रकट होने की आफवाह को भ्रामक बताते हुये कहा है कि सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न जांच समितियों की रिपोर्ट के अनुसार सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। अतः उनके प्रकट होने की बात मिथ्या है।" इसी सम्बन्ध में श्री समरगुहा का स्टेटमेंट भी प्रकाशित हुआ है जो दैनिक जागरण दिनांक २३ जनवरी, १९७५ में है। यह अखबार सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। इसमें उन्होंने कहा है, "समाजवादी नेता संसद सदस्य, समरगुहा ने आज यहां कहा कि "नेता जी कहां हैं इसके बारे में प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी मुझसे या अन्य किसी व्यक्ति से अधिक जानती हैं"। पत्रकारों से वार्ता करते हुये उन्होंने इन खबरों को "पूर्णतः छूठ बताया कि नेता जी कल कानपुर की एक सभा में प्रकट होंगे।" साथ ही जनता को आगाह किया कि कुछ लोग और कुछ संगठन नेता जी के नाम पर धन इकट्ठा कर रहे हैं। श्रीमन्, इन सब प्रकाशनों और प्रचारों के बावजूद भी और समय-समय पर समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में जानकारी कराने के बाद भी नेता जी के प्रति जनता में श्रद्धा है, और नेता जी के जयन्ती के अवसर पर शायद प्रकट हों, इस सम्बन्ध में वहां पर लोग इकट्ठे हो गये। किसी को भी किसी प्रकार का संगठन बनाने का अधिकार है और सुभाष क्रान्ति वाहिनी के संगठन ने २३ जनवरी को सुभाष जयन्ती मनाने के नाम पर उन्होंने वहां जनता को एकत्र किया। अगर उनको इजाजत नहीं दी जाती सरकार की ओर से तो यह कहा जाता कि यह अप्रजातांत्रिक कार्य है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, कि जिला प्रशासन द्वारा इस भ्रामक प्रचार का खंडन समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया था। मान्यवर, यह एक बहुत अहम बात है। जय गुरुदेव के फालोअर केवल अब कानपुर नगरी में ही नहीं हैं बल्कि भारत वर्ष में हर जगह हैं। जब सरकार के सामने यह बात आ गई थी, तो क्या कानपुर के जिला मैजिस्ट्रेट ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ? और इसका पूरा प्रचार प्रदेश में किया जाना चाहिये ? बल्कि समरगुहा साहब के स्टेटमेंट के बारे में पर्चा बांटा गया है, और उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि सुभाषचन्द्र बोस २३ जनवरी को आ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में पब्लिक को रोकने के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये और राज्य सरकार को यह सूचना कब मिली कि यह भ्रामक प्रचार हो रहा है ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस भ्रामक प्रचार का ेडियो से तथा समाचार-पत्रों के जरिये खंडन क्यों नहीं कराया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रादेशिक सरकार को प्रान्त की जनता की सद्बुद्धि तथा जानकारी पर काफी भरोसा है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

डेढ़ लाख लोग वहां गये। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई ४२० का कार्य करे तो उसे फौरन पकड़े। कोई भी आदमी अगर यह कह दे कि पंडित जवाहर लाल नेहरू पैदा हो गये हैं, तो सरकार उसके खिलाफ कुछ करेगी नहीं ? जो लोग वहां टिकट ले कर गये उनका पैसा कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें तो उसका जवाब दिया जाय। लेकिन इस देश में भवानी की धार एक तरह से चलती ही है।

श्री मोती लाल देहलवी—

सरकार मेरा उत्तर देने से कतरा रही है। यह सरकार एक बात में निश्चित है कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस जीवित नहीं हैं। सरकार की इस सम्बन्ध में रिपोर्ट है और जिला प्रशासन ने इसका खंडन भी किया अखबारों के द्वारा। तो इस तरह की अवैध सभा करने के लिये जैसा कि प्रशासन की नीति भी है, दफा १४४ का प्रयोग क्यों नहीं किया जब कि जिला प्रशासन दूसरी सभाओं पर दफा १४४ का प्रयोग खूब करती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नेता जी सुभाषचन्द्र बोस का ७८ वां जन्म दिवस मनाने के लिये आयोजित सभा को इजाजत दी गयी थी।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

कुछ सदस्यों को यह जानकारी है कि उस जुलूस में पुलिस का बैंड बज रहा था तो क्या सरकार ने इसकी जांच की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। मैं इसकी जांच अवश्य करा लूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह जय गुरु देव कौन हैं, और इन पर और कितने प्रपंच के मामले हैं नेता जी, सुभाष चन्द्र बोस के प्रकट कराने के सम्बन्ध में ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह गुरुदेव नाम धारी व्यक्ति कौन है, और उनका क्या पता है ?

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके माननीय सदस्य खड़े होंगे तो कुछ पूछ सकेंगे। एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा।

कोई जवाब कैसे दिया जा सकेगा। माननीय देव बहादुर सिंह ने प्रश्न किया है कि ये जय गुरुदेव कौन हैं, क्या उसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक मुझे सूचना है कि ये जय गुरुदेव नामक व्यक्ति एक साधू के वेश-भूषा में स्वश्र मंडित व्यक्ति हैं, जो कि अपने को आध्यात्मिक दृष्टि का कार्य करनेवाला, देश और प्रदेश में घूमने वाला व्यक्ति बताते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि जय गुरुदेव अपने को आध्यात्मिक व्यक्ति बताते हैं। ये गिरफ्तार भी हो गये हैं और इन पर मुकदमा भी चला होगा। क्या मंत्री जी ने इस बात की जांच करायी कि इन जय गुरुदेव नामक व्यक्ति का असली नाम क्या है, क्या पता है, इनका जरिया मास क्या है ? यदि अब तक इसकी जांच नहीं करायी है, तो क्या इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि "जय गुरुदेव नामक प्रपंची द्वारा"....। तो आप स्वयं जान सकते हैं कि क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इनका असली नाम क्या है ? कहां के रहने वाले हैं ? इसके बारे में जांच करायी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक मुझे सूचना है, वैसे इसकी पूरी जानकारी अदालत में ही हो सकती है, लेकिन मथुरा जिले में यह तुलसी बाबा के नाम से विख्यात थे और बाद में इन्होंने अपने को जय गुरुदेव के नाम से कहलाया।

श्री देव बहादुर सिंह—

किसी पार्टी से इनका सम्बन्ध है ? यदि हां, तो किस पार्टी से ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कानपुर की जनता तो इनकी धूर्तता पर मर गई लेकिन यहां एसेम्बली का समय क्यों नष्ट किया जा रहा है..... (व्यवधान)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सी० आई० ए० से भी इनका कोई सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके प्रश्न करें ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, एक मोटा सवाल है कि ये जय गुरुदेव नामक व्यक्ति २३ जनवरी को कानपुर में, उसके बाद जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती आदि जगहों पर गये और महीनों तक घूमते रहे। क्या कारण था कि सरकार ने इन्हें तभी गिरफ्तार नहीं किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसे ही उपर्युक्त अवसर मिला, उन्हें गिरफ्तार किया गया ।

(व्यवधान)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब गुरुदेव चलते हैं तो उस समय उनके साथ पचासों गाड़ियों की लंगर रहती है। उसका खर्चा कहां से आता है, कभी सरकार ने इसका पता लगाने की कोशिश की ? क्या इनका सम्बन्ध सी० आई० ए० से तो नहीं है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सका। उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह इसका पता लगा सके। यह तो केन्द्र में उठना चाहिये।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

जो जय गुरुदेव की मीटिंग पहले हुई है उनमें श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी कहा गया है। उसके कारण जितने भी इंदिरा विरोधी थे, वे जय गुरुदेव के खेमे में पहुच गये। जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने कहा कि आप पुराने एम० पी०, एम० एल० एज० को वोट मत दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, इसकी इजाजत मैं नहीं देता। इससे चुनाव का क्या मतलब है ?

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

जिन लोगों ने इस बात का प्रचार किया कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस २३ तारीख को आ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कौन-कौन से मुकदमे कायम किये और क्या उनकी जमानत करा दी गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस संबंध में ३८ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं धारा १४७,१४८, ३१६, २४७, ३३२, ४२०, १२०(बी) में ।

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)--

क्या यह सही है कि जय गुरुदेव के तमाम अनुयायी विपक्षी दल के हैं ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, इसकी इजाजत मैं नहीं देता हूं ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

सरकार की तरफ से जो जबाब मिला है वह यह है कि इस घटना से सम्बंधित मामले की तफतीश के दौरान जयगुरुदेव को १७ मार्च, ७५ को गिरफ्तार कर लिया गया है । मान्यवर, यह सर्वविदित बात है कि किसी मुकदमें की तफतीश तब होती है जब उस व्यक्ति पर मुकदमा कायम होता है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने मुकदमा कब कायम किया ?

श्री अध्यक्ष--

मुकदमा कब कायम किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह मकदमा चल रहा है कानपुर में उन्हें ४२० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

श्री अध्यक्ष--

कब किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

गिरफ्तार होने के बाद ही उसके पहले वारंट जारी हुआ ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब जय गुरु देव महाराज पकड़े गये तो उन्होंने क्या बयान दिये थे ? उनको इस बात की जानकारी थी कि सुभाष चन्द्र बोस आ रहे हैं उनका स्पष्टीकरण लिया होगा, वह क्या था ?

श्री अध्यक्ष--

जब वह पकड़े गये तो उनका क्या बयान था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जय गुरुदेव के स्पष्टीकरण की मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

होली व गुड फ्राइडे के अवसर पर राज्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की मांग

**२--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल), श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) तथा श्री राम पति (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६--२७ व २८ मार्च, १९७५ को होली व गुड फ्राइडे के मुख्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को मार्च, १९७५ का वेतन त्योहार से पहले भुगतान कर देने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं ।

ऐसा करने से राज्य की अर्थोपाय स्थिति पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उनको होली के त्योहार से पहले सारा वेतन देने में कठिनाई है, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कम वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके वेतन का २५ प्रतिशत वेतन देने का आदेश जारी करा देंगे, उनको एक चौथाई वेतन मिल जाय ?

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि चौथाई वेतन चतुर्थ श्रेणी को कर्मचारियों को दिला देंगे ?

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

नहीं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा 'नहीं' ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं आपके जरिये से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि होली का त्योहार हम लोगों का राष्ट्रीय त्योहार है और हमेशा ऐसा होता आया है, अगर वह महीने के अन्त में पड़े तो होली के पहले तनख्वाह दे देते हैं । आप देख लें । जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें एडवांस का सवाल नहीं है, बल्कि वह लोग जो हैं, १ तारीख को तनखा पायेंगे, वही मजदूरी मांग रहे हैं कि होली के पहले दे दी जाय । ५ दिन बाद देंगे तो वही ५ दिन पहले दे देने से कौन सा बड़ा माहौल प्रदेश सरकार का बिगड़ जाएगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से जाना चाहता हूं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् जी, विद्वान् सदस्य जानते हैं कि यह मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का अन्तिम महीना होता है । यह ऐसा बन पड़ा है कि होली मार्च महीने के अन्तिम सप्ताह में पड़ रही है । अब यह वित्तीय वर्ष ७४--७५ समाप्त हो रहा है और पहली अप्रैल से वित्तीय वर्ष ७५--७६ शुरू हो रहा है । यह सामान्य परम्परा है कि वेतन जिस महीने का होता है, उसके अगले महीने की पहली तारीख को दिया जाता है, यानी मार्च, ७५ का वेतन पहली अप्रैल या दूसरी अप्रैल, ७५ को दिया जायगा । यदि हम मार्च महीने के बिल का वेतन मार्च में ही बांटते हैं, तो उसका अर्थ यह होगा कि इसका बोझ वर्ष ७४--७५ के ही बजट पर पड़े और जो ७७ करोड़ २ लाख का घाटा है, ओवर ड्राफ्ट है, वह और बढ़ जाएगा और रिजर्व बैंक के प्रतिबन्ध के कारण हम उस ओवर ड्राफ्ट को और बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक महीने का २० करोड़ का बिल होता है, कर्मचारियों का....

श्री त्रिवेणी सहाय--

हमेशा मार्च में होली पड़ी है और यह कहते हैं....

श्री अध्यक्ष--

उनका जवाब समाप्त नहीं हुआ, वह अभी दे रहे हैं और आप खड़े हो गये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं कह रहा था कि मार्च मास के धन का प्राविधान उस बिल में है जो मैंने सदन में प्रस्तुत किया है। फरवरी तक का इसमें प्राविधान है, और जो बंट चुका है। इसलिये सदन की मैं आज्ञा चाहूंगा कि यह सम्भव नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी ने बजट और ३१ मार्च वाला मामला सामने रखा है। यदि इतना न करें तो आपने वोट आन एकाउन्ट ले लिया है, और उसके बारे में विनियोग जो था, उसको राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। अब अप्रैल तक का स्वीकृत है तो माननीय मंत्री जी को कौन सी कठिनाई है, इस वेतन को भुगतान करने में ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चूंकि वोट आन एकाउन्ट ले लिया, इसीलिये पहली अप्रैल को तनख्वाह बंट जाएगी, नहीं तो पहली अप्रैल को भी न मिल पाती।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने फिर एक बार सदन को गुमराह करने की बात की है। मंत्री जी देखें और बताएं जब महीने की आखिरी तारीख के दिन छुट्टी होती है, यानी ३१ को इतवार होगा तो एक दिन पहले वेतन बंट जाता है २९ तारीख को। पिछली बार देखेंगे तो मार्च के अन्तिम सप्ताह में प्रायः होली आती है और सदैव पहले भुगतान हो गया है। तो क्या इसको देखते हुए मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि इस सरकार का दिवालियापन बढ़ रहा है, इसलिये यह भुगतान करने में असमर्थ हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य गोरखपुर के रहते सदन को गुमराह कर सकूं यह सम्भव नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यह सामान्य मानी हुई वित्तीय परम्परा है। अन्य महीनों की बात दूसरी है, लेकिन वित्तीय वर्ष का अन्तिम मास होने के कारण इसमें एक विशेष स्थिति है। जो एक वित्तीय वर्ष समाप्त होता है उसमें अगले वर्ष के पहले महीने का बिल पेमेन्ट करने से एक इम्बैलेंस, एक असन्तुलन होने की सम्भावना है। फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के खण्ड (५), नियम ९७ में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें क्या होना चाहिये। मैं उनका सहयोग चाहूंगा कि मैं असमर्थ हूं कि इतना असन्तुलन कर सकूं कि २० करोड़ रुपया जो अगले महीने में प्राविधानित है, उसे दे सकूं। कर सकूं तो वित्तीय असन्तुलन का आरोप लगता जो सदन न चाहता।

श्री मधुकर दिवे (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी इस बात का पता लगाकर कि यदि पहले भी कभी ३१ मार्च के २–३ दिन पहले होली पड़ी है और उसमें पहले वेतन देने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं हुई तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार भी उसी तरह का प्राविजन करने का इन्तजाम करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

विद्वान् सदस्य की सलाह को वर्तमान परिस्थिति में मानना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से बड़ा वैधानिक प्रश्न उपस्थित हो गया है। उन्होंने बिलकुल सदन को गुमराह किया है, एकदम गलत बात कहकर। इस बार जो हमने बजट पेश

किया है, ३१ मार्च के बाद उसमें कहीं रुपया खर्च होगा। जिसकी स्वीकृति आदरणीय सदन ने दिया है, ३१ मार्च, १९७५ तक का खर्च बजट में दे दिया है। उसी ३१ मार्च तक की तनख्वाह कर्मचारीगण मांगते हैं। दूसरे, जिस चुनाव घोषणा-पत्र पर माननीय तिवारी जी और मैं भी चुन कर आया हूं, इसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करूंगा, उसमें कमजोर वर्ग की सहायता करने की आपने वकालत की है, वादा किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस कमजोर वर्ग की सहायता की तहत जो कायदे कानून दकियानूसी, हजारों वर्ष के सड़े गले नियम चले आ रहे हैं, उन्हें तोड़े बगैर क्या कमजोर वर्ग की मदद कर सकते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो माननीय सदस्य, बलिया, आम तौर पर सूचित करते रहते हैं, मैं उनकी सूचना में आपकी आज्ञा से बड़ी विनम्रता से किंचित अभिवृद्धि करना चाहता हूं। जो ३१ मार्च तक सदन ने स्वीकृति दी थी, वह फरवरी तक की पे की है। और यही सिलसिला पहले से बजट में लगातार चलता चला आ रहा है। पिछले महीने की तनख्वाह अगले महीने की पहली तारीख को दी जाती है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह गलत है। कांस्टीट्युशन और नियम के विरुद्ध है, और गलत है। बजट ३१ मार्च, १९७५ तक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उसका अर्थ यह है कि पिछले बजट में मार्च, १९७४ से फरवरी, १९७५ के १२ महीनों का प्राविधान किया गया है। मार्च, १९७५ की तनख्वाह का प्राविधान अप्रैल, १९७५ में भुगतान के लिये किया गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

वीकर सेक्शन की मदद का जवाब कहां चला गया ? हमने एलेक्शन मैनिफेस्टो का हवाला दिया है।

श्री अध्यक्ष--

(एलेक्शन मैनिफेस्टो) चुनाव घोषणा-पत्र से मुझसे मतलब नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

(एक किताब सी दिखाते हुए) इससे सरकार का मतलब नहीं है ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले के थाना चौरी चौरा के अन्तर्गत ग्राम भगोनापुर में मारपीट की घटना

*१--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर), श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर), श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी), श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर) तथा श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)---

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना चौरी चौरा से लगभग दो फर्लांग दूरी पर स्थित दो इंटर कालेजों (पुंडेरा बाजार) के बहुत से छात्रों की पुलिस द्वारा पिटाई

दिनांक ८ फरवरी, १९७५ को (ग्राम भगौनापुर) की किसी घटना को लेकर की गयी और छात्रों के घरों की सम्पत्ति कुर्क करते हुये उनके अभिभावकों, जननेताओं एवं छात्र नेताओं को व्यापक रूप से जेल में बन्द किया जा रहा है ? यदि हां, तो घटना क्या है और क्या मुख्य मंत्री इस दिशा में तत्काल हस्तक्षेप करके उचित कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ९–२–७५ को प्रश्न में उल्लिखित कालेजों के विद्यार्थी पुलिस द्वारा नहीं पीटे गए ।

दिनांक ८–२–७५ को जनक सिंह नामक छात्र ने थाना चौरीचौरा में श्री राम लखन तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध घेरने, मारने, पीटने और पकड़ कर ले जाने की लिखित सूचना दी। इसके आधार पर धारा १४७/१४८/३४२/३२३/ भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया। उसी दिन लगभग ढाई घन्टे बाद श्री राम लखन के पिता श्री अम्बिका ने २१ नामजद तथा ५०–६० कालेज के लड़कों के विरुद्ध मारने, पीटने, घर में घुस कर सामान निकाल लेने व घरों में आग लगाने आदि की लिखित सूचना दी जिसके आधार पर धारा ४३५/४३६/३९५/३९७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया।

श्री जनक सिंह की रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमें के एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। शेष ४ नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। श्री अम्बिका की रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमें में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किये गए। दस फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप उनमें से ७ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

यह कहना सही नहीं है कि किसी अभिभावक या स्थानीय नेता को जेल भेजा गया अथवा छात्र नेताओं को व्यापक रूप से जेल में बन्द किया जा रहा है।

उपरोक्त दोनों मुकदमों की विवेचना के बाद उनमें क्रमशः ५ अभियुक्तों तथा १६ अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक २४-२-७५ को आरोप पत्र भेजा गया। दोनों मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, ऐसा है कि ८ फरवरी को जब घटना घटी तो उससे पूरे जिले के लोग प्रभावित हुये थे। जनकसिंह की मुंडेरा बाजार में इतनी पिटाई हुई थी कि वह अर्द्धमूर्छित हो गया था और वह विद्यालय ले जाया गया। चौरी चौरा के पुलिस थाने को खबर की गई। सारे लड़के मांग कर रहे थे कि उसको इतना क्यों पीटा गया ? लेकिन चौरीचौरा थाने से थानेदार की बात तो अलग कोई सिपाही तक नहीं आया, तो लड़के अनियंत्रित हो गये। दरोगा पहले से ही लड़कों से चिढ़ा हुआ है। इसी सदन के माननीय सदस्य अवधेश कुमार जी जांच के लिये गयेथे, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे, कि लिखित रिपोर्ट थाने में देने पर भी पुलिस नहीं आई, जिसके फलस्वरूप असमाजिक तत्वों ने गांव के २/४ घरों को फूंक दिया और दरोगा का स्थानान्तरण करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन, माननीय सदस्य अवगत हैं कि झगड़े की शुरुआत मछली मारने के प्रश्न से लेकर हुई। अम्बिका ने मछली मारने के लिये नीलामी ली थी। जब वह मछली मारने गया, तो उस गड़ी में रामलखन मछली मार रहे थे, तो जगदीश और नवलसिंह ने कहा कि हमें मछली मुफ्त दो क्योंकि यह मछली इसी गांव की हैं। इस पर इसने कहा कि हम मुफ्त मछली कहां तक खिला सकते हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। ८—२—७५ को झगड़ा हुआ और जनकसिंह से झगड़ा हुआ। उसके चोटें आई। प्रधानाचार्य ने समझाया कि आप लोग इस झगड़े में न पड़ें। लेकिन छात्र न माने और भगवानपुर पहुंचे। वहां मारपीट हुई। दोनों तरफ से रिपोर्ट लिखाई गई और अभियुक्त नामजद हुये। अगर माननीय सदस्य अतिरिक्त तथ्य देना चाहें तो मुझे दें दें। मैं उनका आभारी होऊंगा और उनकी जांच करा लूंगा।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इन्टर कालेज, मुंडेरा बाजार में पार्टी बन्दी बनाकर चोरी चौरा के थानेदार छात्रों को परेशान कर रहे हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इस स्कूल का नाम पहले महाजन इन्टर कालेज था अब गंगा स्मारक इन्टर कालेज कर दिया गया है। लोगों के विरोध करने पर शहीद इन्टर कालेज नाम कर दिया गया। दरोगा ने बुरी तरह से दबाया था। मैं कहना चाहता हूं कि इसी भावना से.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो मंत्री जी ने कहा कि आप तथ्य उनके पास भेज दें। वह जांच करा लेंगे। इतना समय नहीं है। एक ही सवाल में दस मिनट हो गये।

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, प्रधानाचार्य जी ने इस घटना के पूर्व पुलिस को सूचना दी कि विद्यालय के कर्मचारी को पकड़ ले जाने के कारण उत्तेजित हो रहे हैं और वहां पर पुलिस को भेजकर स्थिति को नियंत्रित करने का आदेश हुआ था, परन्तु वहां पर फिर भी पुलिस नहीं गई। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और रिजिम्मेदार पुलिस को दण्डित करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि यदि स्वतः वह मौके पर गये हों तो उनकी सूचना को आधार मान कर मैं जांच करा लूंगा।

गोरखपुर जिले के ग्राम भक्सा व ग्राम एकमा के दो दलों में फसल काटने के सम्बन्ध में झगड़ा।

*२—श्री शारदा प्रसाद रावत, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री राम रति बिन्द तथा श्री गिरिजा शंकर पाठक—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक १३—२—७५ को प्रातः ९ बजे के करीब गोरखपुर जनपद के सहजनवां थाना अन्तर्गत भक्सा ग्राम के समीप दो दलों में खेत की फसल के सम्बन्ध में भयंकर संघर्ष पुलिस की मौजदगी में हुआ और हथगोले और बन्दूकों का प्रयोग हुआ जिसमें

अनेक लोग घायल हुये ? क्या यह सही है कि उपरोक्त भयानक संघर्ष की संभावना की जानकारी ३ माह पूर्व जिलाधिकारी को दी जा चुकी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सचना के अनुसार दिनांक १४-२-७५ को गोरखपुर जिले के ग्राम भक्सा व ग्राम एकमा में क्रमशः प्रातः ८ व १० बजे फसल के मामले को लेकर दो दलों में झगड़ा होने, हथगोले का प्रयोग होने, एक व्यक्ति को आग्नेयास्त्र से, एक व्यक्ति को कुन्द हथियार से व तीसरे व्यक्ति को साधारण चोटें आने की दो सचनायें थाना सहजनवां व थाना पीपीगंज में प्राप्त हुईं ।

उक्त सूचनायें प्राप्त होने पर थाना सहजनवां पर धारा १४३/४४०/४२७ भारतीय दंड विधान व थाना पीपीगंज पर धारा १४७/१४८/१४९/३२३/३४२/३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दो मुकदमें दर्ज होकर विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा विवेचना की जा रही है ।

दिनांक १४-२-७५ की घटना सम्बन्धी कोई पूर्व सूचना जिलाधिकारी को प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु भूमि सम्बंधी झगड़े की आशंका को देखते हुए झगड़े वाली भूमि को धारा १४५ जाब्ता फौ० के अन्तर्गत कुर्क करने के अतिरिक्त दोनों पक्षों के ५४ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १०७/११६ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई थी और उन्हें दौरान मुकदमा शान्ति बनाए रखने के लिये जमानत मुचलके लेकर पाबन्द किया गया था । इसके अतिरिक्त परगना मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी के साथ मौके पर गये थे व थानाध्यक्ष को स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु सतर्क किया था ।

थाना सहजनवां क्षेत्र के दो व थाना पीपीगंज के तीन लाइसेंसदारों के आग्नेयास्त्र पुलिस द्वारा कब्जे म लिये गये थे व लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट दी गई थी ।

घटना के समय पुलिस उपस्थित नहीं थी बल्कि घटनास्थल से लगभग दो मील दूर ग्राम भक्सा में सशस्त्र गारद के रूप में पहले से ही तैनात थी । झगड़े की सूचना पाते ही २ सिपाही थाना पीपीगंज में सूचना देने गये व दो ने घटनास्थल पर जाकर भीषण दुर्घटना होने से रोका । इस घटना में बंदूक का प्रयोग नहीं हुआ ।

विवादग्रस्त भूमि पर शांति व्यवस्था हेतु राप्ती नदी के दोनों किनारों पर जहां वह स्थित है, गारद लगा दी गई है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दिनांक १२-१२-७४ को लिखित रिपोर्ट के जरिये से एस० ओ०, सहजनवां को पुलिस कप्तान और एस० डी० एम० के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि वहां पर जो हजारों रुपये की फसल काटी जा रही है, उसको रोका जाय ? क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पुलिस कप्तान, गोरखपुर और एस० डी० एम० को लिखित रिपोर्ट दिनांक १२-१२-७४ को दी गई थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, इसी मुकदमें से सम्बंधित जो १४५ की कुर्की हुई है, जो सवाल किया कि जिलाधिकारी को सूचना दी गई, मान्यवर, १४-२-७५ को यह वाक्या हो रहा है और १२-१२-७४ को मैं भी उन किसानों के साथ था और जिलाधिकारी के पास गया था, यदि आप इजाजत दें तो एस० ओ०, सहजनवां की कच्ची कापी पढ़ दूं।

"एस० डी० एम० महोदय, सदर, गोरखपुर--

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, गोरखपुर, दिनांक १२-१२-७४

निवेदन है कि भक्सा के किसानों के सम्बन्ध में मने एक आख्या प्रस्तुत की थी और इसमें यह स्पष्ट किया था कि राप्ती के गहरी धारा के पश्चिम स्थिति भूमि पर जिस पर भक्सा से वगैर किसी अवरोध के आया जा सकता है, भक्सा के किसानों की है, उसका कुछ भाग श्रीमान के आदेश से धारा १४६ के अन्तर्गत कुर्क हो चुका है।

परन्तु मुझे ऐसी सूचना मिली है तथा भक्सा के किसान आज जिलाधीश महोदय के यहां समूह बनाकर आये और पत्रक दिये हैं कि तुर्कबलिया, एकमा, बेलघाट, अमसार थाना पीपीगंज के निवासी अवैध रूप से घाट के अलावा नावों द्वारा सशस्त्र लाठी, भाला से लैश होकर आते हैं और हरी खेती काट कर ले जा रहे हैं। भक्सा से डेढ़ किलोमीटर दूर होने पर वहां के लोगों के आते जाते ये लोग पार हो जाते हैं। फसल की नुकसानी देख कर पत्थर भी रो देता है।

आपको सूचित कर रहा हूं कि भक्सा के किसानों ने हारकर अब यह तय किया है कि जीविका नहीं तो जीव नहीं और इसके फलस्वरूप वहां की स्थिति भीषण हो सकती है।

मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से इस क्षेत्र में एक गारद नियुक्त करने की प्रार्थना किया है।

आप से निवेदन है कि आप तत्काल स्वयं इस बरबादी का निरीक्षण करने की कृपा करें और घटना-स्थल पर नियम व्यवस्था को चुनौती देने वालों के विरुद्ध प्रभावित कार्यवाही की कृपा करें।

अवैध रूप से घाटों के अलावा नाव चला कर इस पर आकर फसल काटने वालों को कड़ी चेतावनी दी जाय और नावों को अवैध चलने से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अन्यथा यहां नरसंहार की पूरी संभावना है।"

इस रिपोर्ट के बाद भी क्या एस० डी० एम० महोदय ने उस स्थान का निरीक्षण किया या पुलिस अधीक्षक महोदय ने निरीक्षण किया अथवा नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जहां तक यह प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया कि यह दो गांवों के बीच का झगड़ा राप्ती नदी की बाढ़ से जो जमीन छूट जाती है उससे सम्बन्धित है। यह जमीन लगभग ८०० बीघा किस गांव की है, यह विवाद है। इसके सम्बन्ध में १४ नवम्बर को न्यायालय में दोनों पार्टियों के विरुद्ध १०७/११६ की कार्यवाही की गयी और इसके पहले १४५ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट ३० अगस्त, १९७४ को दी गयी थी जो मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया। लाइसेंस की जो कार्यवाही थी वह भी की गयी। १२ दिसम्बर, १९७४ को एक सशस्त्र गारद भक्सा में लगायी गयी जिसका उल्लेख मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में कर

दिया है। १४ नवम्बर को झगड़े की आशंका होने पर परगनाधिकारी आदि अधिकारी पीपीगंज गये। जहां तक १२ फरवरी की सूचना बतायी गयी है, इसकी जानकारी नहीं है, यह मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

१२ दिसम्बर की है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

१२ दिसम्बर का तो मैंने उल्लेख किया। १२ दिसम्बर से ही जो गारद वहां पर तैनात थी।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़े महत्व का है, इस पर चर्चा का मौका दें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

आप ४९ में चर्चा करा दें, हम चाहेंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, फिर जवाब देने के समय कह रहे हैं कि भक्सा में गारद मौजूद थी और जो मुकदमा पीपीगंज में कायम हुआ है। वहां पर जो दंगा हुआ है, उसमें हथगोला इस्तेमाल हुआ है। इसकी सूचना अधिकारियों को थी। हजारों एकड़ कच्ची फसल काट कर चले जाते हैं, वे लोग नाव से आते हैं, और फसल काट कर चले जाते हैं। थानाध्यक्ष ने भी कहा कि दंगा हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि भक्सा में गारद मौजूद थी और वहीं से लोग भाला, बरछी लेकर आते थे, तो गारद वहां पर किस लिए थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जो घटना राप्ती नदी के किनारे पर हुई वह २ मील पर हुई। माननीय सदस्य के पास और कोई सूचना हो तो उसे मेरे पास भेज दें मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

आप कह रहे हैं कि २ मील की दूरी पर घटना हुई है। मैं कहता हूं कि डेढ़ किलोमीटर से एक इन्च भी ज्यादा नहीं है। जो गारद वहां पर मौजूद थी उसने वहां के लोगों को रोका क्यों नहीं ? मैं चाहूंगा कि इस पर आधे घन्टे की चर्चा हो जाये और रिपोर्ट जल्दी आ जाये।

श्री मधुकर दिघे---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस जमीन का झगड़ा है उसके बारे में दफा १४५ की कार्यवाही एस० डी० एम० ने करके पीपीगंज के लोगों को कब्जा दिलाया गया ? यदि हां, तो किसके दबाव के कारण ऐसा हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह मामला तो भक्सा गांव का ही है।

श्री मधुकर दिघे---

माननीय मंत्री जी ने जमीन के बारे में कहा है। मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि झगड़ा वहां हुआ या वहां नहीं हुआ। मेरा कहना केवल यह है कि जिस थाने की जुरि-

स्डिक्शन की बात है, वह पीपीगंज की नहीं है, इसके बावजूद भी धारा १४५ के अन्तर्गत कार्यवाही करके कब्जा दिला दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह किसके जे असर किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दोनों थानों पर अलग-अलग रिपोर्ट लिखाई गई। एक रिपोर्ट थाना सहजनवां में १४ फरवरी को लिखाई गई और दूसरी थाना पीपीगंज में १० बजे लिखी गई।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जो जमीन है, वह वास्तव में सहजनवां के थाने के अन्तर्गत पड़ती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय श्री राम कृष्ण द्विवेदी, जो प्रदेश के गृह उप-मंत्री रह चुके हैं, उनके संकेत पर वहां पर हजारों आदमियों को आक्रमण करने के लिये, जिस दिन की यह घटना है, उस दिन भेजा गया, जिसके कारण यह सारी रिपोर्ट दबा दी गई है ? तो जो बात माननीय रावत जी ने सदन में कही है, क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यदि माननीय सदस्य मुझे लिख कर भेज देंगे तो मैं अवश्य ही जांच करा लूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

श्रीमन्, जब सदस्यगण यह कहते हैं तो वे कुछ जिम्मेदारी के ही साथ कहते हैं। अगर माननीय मंत्री जी हमेशा यह कहते रहें कि अगर माननीय सदस्य लिख कर भेज देंगे तो यहां पर प्रश्न करने की ही कोई जरूरत नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे माननीय सदस्यों के कथन को सही मानते हुए इसकी इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने कहा है कि जांच करा लूंगा यदि माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे। हो सकता है कि कार्यवाही के आधार पर अधूरी जांच हो जाय। तो मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य अगर लिख कर भेज दें, मैं जांच करा लूंगा।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

क्या माननीय मंत्री जी को यह भी सूचना है कि १६-११-७४ को थानाध्यक्ष, सहजनवां ने एस० डी० एम० को यह आख्या भेजी थी कि विवादास्पद भूमि थाना सहजनवां के प्रशासनिक क्षेत्र में है और सहजनवां के लोगों द्वारा ही बोई गई है और बोते वक्त कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन उनकी खड़ी फसल को थाना पीपीगंज के लोगों ने काट लिया है। थानाध्यक्ष, पीपीगंज की रिपोर्ट पर एस० डी० एम० ने दफा १४४ में कार्यवाही करके उस जमीन को कुर्क कर लिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार पीपीगंज के थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर परगना मैजिस्ट्रेट और क्षेत्रीय अधिकारी दोनों मौके पर गये और फिर दफा १४५ की कार्यवाही करके २२३ एकड़ जमीन की कुर्की की बात आई।

बुलन्दशहर जिले में अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् के कार्यालय में हमला एवं तोड़-फोड़

*३—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) तथा श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में फरवरी, १९७५ में जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं विद्युत् अभियन्ताओं में मार-पीट हो जाने के कारण पिछले एक सप्ताह में विद्युत् विभाग के कर्मचारियों ने बिजली की लाइन को काट दिया है जिससे सम्पूर्ण नगर में रात्रि में अंधेरा रहता है और कल-कारखानों का काम ठप्प पड़ गया है ? यदि हां, तो घटना क्या थी और सरकार ने जनहित में कौन सी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

प्राप्त सूचना के अनुसार १३ फरवरी, १९७५ को सायंकाल थाना कोतवाली, बुलन्दशहर में एक रिपोर्ट लिखाई गई, जिसके अनुसार अध्यक्ष, जिला परिषद् एवं अन्य लोगों ने, जिनमें क्षेत्रीय विकास क्षेत्र के प्रमुख भी थे, मिलकर अधीक्षण अभियन्ता, श्री बंसल के ऊपर उनके कार्यालय में हमला किया। वहां के अन्य व्यक्तियों को भी मारा-पीटा, फाइलें फाड़ दीं, खिड़कियों के शीशे, मेज, कुर्सियां भी तोड़ दीं। जल विद्युत् कर्मचारियों ने जिलाधीश एवं मुख्य मंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। लगभग एक सप्ताह के बाद १९-२-७५ से प्रतीक प्रतिवाद का रवैय्या अपनाया। बुलन्दशहर नगर तथा जनपद में बिजली सप्लाई बन्द कर दी जिसका ब्योरा संलग्न है।

अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् के प्रयास से कर्मचारियों ने आन्दोलन वापस ले लिया और २५ फरवरी, १९७५ को लगभग रात्रि ८.५५ पर विद्युत् पुनः चालू हो गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५५ पर)

श्री हरिकेवल—

क्या माननीय मंत्री जी, जो रिपोर्ट लिखायी गयी है उसको पढ़ कर सुनायेंगे और उस पर जो कार्यवाही हुई उसको भी बतायेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, रिपोर्ट तो थाने में है। जो उसका ब्योरा है, वह स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि किस तरीके से जिला परिषद् अध्यक्ष एक ब्लाक प्रमुख और कुछ और लोगों को ले कर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर में गये, मारा, पीटा, शीशे तोड़े, फाइलें फाड़ीं, फर्नीचर तोड़ा।

श्री अध्यक्ष—

बिजली बन्द होने का ब्योरा आपने अंग्रेजी में क्यों दिया है ? यह हिन्दी में होना चाहिये।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

जिला परिषद् के अध्यक्ष और अभियन्ता के बीच में जो संघर्ष हुआ उसमें जनता तो आती नहीं थी। फिर ७ दिन तक वहां जो बिजली की सप्लाई बन्द रही और जनता को कष्ट हुआ और एक-एक बूंद पानी के लिये जनता तरसी और एक रुपया बाल्टी पानी बिका, तो उन अधिकारियों को, जिनके कारण एक हफ्ते तक जनता कष्ट में रखी गयी, क्या सजा मिली ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

यह चीज उसके बिल्कुल विपरीत है। अगर यह बात मान भी ले कि पानी की दिक्कत रही और इंजीनियरिंग विभाग ठीक काम नहीं कर रहा था तो भी किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो जिला परिषद् के अध्यक्ष पद पर आसीन हो या ब्लाक प्रमुख हो। यह उचित बात नहीं थी और चूंकि यह कानून के खिलाफ था, इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी। बाकी जो और विभागीय कार्य में गड़बड़ी की बात है, उसमें तो जो कार्यवाही होनी होगी वह तो होगी ही।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

माननीय मंत्री जी आप कृपा कर माइक पर बोला करें। हम लोग सुन नहीं पाते हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

अच्छी बात है। आगेसे ख्याल रखूंगा।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

अभी मंत्री जी ने फरमाया कि कानून व्यवस्था चूंकि जिला परिषद् अध्यक्ष ने अपने हाथ में ले लिया था, इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। और बाकी जो वहां के कर्मचारी और अभियन्ता थे, जो मुतवातिर ८-१० दिन तक स्ट्राइक पर रहे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो क्या उनको यह अधिकार है कि वे कभी भी हड़ताल पर जा सकते हैं और जनता को परेशान कर सकते हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

इस प्रश्न को उस प्रश्न से जोड़ा नहीं जा सकता इसलिये कि एक विभाग में उस विभाग के अधिकारी जो अपने दफ्तर में बैठे कार्य कर रहे थे, उनको कोई व्यक्ति अनलाफुल गोल बना कर जाये और मारे-पीटे और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कोई चीज हो तो हमें उस प्रतिक्रिया पर ध्यान देना पड़ा और उसके बाद ही समझा बुझा कर एक हफ्ते के बाद बिजली चालू हो गयी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जिला परिषद् के अध्यक्ष सम्भवतः माननीय श्री नैपाल सिंह जी हैं, जिसके सम्बन्ध में बहुत से लोग जानते होंगे। स्वयं ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि अचानक जा कर किसी को मारना शुरू कर दें। तो आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, जो परिस्थितियां थीं वह मैंने बता दीं। निर्णय तो अदालत में होगा। जो कार्यवाही हमने की उसके बाद अब स्थिति शान्तिपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इसको सदन अदालत के निर्णय पर अब छोड़ दें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मैं मन्त्री जी यह जानना चाहता हूं कि कानून अपने हाथों में लेने वाले ज्यादा गुनाहगार होते हैं या कानून को अपने पैरों से कुचलने वाले ज्यादा गुनाहगार होते हैं। (हर्ष)

श्री अध्यक्ष--

आपने इसकी परिधि के बाहर का एक मौलिक प्रश्न कर दिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए अपने इन्जीनियरों को ठीक रखेंगे ताकि इसके बाद इसी ढंग से उन की और पिटाई न हो ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैंने स्वत: इस मामले को सी० आई० डी० को दे दिया है। वह इसकी जांच कर रहा है।

बहराइच जिले की कृषि विकास एवं उद्योग प्रदर्शनी में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी

*४--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहराइच जिला परिषद् द्वारा आयोजित कृषि विकास एवं उद्योग प्रदर्शनी के विरोध में दिनांक ७ फरवरी, १९७५ से जनता ने ही आन्दोलन छेड़ दिया है और अब तक ७३ व्यक्ति ३९५, ३९६, १५१ व ७ क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट में बन्द किए गए हैं ? जिससे जनता में जोश तथा उत्तेजना व्याप्त है तथा पूरे जिले में शान्ति व्यवस्था भंग हो गई है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को किन-किन दफाओं में बन्द किया गया और क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

जिला परिषद्, बहराइच द्वारा दिनांक ७ फरवरी, १९७५ से २२ फरवरी, १९७५ तक आयोजित की गयी 'कृषि विकास एवं उद्योग प्रदर्शनी' में भाग लेने वालों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती रोकने एवं मारने की धमकी देने तथा प्रदर्शनी में गैर-कानूनी ढंग से व्यवधान उत्पन्न करने के अभियोग में धारा ७ क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत ७९ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय दण्ड विधान की धारा ३९५/३९६ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अन्तर्गत कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

इन गिरफ्तारियों के कारण सामान्य रूप के जनता में कोई रोष व्याप्त रहने की सूचना नहीं है और न जिले में साधारणत: शान्ति व्यवस्था भंग हुई है।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम, तारीख गिरफ्तारी एवं तारीख जमानत के विवरणों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५६-५५९ पर)

डाला सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर के मजदूरों और अधिशासी अभियन्ता के बीच मारपीट

*५--श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़), श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १८ फरवरी, १९७५ को डाला सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर के मजदूरों के एक शान्ति पूर्ण जलूस पर डाला सीमेन्ट फैक्टरी

नोट--[नियम २९(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

के अधिशासी अभियन्ता, श्री आर० बी० सिह०, श्री विनोद कुमार और उनके गुन्डों ने पिस्तौल से गोली चलाई तथा लाठी तथा बल्लम से प्रहार किया जिससे जनार्दन पान्डे का पैर तोड़ दिया गया तथा अंगूठा काट लिया तथा चार मजदूर गम्भीर रूप से घायल होकर शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में बेड़ियों के साथ पुलिस के पहरे में पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त अधिशासी अभियन्ता ने थाना डाला के पुलिस को मिला कर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक १८ फरवरी, १९७५ को सायंकाल डाला सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर के मजदूरों और फैक्टरी के अधिशासी अभियन्ता, श्री आर० बी० सिंह एवं उनके समर्थकों के बीच उस समय मारपीट हो गयी और गोली चली जब कतिपय मजदूरों का एक जलूस नारे लगाता हुआ श्री आर० बी० सिंह के मकान के बाहरी फाटक को तोड़ कर भीतर घुस गया और मकान पर पथराव करने लगा। मारपीट में दोनों पक्षों के कुछ व्यक्तियों को चोटें आईं। इस घटना के बारे में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है और दोनों पक्षों के १५ व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो अब जमानत पर छोड़ दिये गए हैं। घटना के बारे में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। ऐसा मानने का फिलहाल कोई आधार नहीं है कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा पुलिस को मिला कर झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*१—श्री त्रिवेणी सहाय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गाजियाबाद जिला मेरठ से प्रकाशित समाचार पत्रों को दिये गये सरकारी विज्ञापन

*२—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद, जिला मेरठ से प्रकाशित किस-किस समाचार-पत्र को वर्ष १९७२-७३, १९७३-७४ में (दिनांक २५ दिसम्बर, १९७४ तक) राज्य सरकार ने कितने-कितने रुपये के विज्ञापन कब-कब दिए और विज्ञापन देने की तिथि को उनकी कुल ग्राहक संख्या कितनी-कितनी थी ? क्या यह सच है कि गाजियाबाद (मेरठ) से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार-पत्र को दिनांक २५ दिसम्बर, १९७४ तक कोई भी राजकीय विज्ञापन नहीं दिया गया है जब कि उक्त समाचार-पत्र गत लगभग १० वर्षों से प्रकाशित होता है तथा जिसकी ग्राहक संख्या भी लगभग दो हजार है ? यदि हां, तो क्यों ? समाचार-पत्रों को राजकीय विज्ञापन दिए जाने के आधार क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूची संलग्न है।

गाजियाबाद से गत लभभग १० वर्षों से प्रकाशित होने वाले ऐसे निम्न तीन साप्ताहिक समाचार-पत्र हैं जिन्हें कोई राजकीय विज्ञापन नहीं दिया गया है :—

(१) दर्शक,
(२) गाजियाबाद टाइम्स,
(३) हिन्ट।

"दर्शक" व "गाजियाबाद टाइम्स" की ग्राहक संख्या अनुपलब्ध है। "हिन्ट" की ग्राहक संख्या ५,५०० बताई गई है। इन तीनों साप्ताहिक पत्रों में से अभी तक किसी ने भी राजकीय विज्ञापनों की कभी मांग नहीं की।

साप्ताहिक समाचार-पत्रों को राजकीय विज्ञापन दिये जाने के निम्नलिखित आधार हैं :—

पत्र का आकार कम से कम ३८×२५ से० मी० (लम्बाई चौड़ाई) होना चाहिए, पत्र कम से कम ४ पृष्ठों का होना चाहिये, पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या कम से कम ५०० प्रतियां होनी चाहिये, तथा पत्र का प्रकाशन गत ६ मास से नियमित होना चाहिए। पत्र में ऐसे समाचार जिनसे जनता में असन्तोष तथा साम्प्रदायिकता फैलने की सम्भावना हो अथवा अश्लील, व्यक्तिगत एवं चरित्र पर आक्षेप करने वाले हों, न छपते हों।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६०—५६४ पर।)

जी० ई० सी० कम्पनी, कानपुर द्वारा राज्य विद्युत् परिषद्, बलिया को ट्रांसफार्मर की आपूर्ति

*३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् बलिया में जी० ई० सी० कम्पनी, कानपुर द्वारा कुछ ट्रान्सफार्मर सप्लाई किये गये जिनका ९० प्रतिशत भुगतान बिल संख्या ६१९९९ ए, दिनांक २३ अक्तूबर, १९७३ तथा ६१९९८-ए, दिनांक २३ अक्तूबर, १९७३ द्वारा कर दिया गया है जब कि स्टोर में ट्रान्सफारमरों की आमद दर्ज नहीं है और उल्लिखित घटना के बाद भी दुबारा जी० ई० सी०, कानपुर को ट्रान्सफारमर सप्लाई करने के लिये १९७३-७४ या वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर्डर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बिल संख्या ६१९९९-ए, तथा ६१९९८-ए, जो कि १० प्रतिशत भुगतान के सम्बन्ध में हैं, दिनांक २३ अक्तूबर, १९७४ के न होकर दिनांक २७ अक्तूबर, १९७३ के हैं। और इनका सम्बन्ध ट्रान्सफार्मरों की सप्लाई से न होकर कैपेसिटर्स की सप्लाई से है। इन कैपेसिटर्स का ९० प्रतिशत भुगतान ठेके की शर्त के अनुसार चालान प्राप्त होने पर किया गया तथा माल का अंकन भी स्टोर रजिस्टर में किया गया है।

इसके अतिरिक्त मेसर्स जी० ई० सी० द्वारा १० ट्रान्सफारमर ६३ के०वी०ए० तथा १० ट्रान्सफारमर २५ के० वी० ए० शक्ति के क्रमश: चालान संख्या ६१९२३, दिनांक २१ अक्तूबर, १९७३ एवं चालान संख्या ६१९४६, दिनांक २३ अक्तूबर, १९७३ द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण खन्ड, बलिया को सप्लाई किए गए। ये ट्रान्सफारमर रोड ट्रान्सपोर्ट द्वारा सप्लाई किए गए थे इसलिए इनका भुगतान माल प्राप्त होने के बाद एकजाई कर दिया गया। इन ट्रान्सफारमरों की स्टोर में आमद की तिथि क्रमश: २२ अक्तूबर, १९७३ एवं २९ अक्तूबर, १९७३ है तथा इनका अंकन स्टाक में नवम्बर, १९७३ में किया गया है।

अत: १९७२-७३ के बाद पुन: १९७३-७४ में मेसर्स जी० ई० सी० कम्पनी को सप्लाई आर्डर दिये गए जिनके देने में कोई आपत्ति नहीं उठती। वर्तमान वित्तीय वर्ष १९७४-७५ में जी० ई० सी० को कोई आदेश ट्रान्सफारमर की सम्पूर्ति हेतु नहीं दिया गया।

बलिया जिले में ट्रांसफार्मरों की चोरी

*४—श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद बलिया में वर्तमान रबी की बोवाई और सिंचाई के समय लगभग ८० ट्रान्सफारमर या तो चोरी चले गए या जल गए जिसके कारण लगभग २४० नलकूप बन्द रहे ? यदि हां, तो सरकार ने इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की और इन नलकूपों को पुनः चालू कराने के लिये क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

ट्रान्सफारमरों की चोरी अथवा जल जाने में कोई परिषदीय अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं पाया गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। नलकूपों को पुनः चालू कराने में विलम्ब का मुख्य कारण ट्रान्सफारमरों की उपलब्धता है जो धनाभाव के कारण समय पर उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाए। फिर भी हर सम्भव प्रयास नलकूपों को शीघ्र चालू करने के लिए किए जा रहे हैं।

[२० मार्च, १९७५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री ऊदल—

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

वाराणसी जिले में पम्पिंग सेट लगाने हेतु स्वीकृत किये गये विद्युत् कनेक्शन

*२—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में इस वर्ष पम्पिंग सेट लगाने हेतु कितने कनेक्शन स्वीकृत करके जल-विद्युत् विभाग, वाराणसी को भेजे गये हैं और स्वीकृत हुए कनेक्शनों को भी सरकार ने लाइन न देने का फैसला मई, १९७४ में कर लिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वाराणसी जिले में दिनांक २८ फरवरी, १९७५ तक ५१९ मामलों में पम्पिंग सेट लगाने हेतु कनेक्शन स्वीकृत कर के जल विद्युत् विभाग, वाराणसी को भेजे गये हैं। इनमें से ३१ कनेक्शन दे दिये गये हैं और शेष फ्री लाइन की स्कीम की समाप्ति के कारण नहीं दिए जा सके।

वर्ष १९७४-७५ में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य विद्युत् परिषद् के पास धन उपलब्ध न होने के कारण अप्रैल, १९७४ में यह निर्णय लिया गया कि आर० ई० सी० योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त दिनांक ३० अप्रैल, १९७४ तक जिन लोगों ने बी० एड० एल० फार्म जमा कर दिए हैं केवल उन्हीं लोगों को राज्य विद्युत् परिषद् की पुरानी शर्तों के अनुसार कनेक्शन दिए जाएं और शेष मामलों में भी उपभोक्ताओं को पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जायें।

बदायूं, मुरादाबाद और बरेली में बिना परमिट के वाहनों के चालान तथा उनके विवरण

*३—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बदायूं, मुरादाबाद और बरेली में, १९७४ में बिना परमिट के मिनी बसें, स्टेट कैरिजेज, टैक्सीज चलती हुयी पकड़ी गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और ऐसी मिनी बसेज, कैरिज बसें और टैक्सी के क्या नम्बर हैं और उनके कौन-कौन स्वामी हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां।

इन गाड़ियों के मालिकों आदि के विरुद्ध न्यायालयों एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष विधिवत् वाद दायर किये गये हैं।

इन मिनी बसों, स्टेज कैरेज और टैक्सियों के नम्बर और उनके स्वामियों आदि के नाम की सूची† सदन की मेज पर रख दी गई है।

अतिरिक्त जिलाधिकारी, कानपुर के कार्यालय में मार-पीट की घटना

*४—श्री बाबूलाल वर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक २७ अगस्त, १९७४ को कानपुर में अतिरिक्त जिला अधिकारी के कार्यालय में घुस कर नगर युवक कांग्रेस (सत्ता) के उपसंयोजक तथा कांग्रेस के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने गुन्डागर्दी की तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन छापामार समिति के संयोजक, श्री मोहन लाल गुप्त तथा ए० डी० एम० को भी पीटा जिसकी रिपोर्ट कोतवाली पुलिस में उसी दिन ही लिखायी गयी ? यदि हां, तो एफ० आई० आर० क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक २७ अगस्त, १९७४ को श्री मोहन लाल गुप्त द्वारा थाना कोतवाली, कानपुर, पर प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह तथा उसके अज्ञात साथियों के विरुद्ध धारा १४७/३२३ भा० दं० वि० का मुकदमा अदम—तफतीस कायम किया गया।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५६५ पर)

राज्य विद्युत् परिषद् में घाटा

*५—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश में बिजली बोर्ड को घाटा हुआ ? यदि हां, तो क्या शासन बोर्ड के इन घाटों की पूर्ति करेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में पिछले पांच वर्षों में घाटे की स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष		रुपया करोड़ों में
१९६९–७०	..	६.८६
१९७०–७१	..	१५.५२
१९७१–७२	..	८.५५
१९७२–७३	..	११.८५
१९७३–७४	..	३३.०७

बोर्ड की हानियों को शासन द्वारा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६—श्री त्रिवेणी सहाय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

मेरठ जिले के पिलखुआ में तथा कथित नन्हें नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी

*७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७१ के भारत-पाक युद्ध के समय पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुस कर आया नन्हें नामक व्यक्ति जो कि पिलखुवा में वर्ष १९७४ में पुलिस द्वारा पकड़ा गया, उसे छुड़ाने के लिए किसी विधायक द्वारा पैरवी करने की जानकारी गुप्तचर विभाग को मिली है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ? पैरवी करने वाले विधायक का नाम क्या है तथा उक्त जासूस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

वर्ष १९७१ के भारत-पाक युद्ध के समय पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुस कर आया हुआ नन्हें नामक कोई व्यक्ति वर्ष १९७४ में पिलखुवा, जिला मेरठ में पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया। अतः उसे छुड़ाने के लिए किसी विधायक द्वारा पैरवी करने एवं प्रश्न में कथित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गोंडा जिले के थाना कौड़िया के हलका नं० ४ के अन्तर्गत चोरी की घटनायें

*८—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा, थाना कोड़िया के हलका नं० ४ में माह सितम्बर, १९७४ से ३१ जनवरी, १९७५ तक कितनी चोरियां हुईं उनमें से कितनी नामजद रिपोर्ट थाने में की गईं तथा कितने लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं ? क्या यह सही है कि उपरोक्त हलके के ग्राम कटुवा नाला बोटन पुरवा में दिनांक २२ व २३ अक्तूबर की रात में कोई चोर पकड़ा गया था जिसे कुछ व्यक्तियों ने जबरन छुड़ा लिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोंडा में थाना कौड़िया के हलका नं० ४ में माह सितम्बर, १९७४ से ३१ जनवरी, १९७५ तक चोरी की १६ सूचनायें अंकित हुईं।

इनमें से ९ रिपोर्टें नामजद थीं। एक नामजद रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमें में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गये।

यह सही नहीं है कि ग्राम कटुआ नाला मजरे बूटन पुरवा में दिनांक २२/२३ अक्तूबर, १९७४ की रात में चोरी की किसी घटना में कोई चोर पकड़ा गया था और उसे कुछ व्यक्तियों ने जबरन छुड़ा लिया था।

गैर सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कालेज के अध्यापकों के वेतन का शासकीय एजेन्सी द्वारा भुगतान

*९—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध डिग्री कालेजों के अध्यापकों को सरकार द्वारा कोषागार से वेतन दिलाने की व्यवस्था लागू कर दी गई? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

जी नहीं, किन्तु शासन ने यह निर्णय लिया है कि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री तथा पोस्ट-ग्रेजुएट महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९७५ से शासकीय एजेन्सी के माध्यम से वेतन का भुगतान कराया जाय।

वाराणसी जिले के हाईडिल सिविल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन के औराई स्थित गोदाम की सीमेन्ट में मिलावट

*१०—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जिले के औराई स्थित हाइडिल विद्युत् विभाग के सब स्टेशन के अन्तर्गत स्थित सिविल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन के सीमेन्ट गोदाम में १७/१८ अक्तूबर, १९७४ की रात्रि को १४८० बोरी सीमेन्ट बालू मिला कर रखी हुयी पायी गयी? अगर हां, तो कुल स्टाक में कितनी बोरी सीमेन्ट कम थी? अब तक इसके लिये कितने लोग जिम्मेदार पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हाइडिल सिविल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन के अन्तर्गत औराई १३२ के० वी० सब-स्टेशन में स्थित सीमेन्ट गोदाम में १४११ बोरी सीमेन्ट में बालू मिलाये जाने का सन्देह है। इस प्रकरण में पुलिस स्टेशन, औराई के द्वारा जांच की जा रही है तथा गोदाम पुलिस के अधिकार में है। गिनती में गोदाम के अन्दर सीमेंट की बोरी में कोई कमी नहीं पायी गयी। मिलावट के लिए सम्बन्धित जूनियर इन्जीनियर जिम्मेदार पाए गए हैं, तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा रही है। वे इस अवधि में निलम्बित किए जा चुके हैं। पुलिस विभाग द्वारा प्राजीक्यूशन (Prosecution) केस तैयार किया जा रहा है।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में पुलिस सब इन्सपेक्टर द्वारा श्रीमती हसीना के साथ बलात्कार

*११—श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद) तथा श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि २९/३० जनवरी, १९७५ की रात्रि में इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम नं० ६ में पुलिस के एक दरोगा द्वारा एक युवती के साथ बलात्कार किया गया? यदि हां, तो घटना क्या है तथा दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

दिनांक २९ जनवरी, १९७५ को ११ बजे रात में थाना जी० आर० पी०, इलाहाबाद पर श्रीमती हसीना, निवासिनी जिला फैजाबाद ने सूचना दी कि उसी शाम जब वह इलाहाबाद स्टेशन पर आई तो उसे एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के ऊपर कमरे में ले गया जहां एक दूसरा आदमी लेटा हुआ था और दूसरे व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना पर थाना जी० आर०पी०, इलाहाबाद पर एक मुकदमा धारा ३७६/४०६ भारतीय दन्ड विधान का कायम किया गया जिसकी विवेचना हो रही है।

विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस के क सब-इन्सपेक्टर को दिनांक ३१ जनवरी, १९७५ को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और उसी दिन निलम्बित किया गया।

दूसरा अभियुक्त जो पुलिस का हेड कान्सटेबिल है, फरार है। उसे भी निलम्बित किया गया तथा उसके विरुद्ध धारा २९ पुलिस ऐक्ट का भी मुकदमा कायम किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

*१२---कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने के कारण निरस्त।]

*१३---श्री मोहम्मद रफी खां---

[६वें गुरूवार के लिए स्थगित]

परिवहन विभाग में नियुक्त हरिजन लिपिक

*१४---श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा २९ सितम्बर, १९७४ को १३३ लिपिकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार लिया गया था? यदि हां, तो साक्षात्कार में कितने हरिजन अभ्यर्थियों ने भाग लिया? क्या उक्त लिपिकों की नियुक्तियां दिसम्बर, सन् १९७४ में की गयी हैं और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थानों पर गैर-हरिजनों की नियुक्ति की गयी, यदि हां, तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

लिपिकों के रिक्त पदों को व भविष्य में रिक्त होने वाले पदों को भरने हेतु एक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा दिनांक २९ सितम्बर, १९७४ को ली गई थी। उक्त परीक्षा में १७५ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। चुने गये अभ्यर्थियों में से दिसम्बर, १९७४ में नियुक्ति की गई और हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थानों पर हरिजन अभ्यर्थी ही नियुक्त किए गए।

*१५---श्री किशन लाल---

[४थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४६ पर स्थानान्तरित]

ए० एफ० डी० फैक्टरी, टूंडला तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, लि० से विद्युत् शुल्क की वसूली

*१६---श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि दो विद्युत् पूर्तिकर्ताओं द्वारा अप्रैल, १९६६ से मई, १९७१ तक की अवधि में आवासिक कालोनीज में संभरित ऊर्जा

के लिए कुछ बड़े उपभोक्ताओं पर लगभग २,००,७७६ रुपये का विद्युत् शुल्क नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो ऐसे उपभोक्ता कौन-कौन हैं, विद्युत् शुल्क न लगाए जाने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ में दिए गए प्राविधानों के अनुसार १ सितम्बर, १९७० के पूर्व औद्योगिक उपभोग पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देय नहीं थी। अधिशासी अभियन्ता, आगरा ने केन्द्रीय रक्षा विभाग की ए० एफ० डी० फैक्टरी, टूंडला से और अधिशासी अभियन्ता, रुड़की ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से उनके द्वारा उपमुक्त एनर्जी पर औद्योगिक उपभोग समझकर उनसे देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की कुल धनराशि रु० २,००,७७६ नहीं वरन् रु० २५,०४५.४० वसूल नहीं की। इस त्रुटि की जानकारी होने पर ए० एफ० डी० फैक्टरी, टूंडला से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की रु० ७,२२५.४० की सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली गई है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की कुल १७,८२० रुपये की धनराशि वसूल करने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू० जी० सी० के अधीन स्वीकृत वेतन मान

*१७--श्री मोहन लाल कपूर---

क्या शिक्षा मन्त्री (उच्च) बताने की कृपा करेंगे कि यू० जी० सी० के द्वारा घोषित नये वेतनमान उत्तर प्रदेश सरकार अपने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों पर लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री रामजी लाल सहायक--

यू० जी० सी० की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा प्रदेशीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए घोषित नए वेतन-क्रम प्रदेशीय विश्वविद्यालयों एवं गैर-सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के सम्बन्ध में १ जनवरी, १९७३ से लागू कर दिए गए हैं।

*१८--श्री अब्दुल रऊफ लारी---

[३रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या १४ पर स्थानान्तरित]

परिवहन कम्पनियों की स्थापना पर विचार

*१९--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम को जोन में बांटने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और इस पर कितने रुपये अतिरिक्त व्यय होंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अतिरिक्त राज्य में ६ परिवहन कम्पनियों की स्थापना का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। अभी तक बताना सम्भव नहीं है कि इस पर कितने रुपये की धनराशि अतिरिक्त व्यय होगी।

*२०--श्री राम सुन्दर पांडेय--

[परिवहन निगम से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

बाराबंकी जिले के ग्राम पल्हरी में तथा कथित राहजनी की घटना

*२१—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री, को जानकारी है कि थाना कोतवाली, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत दिनांक २ जनवरी, १९७५ को ग्राम पल्हरी के चौराहे के पास दो व्यापारियों को लूट लिया गया ? और क्या यह सही है कि इसी मार्ग पर इस घटना के दो एक दिन पूर्व एक दम्पत्ति को मारा गया तथा उसकी पत्नी को लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया ? यदि हां, तो उक्त घटनाओं का पूरा विवरण क्या है तथा पुलिस ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली, जिला बाराबंकी के क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पल्हरी के चौराहे के पास दिनांक २ जनवरी, १९७५ को दो व्यापारियों को लूटे जाने अथवा किसी दम्पत्ति का उसके दो दिन पूर्व मारे-पीटे जाने और स्त्री को कब्जे में किये जाने की घटनायें नहीं हुई।

इलाहाबाद जिले में मीसा के अन्तर्गत छात्रों की गिरफ्तारी

*२२—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी व फरवरी, १९७५ में इलाहाबाद में कुल कितने और किस-किस शिक्षण संस्थाओं के कौन-कौन छात्रों को आन्तरिक सुरक्षा कानून या अन्य कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तार कर नैनी जेल में नजरबन्द किया गया और उनमें से किन-किन को उच्च श्रेणी प्रदान की गई और किनको नहीं प्रदान की गई, उनके नाम क्या हैं तथा उन्हें उच्च श्रेणी न दिए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार के बार-बार आश्वासन के बाद कि छात्रों को आंसुका/मीसा में नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, आंसुका का प्रयोग किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जनवरी एवं फरवरी, १९७५ के मध्य इलाहाबाद नगर के निम्न ५ छात्रों को आन्तरिक सुरक्षा कानून की धारा ३(१)(ए)(२) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया :—

क्रम-सं०	नाम एवं विवरण	आ०सु०का० में निरुद्ध किये जाने की तिथि
१	श्री बृजेश कुमार, एम० ए० (हिन्दी) प्रथम वर्ष, इलाहबाद विश्वविद्यालय।	२२-१-७५
२	श्री रामवीन सिंह, एम०एससी० (मैथ), (फाइनल), इलाहाबाद विश्वविद्यालय।	२२-१-७५
३	श्री लक्ष्मी शंकर ओझा, बी०ए० (फाइनल), इलाहाबाद डिग्री कालेज	२२-१-७५
४	श्री अविनाश चन्द्र शुक्ला, चाईनीज डिप्लोमा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	२३-१-७५
५	श्री शिवेन्द्र तिवारी, एलएल०बी० (प्रथम वर्ष), इलाहाबाद विश्वविद्यालय।	३-२-७५

उपरोक्त पांचों छात्रों को केन्द्रीय कारागार, नैनी में उच्च श्रेणी प्रदान की गई है। इन पांचों छात्रों को जिला मजिस्ट्रेट, इलाहबाद ने सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने के प्रतिकूल कार्यवाही करने से रोकने के लिए आ० सु० का० के अन्तर्गत निरुद्ध करने के आदेश पारित किए। श्री ओझा को छोड़ कर अन्य चार व्यक्ति जेल से रिहा किए जा चुके हैं।

*२३—श्री हरिकेवल तथा श्री जमुना प्रसाद बोस—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मैनपुरी जिले के ग्राम नगला चाट मजरा आमरी के निवासी, श्री झाऊ लाल के घर पर डकैती

*२४—श्री हरिकेवल तथा श्री जमुना प्रसाद बोस—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी, थाना शिकोहाबाद के ग्राम नगला चाट, मजरा आमरी निवासी झाऊलाल के मकान पर दो सौ (२००) यादवों के दल ने लाठी बल्लम, फर्सा बन्दूक सहित लैस होकर २४ अप्रैल, १९७४ को हमला किया, और लगभग दो लाख रुपये की सम्पत्ति लूट ले गये जिसकी रपट उसी दिन थाने में दर्ज हुयी, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २४ अप्रैल, १९७४ को श्री झाऊ लाल निवासी नगला चाट मजरा आमरी ने थाना शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी पर २५ नामजद तथा लगभग २०० अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध शस्त्रों से लैस होकर प्रार्थी के घर में घुसने और लूट-पाट करने की रिपोर्ट लिखायी। जिसके आधार पर धारा ३९५ भा० द० वि० का मुकदमा अंकित किया गया। विवेचना के दौरान कुछ अन्य अभियुक्त भी प्रकाश में आये। इनमें से ३४ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजा जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

कुन्दन शुगर फैक्टरी, जिला मुरादाबाद के टोकिन क्लर्क एवं चौकीदार का वेतन-क्रम

*२५—श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कुन्दन शुगर फैक्टरी अमरोहा, जिला मुरादाबाद में अब भी कुछ मजदूरों को जो टोकिन क्लर्क और चौकीदारी का कार्य करते हैं, उनको केवल ९० रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

कुन्दन शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरोहा, जिला मुरादाबाद में टोकिन क्लर्क एवं चौकीदारी का कार्य करने वाले श्रमिकों को राजकीय अधिसूचना दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७४, के अनुसार न्यूनतम वेतन ३०१.०० रु० प्रतिमाह मिल रहा है।

कानपुर तथा गाजियाबाद के कारखानों को विद्युत् की आपूर्ति

*२६—श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)—

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि लगभग डेढ़ वर्ष से कानपुर के कारखानों को दिन में विद्युत् दी जा रही है और गाजियाबाद में रात को? यदि हां, तो क्या अब गाजियाबाद के कारखानों को दिन में और कानपुर को रात्रि में उतने ही दिन विद्युत् देने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

जी नहीं। कानपुर तथा गाजियाबाद दोनों ही नगरों के कारखानों को रात्रि के घंटों में प्रतिदिन ९ घंटे अर्थात् रात्रि के ९ बजे से दूसरे दिन प्रातः काल ६ बजे तक बिजली दी जा रही है।

गाजियाबाद के आर्क फरनेस को बिजली न मिलना

*२७--श्री प्यारे लाल वर्मा--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गाजियाबाद में निर्मित फर्निशिंग उद्योगों को, जिनकी बिजली पूर्णरूपेण काट ली गई थी, पुनः बिजली देने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

विद्युत् की वर्तमान स्थिति में आर्क फरनेस को बिजली दे पाना सम्भव नहीं है। स्थिति में सुधार होने पर उन्हें बिजली देने पर विचार किया जायेगा।

कानपुर जिले के आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत

*२८--श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका विद्यालय कर्मचारी संघ, कानपुर, उत्तर प्रदेश ने आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के सम्बन्ध में जुलाई, १९७४ में शासन के पास कोई प्रतिवेदन भेजा था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां। इस पर प्रशासक, नगर महापालिका, कानपुर द्वारा जांच करायी जा रही है।

*२९--श्री जगदीश अवस्थी--

[६वें गुरुवार के लिए स्थगित]

चलचित्र-गृहों से विद्युत् शुल्क की वसूली

*३०--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि कुछ जल विद्युत् खंडों द्वारा अक्तूबर, १९६६ के जून, १९७१ की अवधि में लगभग १२,४४८ रुपये विद्युत् शुल्क के रूप में कुछ चलचित्र गृहों से वसूल नहीं किये गये? यदि हां, तो ऐसे विद्युत् खंड तथा चलचित्र गृह कौन-कौन हैं तथा विद्युत् शुल्क वसूल न किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है तथा दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७४ तक उपरोक्त धनराशि में कितनी वसूली की जा चुकी है तथा शेष को कब तक वसूल किए जाने की सम्भावना है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

जी हां, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ में दिए गए प्राविधानों के अनुसार १ सितम्बर, १९७० से पूर्व औद्योगिक उपभोग पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देय नहीं थी। राज्य विद्युत् परिषद् के पांच अधिशासी अभियन्ताओं ने अपने विद्युत् क्षेत्र में स्थित चल चित्रों में उपभुक्त एनर्जी को औद्योगिक उपयोग समझकर, उनसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल नहीं की। सम्बन्धित विद्युत् खंडों, उनके विद्युत् क्षेत्र में स्थित चल चित्र और उन पर देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि की सूची संलग्न है। इस त्रुटि की जानकारी होने पर देय ड्यूटी की वसूली सभी उपभोक्ताओं से कर ली गई है और अब इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५६६ पर।)

कुमायूं टैक्सी एसोसियेशन, हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा टैक्सी किराये में वृद्धि करने की मांग

*३१---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत मास जून में कुमायूं टैक्सी एसोसियेशन, हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा टैक्सी किराया बढ़ाए जाने के विषय से सम्बन्धित कोई मांग-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या निर्णय लिया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

जी हां।

टैक्सी का किराया फिलहाल बढ़ाना प्रस्तावित नहीं है।

ए० आर० टी० ओ० (इन्फोर्समेन्ट) द्वारा बसों की चेकिंग

*३२---श्री निर्भय नरायन सिंह (जिला बलिया)---

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ए० आर० टी० ओ० इनफोर्समेंट ऐसे हैं जिन्होंने अक्तूबर से दिसम्बर, १९७४ के बीच राज्य सड़क परिवहन निगम की गाड़ियों को चेक करने का कोई कार्य नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

प्रदेश में कोई सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) (ए० आर० टी० ओ० इन्फोर्समेंट) ऐसा नहीं है जिसने अक्तूबर, १९७४ से दिसम्बर, १९७४ तक की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को चेक न किया हो।

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अराष्ट्रीयकृत मार्गों के लिये दिया गया परमिट

*३३---श्री निर्भय नरायन सिंह---

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर से दिसम्बर, १९७४ तक राज्य परिवहन विभाग द्वारा अराष्ट्रीयकृत मार्गों के लिए, कितने परमिट, राज्य सड़क परिवहन निगम को दिए गए हैं?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

इस अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को अराष्ट्रीयकृत मार्गों के लिए कुल १७ अस्थायी परमिट दिए गए।

गोरखपुर जिले के ग्राम पांडेपार से सम्बधित थाना गगहा में तथा कथित अंकित रिपोर्ट

*३४--श्री मधुकर दिवे--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पांडेपार, थाना गगहा, जिला गोरखपुर में दिनांक १६ अक्तूबर, १९७४ को दफा २९२ ता० हि० में कोई रपट दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो पुलिस ने जांच करने के उपरान्त क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की थी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अभियुक्तों के विरुद्ध कोई केस न्यायालय में भेजा गया? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पांडेपार में दिनांक १६ अक्तूबर, १९७४ को धारा २९२ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट थाना गगहा में नहीं दर्ज कराई गई।

कानपुर जिले के पोलिंग स्टेशन गौर पर फर्जी वोट डाले जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट

*३५--श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत पोलिंग स्टेशन गौर, क्षेत्र भोगनीपुर में दिनांक २६ फरवरी, १९७४ के मतदान के दिन प्रेसाइडिंग अफसर के लड़के फर्जी वोट डाल रहे थे जिसकी रिपोर्ट उसी दिन भोगनीपुर थाने में दर्ज हुई? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २६ फरवरी, १९७४ को जिला कानपुर के भोगनीपुर क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन गौर नं० २९५ पर प्रेसाइडिंग अफसर के पुत्र तथा एक अन्य लड़के द्वारा गाय और बछड़े पर मुहर लगाये जाने तथा उनकी अंगुलियों पर स्याही का निशान होने आदि के सम्बन्ध में पोलिंग एजेन्ट, श्री चन्द्र लाल यादव ने उसी दिन थाना भोगनीपुर पर सूचना दी थी। सूचना के आधार पर दोनों लड़कों के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज करके विवेचना की गयी। साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट लगाकर दिनांक २७ जुलाई, १९७४ को विवेचना समाप्त कर दी गयी।

उत्तर काशी जिले के जलविद्युत् मनेरी भाली मंडल के कर्मचारियों को नियमित किया जाना

*३६--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली प्रोजेक्ट में कार्यरत प्रभारित कर्मचारी जिनकी सेवायें नियमित रूप से ३ वर्ष से अधिक हो गई थीं, उन्हें शासनादेश सं० १५/१(५) वित्त विभाग (लेखा)-१, दिनांक २८ सितम्बर, १९६७ द्वारा नियमित अधिष्ठान में लेने हेतु स्पष्ट निदेश दिये गये थे किन्तु अधिकारियों ने इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी और इन प्रभारित कर्मचारियों को सीमान्त वेतन आदि सुविधाओं

से भी वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें स्थाई करने और इस मद को अवशेष भुगतान करने हेतु पुन : आदेश देगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

मनेरी भाली जल विद्युत् परियोजना, उत्तर काशी में राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत एक मन्डल 'जल विद्युत् मनेरी भाली मन्डल, उत्तर काशी' विद्यमान है, जो सन् १९७२ में गठित किया गया था। इस मण्डल के अन्तर्गत कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कोई कर्मचारी नियमित करने के लिए शेष नहीं है।

चूंकि इस समय कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कोई कर्मचारी नहीं है, अत : उन्हें सीमान्त वेतन आदि सुविधायें न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३७-३८--श्री जफर आजमी--

[६वें गुरुवार के लिए स्थगित]

लखनऊ क्षेत्र न्यायालय में विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति एवं उनके बिलों का भुगतान

*३९--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ क्षेत्र न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए सरकार ने मार्च, १९७३ में कुछ विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति की थी परन्तु उनके पारिश्रमिक का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी नहीं, शासन द्वारा इस प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की गई थी बल्कि दिनांक २४ मार्च, १९७३ के एक शासनादेश में जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ से यह कहा गया था कि वे आवश्यकतानुसार सर्वश्री जय करन नाथ, नारायण रुपानी, वासुदेव मिश्र, मिर्जा मुहम्मद आबिद अली, महेश चन्द्र वासवानन्द, श्रीसवाल तथा ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव को किन्हीं विशिष्ट मामलों में विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव शासन को भेज सकते हैं। किन्तु जिला मजिस्ट्रेट ने शासन को कोई प्रस्ताव भेजे बिना उपरोक्त वकीलों में से पांच से कुछ मुकदमों में विशेष अभिवक्ता के रूप में कार्य लिया। उनके बिल न्याय विभाग में प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट से पूंछ-तांछ करके सम्बन्धित वकीलों की नियुक्ति को नियमित करने और उनके बिलों का शीघ्र भुगतान कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

देवरिया और बलिया जिले में लाठीचार्ज एवं गोलीकांड

*४०--श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, सन् १९७४ में जनपद देवरिया, बलिया में कहां-कहां किस कारण से पुलिस ने लोगों पर लाठियां व गोलियां चलायीं, उसमें कितने लोग घायल हुए और कितने मरे ? क्या सरकार उक्त मामले की न्यायिक जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

जनपद देवरिया में माह अक्तूबर, १९७४ में युवक छात्र संघर्ष समितियों एवं कतिपय राजनैतिक दलों द्वारा किये गये आन्दोलनों के दौरान अनियंत्रित भीड़

को नियन्त्रित करने के लिये तथा सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा एवं जनता व सरकारी कर्मचारियों की जान-माल की सुरक्षा हेतु दिनांक ३ अक्तूबर, १९७४ को भाटपाररानी रेलवे स्टेशन तथा दिनांक ४ अक्तूबर, १९७४ को कस्बा कसया व कस्बा पड़रौना में पुलिस को लाठी एवं गोली चलानी पड़ी तथा दिनांक ११ अक्तूबर, १९७४ को कृषि बीज भन्डार, फाजिलनगर में लाठी चार्ज करना पड़ा। इन घटनाओं में गोली लगने से क व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा दो व्यक्तियों को गोली से चोटें आयीं। इसके अतिरिक्त ४८ अधिकारियों---कर्मचारियों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को लाठी, डन्डे तथा पथराव से चोटें आयीं।

दिनांक ४ अक्तूबर, १९७४ को कस्बा कसया में गोली चलाने की घटनाओं के सम्बन्ध में, जिनमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई तथा दूसरे को गोली से चोट आई, न्यायिक जांच की जा रही है।

प्रश्न में उल्लिखित अवधि के दौरान जनपद बलिया में कहीं भी पुलिस द्वारा कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया और न कहीं गोली चलाई गई।

शाहजहांपुर की टाउन एरिया कमेटी, जलालाबाद के चेयरमैन, श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता की हत्या

*४१---श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले की टाउन एरिया कमेटी, जलालाबाद के चेयरमैन (श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता) की हत्या तारीख १८ सितम्बर, १९७४ को कर दी गयी है? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

थाना जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर पर दिनांक १८ सितम्बर, १९७४ को टाउन एरिया कमेटी, जलालाबाद के चेयरमैन (श्री जगदीश चन्द्र) की हत्या किए जाने की रिपोर्ट लिखाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। इस सम्बन्ध में धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर विवेचना की गई तथा दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक ७ अक्तूबर, १९७४ को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा मुकदमा विचाराधीन न्यायालय में है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५६७ पर।)

*४२---श्री दयाराम भास्कर---

[६वें गुरुवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद जिले के थाना मांडा में पुलिस की मार से तथा कथित गर्भवती महिला की मृत्यु

*४३---श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद में थाना मांडा के अन्तर्गत जुलाई, १९७४ के प्रथम पखवारे में एक नवजवान गर्भवती महिला (आयु लगभग १९ वर्ष) को पुलिस ने इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? घटना का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला इलाहाबाद के थाना मांडा के अन्तर्गत जुलाई, १९७४ के प्रथम पखवारे में प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना नहीं हुई। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जिले के ग्राम कुकथला के काछियों को मारपीटे जाने के सम्बन्ध में अछनेरा थाने में अंकित मुकदमा

*४४--श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)---

क्या सरकार को जानकारी है कि २० नवम्बर, १९७४ को ग्राम कुकथला, जिला आगरा में गांव प्रमुख एवं जमींदारों ने कुछ पिछड़ी जातियों की झोपड़ियों व घूरों में आग लगा दी थी व लाठी व बन्दूकों से मारपीट की थी? इसकी शिकायत मुख्य मन्त्री और पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र भेज कर की गई थी? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

श्री गनपति काछी निवासी ग्राम कुकथला जिला आगरा द्वारा थाना अछनेरा जिला आगरा पर दिनांक २० नवम्बर, १९७४ को ग्राम के ठाकुरों के विरुद्ध लाठियों से मारपीट करने व बन्दूक से मारने की धमकी दिए जाने, घूरों में आग लगाने की नामजद रिपोर्ट लिखाई गई। इस सूचना पर धारा १४७/१४८/३२३/३०७ भा० द० वि० के अन्तर्गत अपराध अंकित किया गया।

उसी दिन उक्त ग्राम के श्री कल्लन सिंह काछी की झोपड़ी में ग्राम के ठाकुरों द्वारा आग लगाए जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १९ दिसम्बर, १९७४ के आधार पर थाना अछनेरा पर अपराध अन्तर्गत धारा ४३५ भा० द० वि० अंकित किया गया। उक्त मामलों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री तथा पुलिस अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना-पत्र भी भेजा गया।

उक्त प्रथम अपराध में विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। दूसरा अपराध विवेचना से सिद्ध न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट के द्वारा समाप्त किया गया।

इटावा जिले के थाना बसरेहर के अन्तर्गत डकैतों की गिरफ्तारी

*४५--श्री गोले लाल शाक्य---

क्या सरकार को जानकारी है कि गत दिसम्बर, १९७४ के प्रारम्भ में थाना बसरेहर व थाना जसवन्त नगर, जिला इटावा की पुलिस ने उसी जिले के बहादुर पुर गांव में रहने वाले कुछ व्यक्तियों तथा अन्य को इस आधार पर बन्दी बनाया कि वे लोग हवरा ग्राम में गिरोह बन्दी कर रहे थे। यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई, जांच रपट क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

दिनांक ९ दिसम्बर, १९७४ को पुलिस चौकी हेवरा थाना बसरेहर पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सशस्त्र डकैतों का गिरोह एकत्र होकर ग्राम छविनाथ के निवासी

चौधरी बदन सिंह के यहां डाका डालेगा। इस सूचना पर सब-इन्सपेक्टर फोर्स एवं गवाहान सहित मौके पर गये तथा घेर कर पांच डकैतों को असलहों सहित गिरफ्तार किया। तीन डकैत मौके से भाग गए। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा ३९९/४०२ भारतीय दण्ड विधान तथा ४ अन्य मुकदमें २५ आर्म्स ऐक्ट के कायम किये गए।

शेष तीन भागे हुए अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

२५ आर्म्स ऐक्ट के मुकदमों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाई गयी।

एक अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्त शेष है। शेष सात अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना के बाद धारा ३९९/४०२ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत चार्जशीट प्रस्तुत की गयी। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

बहराइच जिले के ग्राम अलीनगर की ईदगाह में कटा हुआ सुअर का पाया जाना

*४६—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बहराइच, थाना खैरीघाट, ग्राम अलीनगर में दिनांक ४/५ जनवरी, १९७५ की रात में असामाजिक तत्वों ने ईदगाह में सुअर काट कर डाल दिया? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? कितने मुलजिमान गिरफ्तार हुए और उनके नाम क्या हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक ४ जनवरी, १९७४ की शाम को थाना खैरीघाट जिला बहराइच में इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि उस दिन शाम ५ बजे एक व्यक्ति ने उक्त थाने के अन्तर्गत ग्राम अलीनगर के ईदगाह में एक सुअर का बच्चा कटा हुआ पड़ा देखा। रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामजद नहीं था। रिपोर्ट के आधार पर थाना खैरीघाट पर धारा २९५/१५३-ए० भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त सोहन, राम लाल, नकछेद तथा परमेश्वर गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। विवेचना स्पेशल इन्वेस्टीगेशन स्क्वाड द्वारा की जा रही है।

लखनऊ स्थित कैसरबाग बारादरी को सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग

*४७—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को पता है कि लखनऊ स्थिति कैसरबाग बारादरी और उससे सम्बन्धित इमारतें व जमीन अंग्रेजी हुकूमत में अवध के ताल्लुकेदारों को दे दी थीं? यदि हां, तो सरकार क्या इस बरादरी व अन्य इमारतों को अपने कब्जे में लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। यदि सरकार इस बारादरी व अन्य इमारतों को वापस लेगी तो कई महत्वपूर्ण कानूनी, वित्तीय एवं नीति के प्रश्न सामने आयेंगे जिन पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में अभी जानकारी की जा रही है।

फैजाबाद जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीटी ब्लाक का विद्युतीकरण

*४८—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के भीटी ब्लाक के प्राथमिक स्वास्थ्य एवं पशु-चिकित्सालयों में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक २८ नवम्बर, १९७२ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जी हां। राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीटी ब्लाक, फैजाबाद के विद्युतीकरण हेतु एस्टीमेंट बनाकर स्वास्थ्य अधिकारी, फैजाबाद को भेज दिया गया है।

एस्टीमेट की धनराशि जमा करने तथा अनुबन्ध कर लेने के एक सप्ताह के अन्दर विद्युतीकरण किया जा सकता है।

बीड़ी मजदूरों के लिये निर्धारित मजदूरी दर

*४९—श्री मुहम्मद हयात—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले दिनों भारत सरकार की ओर से बीड़ी उद्योग के कार्यरत मजदूरों की मजदूरी आल इंडिया लेविल पर निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो उस मजदूरी को उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए प्रदेशीय सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं, भारत सरकार द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरी की दर नहीं निर्धारित की गयी थी, बल्कि दिनांक २७ और २८ सितम्बर, १९७४ को नई दिल्ली में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा केवल यह सिफारिश की गयी थी कि बीड़ी उद्योग में सेवायोजित मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी रु० ४.५० तथा ५.०० प्रति हजार बनाई गयी बीड़ी के बीच निर्धारित की जाय। तद्नुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ की धारा ५ (१) (बी) के अधीन निम्नलिखित दरों के सम्बन्ध में शासन के प्रस्ताव आपत्तियों एवं सुझावों हेतु दिनांक २२ जनवरी, १९७५ को प्रकाशित कर दिए गए हैं।

बीड़ी बनाना —

क्षेत्र (क)	नगरमहापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड कैन्टोनमेंट बोर्ड तथा उसके १० किलो मीटर के भीतर आने वाला क्षेत्र ५.०० रु० प्रति हजार बनाई गयी बीड़ी
क्षेत्र (ख)	अन्य सभी क्षेत्र जो (क) के अन्तर्गत न आते हों ४.५० रु० प्रति हजार बनाई गयी बीड़ी

उपर्युक्त प्रस्ताव पर निर्णय होने तक शासन द्वारा संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ की धारा ३ (बी) के अधीन रु० ४.७५ प्रति हजार बनाई गयी बीड़ी की दर पर न्यूनतम मजदूरी दिनांक ४ फरवरी, १९७५ से निर्धारित कर दी गयी है।

थानाध्यक्ष भरुहा सुमेरपुर जिला हमीरपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५०—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा) तथा श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बतायेगी कि थानाध्यक्ष, भरुहा सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता द्वारा माह सितम्बर, १९७४ से माह दिसम्बर, १९७४ तक कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुईं? यह शिकायतें क्या हैं और किन-किन लोगों के द्वारा की गईं? सरकार ने अब तक उसके सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उपलब्ध सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष भरुहा सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता ने माह सितम्बर, १९७४ से दिसम्बर, १९७४ तक की अवधि में चार शिकायती-पत्र दिये जिनके सम्बन्ध में आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५६८–५६९ पर।)

श्री गोपाल दत्त उप्रेती नामक खोए हुए लड़के की तलाश

*५१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

दिनांक ४ मई, १९७२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९ के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि ३४ खोये गये लड़कों में जो गोपालदत्त उप्रेती नाम का लड़का उपलब्ध होना नहीं बताया गया था वह लड़का अब उपलब्ध हो गया है? यदि नहीं, तो सरकार ने उसे खोजने के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री गोपाल दत्त उप्रेती की तलाश हेतु आकाशवाणी, लखनऊ से प्रसारण कराया गया, सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स गजट में फोटो छपवाया गया, अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सूचित किया गया तथा उसकी जगह-जगह तलाश कराई गई किन्तु लड़के का कोई पता नहीं चल सका। अतः मामले में दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७४ को अन्तिम रिपोर्ट लगाकर तफतीश समाप्त की गई।

राज्य विद्युत् परिषद् के चीफ केमिस्टों का विचाराधीन वेतन मान

*५२—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत गृहों में कार्य कर रहे चीफ केमिस्ट (जैसे सीमेन्ट वर्क फैक्टरी ए० यू० पी० गवर्नमेंट अन्डर टेकिंग आदि) और विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्य करने वाले चीफ केमिस्ट को बराबर ही वेतन दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके बराबर विद्युत् चीफ केमिस्टों का वेतन-मान दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

राज्य विद्युत् परिषद् में कार्यरत चीफ केमिस्टों का वेतन-मान सीमेंट फैक्टरी वर्क (मिर्जापुर) में कार्यरत केमिस्टों के वेतन-मान से भिन्न है?

राज्य विद्युत् परिषद् के चीफ केमिस्टों के वेतन-मान के पुनरीक्षण का विषय परिषद् में सम्प्रति विचाराधीन है।

मेरठ जिले में यूनियन के नेता श्री मेवालाल की तथा कथित गोली मारे जाने से मृत्यु

*५३—श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तारीख ९ जनवरी, १९७५ को साढ़े ग्यारह बजे यूनियन के नेता श्री मेवालाल को रेलवे अस्पताल, मेरठ के कम्पाउन्ड में वेतन वितरण के समय गोली मारी गई ? क्या सरकार को पता है कि मेवालाल को गोली मारे जाने के सम्बन्ध में मारने वालों की नामजद रिपोर्ट पुलिस में उसी समय दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ जिले में ऐसी किसी घटना के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई गई न ही ऐसी घटना का होना पाया गया।

*५४—श्री अठई राम—

[१ले गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत उत्तरित]

गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध जांच की मांग

*५५—श्री मधुकर दिघे—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये जांच समिति के गठन की मांग माह मार्च, १९७३ में की गयी थी, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव (परीक्षा) की नियुक्ति दिनांक १७ फरवरी, १९७४ को अनियमित रूप से की गयी थी ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां। कुलपति से आख्या मांगी गई थी। जो दिनांक १३ मार्च, १९७५ को प्राप्त हुई है और शासन के विचाराधीन है। विश्वविद्यालय की सूचना के अनुसार जिस व्यक्ति को सहायक कुलसचिव (परीक्षा) के पद पर दिनांक १७ फरवरी, १९७२ से नियुक्त किया गया था उन्हें दिनांक ३१ जुलाई, १९७४ को अपने पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

हरदोई जिले के ग्राम घुसगहां निवासी श्रीमती रमई का अपने पति व देवर की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

*५६—श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें गृह सचिव, आई० जी० पुलिस, डी० आई० जी०, पुलिस व एस० पी०, हरदोई को दिनांक ५ दिसम्बर, १९७४ को किसी विधायक के पत्र के साथ श्रीमती राम देवी, ग्राम घुसगहां, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई का इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि गैर जिला उन्नाव के थाना औराम की पुलिस ने दिनांक १७ नवम्बर, १९७४ को उसके पति रमई व देवर जुगुल को घर में घुस कर बुरी तरह पीटा व थाने ले गयी तथा दो दिन तक थाने में रखने के बाद किसी डकैती के मुकदमें में चालान करके जेल में बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

प्रश्न में उल्लिखित श्रीमती रमई का प्रार्थना-पत्र, दिनांक २४ नवम्बर, १९७४ शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें प्रार्थिनी के पति रमई तथा देवर जुगुल को दिनांक १२ नवम्बर, १९७४ की डकैती में गलत फंसा दिये जाने आदि की शिकायतें की गई थीं।

प्रार्थना-पत्र में अंकित रमई तथा जुगुल को पुलिस द्वारा मारने-पीटने, दो दिन तक थाने में रखने आदि की शिकायतें जांच से गलत पाई गईं।

प्राप्त सूचना के अनुसार रमई तथा जुगुल दिनांक १८/१९ नवम्बर, १९७४ की रात्रि में ग्राम परसहरा, उन्नाव की बाग में अन्य अभियुक्तों के साथ डकैती की योजना बना रहे थे। थाना औरास की पुलिस के द्वारा घेरे जाने पर इन व्यक्तियों ने गोली चलाई जिससे एक कान्स्टेबिल घायल हुआ। पुलिस द्वारा पांच अभियुक्त गिरफ्तार किये गये जिनमें रमई तथा जुगुल भी शामिल थे। धारा ३९८/४०२/३०७ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के बाद उक्त पांच अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजा गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

*५७---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*५८---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[७वें सोमवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या २ पर स्थानान्तरित]

*५९---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[६वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५ पर स्थानान्तरित]

*६०---श्री शिव प्रसाद गुप्त ---

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६२ पर स्थानान्तरित]

थारू इंटर, कालेज, जिला नैनीताल में प्रशासक की नियुक्ति की मांग

*६१---श्री इन्द्र लाल---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थारू इन्टर कालेज, खटीमा, जिला नैनीताल के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में दिनांक ३ अक्तूबर, १९७४ का कोई पत्र जिसको मुख्य मन्त्री ने आवश्यक आदेश देकर शिक्षा निदेशक को भेजा था, पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

कथित पत्र में थारू इन्टर कालेज, खटीमा में प्रशासक नियुक्त करने की मांग की गयी थी न कि उसके प्रान्तीयकरण की।

कानपुर जिले के थाना रसूलाबाद की भूमि पर कंजरों की बस्ती और उनके लिये भूमि आवंटन की मांग

*६२---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के पुलिस थाना रसूलाबाद में थाने के भवन तथा निस्तार में कितनी भूमि का प्रयोग किया जाता है? कितनी भूमि बेकार

पड़ी है, और कितनी भूमि में कंजर जाति के लोग झोपड़े व मकान तथा कुयें आदि बना कर रह रहे हैं ? इनकी संख्या तथा रहने की अवधि क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में किसी विधायक का पत्र तथा उसके साथ संलग्न कंजरों के आवेदन-पत्र १४ अगस्त, १९७४ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या किसी अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

कानपुर जिले के थाना रसूलाबाद की कुल १६.२५ एकड़ भूमि में से ४ एकड़ भूमि थाने के प्रयोग में है। लगभग १०.७५ एकड़ भूमि बेकार पड़ी है और लगभग १.५० एकड़ भूमि पर कंजर जाति के लोग झोपड़े बनाकर अरसे से रह रहे हैं। इस भूमि पर करीब ५१ झोपड़ियां बनी हैं जिसमें कुल २०६ लोग रहते हैं। जांच से ज्ञात हुआ है कि यह लोग सन् १९५२ के पूर्व से ही रह रहे हैं। वास्तविक अवधि बताना कठिन है। इस सम्बन्ध में किसी विधायक का पत्र अथवा उसके साथ संलग्न कंजरों के आवेदन-पत्र १४ अगस्त, १९७४ को प्राप्त नहीं हुए। अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही या जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*६३—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या यह सही है कि जिस भूमि पर कंजर जाति के लोग मुद्दतों से रह रहे हैं वह समतल है और थाने के इस्तेमाल में नहीं आती है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि इन कंजर जाति के लोगों को जो हरिजन जाति के हैं, को मकान बनाने के लिये शीघ्र आवंटित कर दी जायगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

यह सही नहीं है कि जिस उपरोक्त भूमि पर कंजर जाति के लोग रह रहे हैं वह समतल है। यह सही है कि यह भूमि थाने के इस्तेमाल में नहीं आती है। थाना रसूलाबाद की आवश्यकता से अधिक १२.२५ एकड़ भूमि एक प्राचीन दुर्ग का भग्नावशेष है। यह भूमि ढलान पर है और इस पर कोई निर्माण कार्य खुदाई किये बिना नहीं हो सकता। वहां पर खुदाई कराने से थाने के वर्तमान भवनों को क्षति पहुंचने की आशंका बतायी जाती है। अतः इस भूमि को भवन निर्माण हेतु दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिले के भूतपूर्व विधायक, श्री लक्खी सिंह तथा अन्य की गिरफ्तारी

*६४—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक २२ सितम्बर, १९७४ की रात्रि को मथुरा जनपद के श्री लक्खी सिंह, भूतपूर्व विधायक, श्री शिव प्रसाद सेन एवं डाक्टर एम० पी० शर्मा को प्रदेश की खाद्य मन्त्री श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के आगमन के अवसर पर गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो उनकी गिरफ्तारी किस धारा के अन्तर्गत हुई तथा क्या यह भी सही है कि बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए ही इन व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

प्रश्न में उल्लिखित तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अन्तर्गत की गई थी और उनको एस० डी० एम०, मथुरा के समक्ष पेश करके उनके आदेश पर ही जेल भेजा गया था।

मुरादाबाद जिले के थाना संभल में मार पीट की घटना

*६५—सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या पुलिस मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सम्भल (मुरादाबाद) में पुलिस ने हाल ही में भीड़ पर लाठी प्रहार किया जिससे बहुत व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए ? यदि हां, तो लाठी प्रहार के क्या कारण थे और इसका आदेश किसने दिया था ? क्या शासन इस घटना की जांच करवायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सत्य नहीं है कि सम्भल (मुरादाबाद) में पुलिस ने हाल ही में भीड़ पर लाठी प्रहार किया जिसमें बहुत व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए, अतः शासन द्वारा जांच कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक १४ फरवरी, १९७५ को प्रातः एक चोरी की घटना की रिपोर्ट लिखाने के सम्बन्ध में एक विधायक के साथ कुछ व्यक्ति थाना सम्भल पर आए तथा पुलिस कर्मचारियों के साथ अभद्र एवं अशोभनीय व्यवहार किया। थानाध्यक्ष द्वारा समझाने के प्रयत्न के बावजूद वे लोग आवेशपूर्ण बातें करते रहे। इस पर एक कान्स्टेबिल ने बिना किसी की आज्ञा के गुस्से में आकर एक व्यक्ति को लाठी मारी जिससे उसे मामूली चोट आई। उपस्थित व्यक्तियों ने भी दो सिपाहियों के साथ मारपीट की जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं ? उपस्थित लोग तो बिना कोई रपट लिखाए नारे लगाते हुए चले गए। लाठी मारने वाले सिपाही को उसी दिन निलम्बित कर दिया गया तथा उस के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

सहारनपुर से प्रकाशित साप्ताहिक "निराली दुनिया" के सम्पादक की हत्या

*६६—सरदार कुलतार सिंह—

क्या पुलिस मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहारनपुर से प्रकाशित साप्ताहिक "निराली दुनिया" के सम्पादक श्री चमन लाल चावला पर हाल ही में कुछ व्यक्तियों ने तेजाब फेंका था, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गयी ? इस घटना से जनता में उत्पन्न रोष को दूर करने के लिये पुलिस ने क्या कदम उठाया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई अपराधी पकड़े गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सत्य है कि सहारनपुर से प्रकाशित साप्ताहिक "निराली दुनिया" के सम्पादक श्री चमन लाल चावला पर दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७४ को तेजाब फेंका गया था जिससे दिनांक ११ जनवरी, १९७५ को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से कुछ लोगों ने रोष प्रकट किया था परन्तु निष्पक्ष जांच तथा हर सम्भव चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के आश्वासन पर वे सन्तुष्ट हो गये। इस घटना के सम्बन्ध में एक अपराधी पकड़ा गया। अभियोग अन्तर्गत धारा ३०४ भा० दं० वि० की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

बस्ती जिले के मुडेरवा थाने के अन्तर्गत गो-हत्या

*६७—श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या यह सही है कि बस्ती जिले के मुडेरवा नामक स्थान पर स्थानीय गन्ना विकास इन्टर कालेज के कुछ छात्रों ने दिनांक १५ अक्तूबर, १९७४ से दिनांक २३ अक्तूबर, १९७४ के बीच किसी दिन कुछ व्यक्तियों को लगभग २३ किलो गौ मांस ले जाते हुए पकड़ा? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक १५ अक्तूबर, १९७४ से २३ अक्तूबर, १९७४ तक के बीच स्थानीय गन्ना विकास इन्टर कालेज के कुछ छात्रों द्वारा नहीं वरन् ९/१० अक्तूबर, १९७४ की रात में ग्राम चगेरा मगैरा, थाना मुडेरवा, बस्ती के ५ ग्रामीणों द्वारा दो नामजद व्यक्तियों को गोमांस ले जाते हुये पकड़े जाने की सूचना थाना मुडेरवा, बस्ती में उसी रात में प्राप्त हुई थी।

सूचना प्राप्त होने पर थाने पर धारा ५/८ गोवध ऐक्ट के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें विवेचना के उपरान्त दोनों अभियुक्तों का चालान किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

मैनपुरी जिले की गन्ना मिलों के गन्दे पानी के ईसन नदी में बहाव से मछलियों व मवेशियों की कथित मृत्यु

*६८—श्री रघुबीर सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर की ईसन नदी में मैनपुरी की गन्ना मिल व धान मिलों का सड़ा गला पानी बहाया जाता है जिसके फलस्वरूप मछलियां और मवेशी नदी का गन्दा पानी पीने के कारण मर गये तथा हैजा फैलने का अन्देशा पैदा हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मिलों का पानी ईसन नदी में बहाए जाने पर रोक लगाने की कृपा करेगी?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मैनपुरी शहर की धान मिलों से निकलने वाला गन्दा पानी (उत्प्रवाह) ईसन नदी में नहीं बहाया जाता है। केवल मैसर्स महावीर स्ट्रा बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक गन्ना कारखाने से निकलने वाला उत्प्रवाह ईसन नदी तक पहुंचता है। परन्तु इसके फलस्वरूप मछलियों या मवेशियों के मरने की कोई सूचना नहीं मिली है और न ही हैजा के अन्देशा होने की कोई पुष्टि हुई है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

२—श्री रणवीर सिंह—

[९वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ८ पर स्थानान्तरित]

३—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

देवरिया जिले में आबंटित स्कूटर व फियट कार

४—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह अप्रैल से जून, १९७४ तक जनपद देवरिया के लोगों को कितने स्कूटर व फियेट कार के परमिट दिये गये ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्हें किस आधार पर परमिट दिया गया है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

प्रश्नगत अवधि में जनपद देवरिया के लोगों को २१ स्कूटर तथा १ फियेट कार आबंटित किये गये। नामों की सूची संलग्न है।

यह राज्य सरकार का डिस्क्रीशनरी कोटा है और आवेदकों के राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर को देखकर तथा आवश्यकताओं को आंक कर आबंटन किया जाता है।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ ५७० पर)

गाजीपुर जिले में कत्ल व डकैती

५—श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में एक अक्तूबर, १९७४ से ३१ दिसम्बर, १९७४ तक डकैती तथा कत्ल की कुल कितनी घटनायें हुयीं और उनमें अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार गाजीपुर जिले के विभिन्न थानों पर १ अक्तूबर, १९७४ से ३१ दिसम्बर, १९७४ तक की अवधि में डकैती की १५ तथा हत्या की १० घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुईं ?

डकैती की १५ घटनाओं में से ८ घटनाओं से सम्बन्धित मुकदमों में चालान किया गया तथा ६ में विवेचना जारी है। शेष एक मुकदमा विवेचना से गलत पाया।

हत्या की १० घटनाओं में से ६ मुकदमों में चालान किया गया है तथा शेष ४ में विवेचना जारी है।

गोरखपुर जिले के जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज के प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

६—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जवाहरलाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, महराजगंज, जिला गोरखपुर के प्रबन्ध समिति के विरुद्ध जनवरी, १९७५ में कोई शिकायती-पत्र उन्हें मिला है और क्या यह सच है कि १९७३-७४ के वित्तीय वर्ष की आडिट रिपोर्ट में भयंकर वित्तीय अनियमिततायें एवं शासकीय धन के दुरुपयोग के तथ्य प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो शासन ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां, जनवरी, १९७५ में एक शिकायती-पत्र मिला जिस पर कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय से आख्या मांगी गयी है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष १९७३-७४ नहीं वरन् वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के लेखे की विभागीय लेखा निरीक्षकों की आख्या में वित्तीय अनियमितताओं तथा शासकीय धन के दुरुपयोग के तथ्य प्रकाश में आये। चूंकि सम्पूर्ण अभिलेख आडिट पार्टी को उपलब्ध नहीं हो सके थे अतः मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को आदेश दिये गए कि वह स्वयं सम्पूर्ण अभिलेखों एवं लेखों की जांच करा कर आडिट रिपोर्ट में उठायी गयी प्रत्येक आपत्ति पर अपनी स्पष्ट आख्या एंव संस्तुति भेजें। मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर की आख्या एवं संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

बरेली रेंज में अधिक समय से कार्यरत पुलिस सब-इन्सपेक्टर और उनके स्थानान्तरण का निरस्त होना

७---**श्री** हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली रेंज में कितने सब-इन्सपेक्टर पुलिस नियम विरुद्ध १५ वर्षों से भी अधिक से इसी रेंज के जिलों में तैनात हैं और उनकी जिलानुसार संख्या व नाम क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

सूचना एकत्र की जा रही है।

८---**श्री** हरीश कुमार गंगवार---

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि बरेली में कार्यरत जिन-जिन सब-इन्सपेक्टर पुलिस के प्रशासनिक आधार पर दिनांक १ जनवरी, १९७३ से ३१ मार्च, १९७४ तक डी०आई० जी० हेड क्वार्टर द्वारा जी० आर० पी० में स्थानान्तरण किए गए थे वे सभी रद्द अथवा स्थगित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर काशी-गंगोत्री सड़क पर भैरों घाटी के पुल का निर्माण और उत्तर काशी से बार्डर तक जाने वाली सड़क का निर्माण

९---**श्री** ऊदल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर काशी-गंगोत्री सड़क में भैरों घाटी का पुल अब तक नहीं बना है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस पुल पर कब से कार्य हो रहा है और इसके तैयार हो जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य उपयुक्त सेक्शन का इस्पात आवश्यकतानुसार पूर्ण रूप से उपलब्ध न होने के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इस पुल का निर्माण कार्य २ जून, १९७० से प्रारम्भ किया गया था। मई, १९७४ से इस पुल का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को सौंप दिया गया है। फैब्रीकेशन की प्रगति ६० प्रतिशत है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के प्रयत्न जारी हैं।

१०—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर काशी से जांगला होते हुए बार्डर पर जाने वाली सड़क अभी पहाड़ काट कर भी पूरी नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो पहाड़ काट कर सड़क बनाने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर देना जनहित मे नहीं होगा।

११—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[६वें गुरुवार के लिए स्थगित]

देवरिया जिले के हरिजन हास्टल

१२—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कहां-कहां हरिजन हास्टल हैं उनमें कितने-कितने छात्र रहते हैं और उनको सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने की क्या व्यवस्था है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वाराणसी जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण के अधीनस्थ भंडार गृहों में पड़े हुये ट्रान्सफार्मर और रिपेयर वर्क शाप द्वारा मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मर

१३—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी एस० ई० सर्किल में कितने ट्रान्सफार्मर तथा पोल एवं तार इस वक्त पड़े हुये हैं उनकी लागत क्या है और कितने-सब-स्टेशन तथा विद्युत् स्टेशन हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मन्डल, वाराणसी के अधीनस्थ भंडार गृहों में पड़े हुये ट्रान्सफार्मर, पोल और तार की संख्या/नाप एवं उनका मूल्य निम्न प्रकार है —

	संख्या/नाप	मूल्य रुपयों में
ट्रान्सफार्मर	७४३	४१,५७,४९०.००
पोल	१९५५४	४०,०९,५९५.००
तार	१६७१,२३३ कि०मी०	१२,४०,४८०.५७

उक्त मन्डल में कुल ६८ सब-स्टेशन हैं तथा विद्युत् स्टेशन एक भी नहीं ।

१४—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विद्युत् विभाग (हाईडिल) के वर्कशाप (ट्रान्सफार्मर) में कितने ट्रान्सफार्मर रिपेयर हेतु कितने-कितने दिनों के रक्खे हुए हैं ? और सन् १९७२ से लेकर अब तक कितने ट्रान्सफार्मर को रिपेयर किया गया इस कार्य में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी लगे हुए हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

उपरोक्त मन्डल के अधीनस्थ खंडों के रिपेयर वर्कशाप में इस समय २१५९ ट्रान्सफार्मर मरम्मत हेतु पड़े हुए हैं। रिपेयर वर्कशापों में खराब ट्रान्सफार्मर मरम्मत हेतु आते रहते हैं और मरम्मत करके वापस कर दिये जाते हैं।

सन् १९७२ से अब तक १५५० ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत की जा चुकी है। ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत कार्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या ७२ है।

मिर्जापुर जिले के ग्राम रोरवा निवासी श्री बुद्धू एवं बैजनाथ द्वारा कोन थाने में लिखाई गई रिपोर्ट और दोही निवासी श्री जटा की ट्रैक्टर से दबा कर मृत्यु

१५--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रोरवा, थाना कोन, जिला मिर्जापुर के बैजनाथ एवं बुद्धू हरिजन ने मार्च, मई, १९७४ में उन पर सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हुये अत्याचार एवं जुल्म की रिपोर्ट थाने में लिखायी थी? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

दिनांक १३ मई, १९७४ को श्री बुद्धू राम निवासी रोरवा, थाना कोन, जिला मिर्जापुर ने थाना कोन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा मारे पीटे जाने की सूचना दी थी जिसके आधार पर एक मुकदमा धारा १४७/३५२/४५२/५०४/५०६/१०९ भारतीय दण्ड विधान का अंकित किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया व जेल भेजा। शेष ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

दिनांक १८ मई, १९७४ को श्री बैजनाथ ने भी एक रिपोर्ट थाना कोन पर इस आशय की दी कि जब उन्होंने अमुक सवर्ण व्यक्तियों के यहां काम करने से मना किया तो उन लोगों ने उसे मारा-पीटा व जाने नहीं दे रहे थे। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा १४७/३२३/३४२/३७४ भारतीय दन्ड विधान का कायम किया गया है जिसकी विवेचना अभी हो रही है। इस घटना से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा जेल भेजा गया। शे अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया।

१६--श्री सूबेदार प्रसाद --

क्या गृह मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि दिनांक १५ अक्तूबर, १९७२ को ग्राम रोरवा, थाना कोन, मिर्जापुर के जाटा नामक हरिजन की हत्या एक ट्रैक्टर द्वारा हुयी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

दिनांक १० अप्रैल, १९७३ को थाना कोन पर चौकीदार द्वारा मौखिक सूचना प्राप्त हुई कि दशहरा के कुछ दिन पूर्व ग्राम रोरवा निवासी श्री चन्द्र भान ने ग्राम दोही निवासी जाटा को ट्रैक्टर से दबाकर मार डाला। इस सूचना पर एक मुकदमा धारा २७९/३०४-ए/२०, भारतीय दण्ड विधान का कायम किया गया और विवेचना की गयी। विवेचना के पश्चात् अन्तिम रिपोर्ट लगाई गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी विवेचना का चेकअप अपराध अनुसन्धान विभाग ने भी किया और उन्होंने स्थानीय पुलिस की विवेचना को सही पाया।

सीतापुर जिले में कथित थानेदारों के विरुद्ध अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

१७—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७३ में सीतापुर जिले में कार्यरत ऐसे कौन-कौन थाना इन्चार्ज थे जिनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच अपराध अनुसन्धान शाखा द्वारा कराने के आदेश जारी किये गये थे। उनमें से किस-किस के विरुद्ध जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है तथा जिनके विरुद्ध जांच रिपोर्ट नहीं आयी है वह कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष १९७३ में जनपद सीतापुर में कार्यरत निम्नलिखित ५ थानेदारों के विरुद्ध जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंपी गयी थी—

(१) श्री बद्री प्रसाद तिवारी, थानाध्यक्ष, मिसरिख,

(२) श्री जी० एन० सिंह, थानाध्यक्ष, कमलापुर,

(३) श्री कृष्ण नारायन दीक्षित, थानाध्यक्ष, तम्बौर

(४) श्री जयचन्द सिंह, थानाध्यक्ष, महमूदाबाद,

(५) श्री बलवीर सिंह चौहान, थानाध्यक्ष, पिसावां।

इनमें से सर्वश्री जी० एन० सिंह, कृष्ण नारायन दीक्षित तथा जयचन्द सिंह के विरुद्ध जांच अपराध अनुसन्धान विभाग ने पूरी कर ली है और उनकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है। शेष दो के विरुद्ध जांच अभी प्रगतिशील है। अपराध अनुसन्धान विभाग ने इन्हें शीघ्र पूरी करके रिपोर्ट भेजने हेतु कहा है।

मिर्जापुर जनपद में अधिक समय से कार्यरत पी० सी० एस० अधिकारी

१८—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद में इस समय ऐसे कितने पी० सी० एस० अधिकारी हैं जो पिछले पांच वर्षों से उसी जिले में कार्यरत हैं और उनमें से कितनों का स्थानान्तरण कितनी बार हुआ और निरस्त कर दिया गया और क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मिर्जापुर जनपद में तैनात किसी पी० सी० एस० अधिकारी को अभी वहां पांच वर्ष पूरे नहीं हुये हैं।

प्रदेश की दुकानों के बन्द होने के समय को बढ़ाने की मांग

१९—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में दुकानों के बन्द होने के समय ७-१५ बजे रात के स्थान पर पुनः ८-३० बजे रात करने का विचार शासन द्वारा किया जा रहा है?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश बाजार कर्मचारी फेडरेशन, नयागंज, कानपुर की मांगें

२०—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि दिनांक ११ जुलाई, १९७४ को उत्तर प्रदेश बाजार कर्मचारी फेडरेशन, नयागंज, कानपुर का एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला था और उसने अपना एक प्रत्यावेदन देकर उनके समक्ष अपनी मांगें रक्खी थीं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां, फेडरेशन की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं —

(१) विज्ञप्ति संख्या १४८९(वि)/३६-५—१०४३-(टी० डी०)/७२, दिनांक २४ अप्रैल, १९७३ में संशोधन किये जायं।

(२) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य, अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ में सुधार किया जाय।

(३) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट, १९७२ के संबंध में नियम बनाये जायं।

(४) अवैतनिक श्रम निरीक्षक नियुक्त किये जायं।

उपर्युक्त मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी० एड० के लिए अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थी

२१—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध डिग्री कालेजों में कहां-कहां बी० एड० के प्रशिक्षण की व्यवस्था है ? प्रत्येक कालेजों में कितने-कितने प्रशिक्षार्थी हैं और उनमें से कितने-कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ ५७१-५७२ पर।)

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ जो विधान सभा द्वारा दिनांक २८ फरवरी १९७५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में बिना किसी संशोधन के दिनांक १९ मार्च, १९७५ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा २ घंटे की चर्चा मांग कर सदन में उपस्थित न रहने पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार की सूचना माननीय काशीनाथ मिश्र ने दी है कि विधान सभा की १९ मार्च, १९७५ की कार्य-सूची में मद संख्या १० पर सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, हिम्मत-सिंह तथा श्रीनारायण द्वारा दी गयी सूचना पर २ घंटे की चर्चा नियत की गयी थी। इस सूचना में शासन पर यह आरोप लगाया गया था कि बिजनौर जिले में कालागढ़ स्थित रामगंगा परियोजना में क्रय की गयी मशीनों को अनुपयोगी सिद्ध करके नीलाम किया गया जिसमें सरकारी धन की बरबादी का आरोप लगाया गया था किन्तु इस मद पर चर्चा के समय माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने अनुपस्थित होकर सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है।

माननीय श्री त्रिपाठी ने इस विषय पर चर्चा प्रारम्भ करने के लिये अपनी ओर से श्री राम प्रकाश त्रिपाठी को प्राधिकृत किया था और इसलिये इस मद पर चर्चा प्रारम्भ करने के लिये श्री राम प्रकाश त्रिपाठी को पुकारा गया। इस पर श्री काशीनाथ मिश्र ने आपत्ति की कि उक्त चर्चा के लिये मांग किये जाने वाले सदस्यों में श्री राम प्रकाश त्रिपाठी का नाम नहीं है, अतः नियमानुसार उनको चर्चा प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मैंने सम्बन्धित नियम को पढ़ने के उपरान्त श्री राम प्रकाश त्रिपाठी को चर्चा आरम्भ करने की अनुमति न देते हुये सूचना देने वाले अन्य सदस्य श्री श्रीनारायण को चर्चा आरम्भ करने के लिये अनुमति दी। श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा पुनः आपत्ति की गयी कि सूचना देने वाले ३ सदस्यों में से केवल १ उपस्थित है। इससे लगता है कि सदस्यों की इस समस्या में रुचि नहीं है। इस पर मैंने चर्चा को स्थगित कर दिया।

अब माननीय काशीनाथ जी, आप कृपया यह बतायें कि यह बनता कैसे है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

एक दो मिनट मान्यवर, मुझे सुन लें.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

पहले २ मिनट हमें आप सुन लें। ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जब कोई सदस्य किसी चर्चा की सूचना दे तो उसके लिये आपके अनुसार नियम में पाबन्दी है कि वह हाउस में बैठा रहे। यानी अनिवार्य उपस्थिति के सिद्धान्त के प्रतिपादन में आपका दृष्टिकोण चल रहा है।

(व्यवधान)

*श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं आपको बतला दूं कि इसे मैं सदन का अवमान कैसे समझता हूं। कोई माननीय सदस्य जब कोई प्रश्न करें या कोई चीज लिख कर दें और इसको माननीय अध्यक्ष स्वीकार करें चर्चा के लिये, या प्रश्न के रूप में कोई आरोप प्रश्नावली की सूची में हो और जब आप उस सदस्य का नाम पुकारें तो वह सदन में उपस्थित न हो तो यह कंटेम्प्ट आफ दि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाउस है। इस तरह की व्यवस्था लोक सभा में हो चुकी है। यहां पर भी इस तरह से हमारे सदन का अवमान हुआ है। सदन के ऊपर सरकार का रुपया खर्च हुआ है चर्चा के लिये और जिस तरह से माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने लाखों रुपये के घोटाले और गड़बड़ी का आरोप सरकार के अधिकारियों के खिलाफ लगाया है, वे कहते हैं कि लाखों रुपये की सम्पत्ति कालागढ़ में सरकारी अधिकारियों द्वारा बेची गयी है और जब इस तरह के गम्भीर आरोप हैं जिन पर चर्चा के लिये आपने दो घन्टे का समय भी निर्धारित कर दिया और उस पर चर्चा शुरू होने के वक्त माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जैसे आदमी जो जनसंघ के नेता हैं—जनसंघ के नेता ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में जो एक राष्ट्रीय दल है उसके भी नेता हैं, ऐसे गम्भीर आरोप लगा कर सदन से उनका अनुपस्थित रह जाना यह कोई साधारण बात नहीं है। [* * * *] मेरे पास लिखित सूचना है कि केवल एक यही बात नहीं है, माननीय सदस्य जनसंघ के जो श्री हरीश कुमार गंगवार हैं उन्होंने भी कई मौके पर बरेली के जिलाधिकारी के खिलाफ सवाल उठाया लेकिन जब उनका नाम पुकारा गया तब वे गैरहाजिर पाये गये। मैं कहता हूं कि इस तरह के सवाल सदन में उठा कर फिर गैरहाजिर हो जाना यह सदन का अवमान है। लोक सभा में इस पर व्यवस्था हो चुकी है कि अगर कोई सदस्य प्रश्न देकर सदन में उपस्थित न रहे तो यह कंटेम्प्ट आफ दि हाउस है।

श्री अध्यक्ष—

लोक सभा में यह व्यवस्था कब हुई थी? यह तो बतला दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस समय तो मेरे पास नहीं है। आपको मैं लिख कर दे दूंगा।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, एक बात मैं कहूं कि आपने बड़ी कृपा की जो कालागढ़ के सम्बन्ध में चर्चा के लिये दूसरा अवसर दे दिया और सम्भवतः मैं उस दिन उपस्थित रहूंगा। स्थिति तो वे जानते नहीं और उन्होंने इस तरह से कह दिया। नियमों में यह लीडर के लिये कोई जरूरी नहीं है कि वह हर बात में खड़ा होता रहे। जो दूसरे साथी हैं उनको भी अवसर देना चाहिये, बोलने का और इसी खयाल से दो और साथियों का नाम उसमें था कि कदाचित उनको अवसर मिल जाय चर्चा प्रारम्भ करने का। और इसी खयाल से हमारे साथी श्री श्रीनारायण जी का भी नाम था जिनको हम लोग मुलई भाई कहते हैं। तो स्थिति ऐसी थी कि हम चाहते तो चर्चा कर लेते लेकिन जैसा कि श्री काशीनाथ मिश्र ने मेरे लिये सौदेबाजी करने का प्रश्न उठाया है, यह तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न उठाया है। ..... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह हमारी नियमावली में है। नियमावली को आप पढ़ लें।

(व्यवधान)

[* * * *] श्री अध्यक्ष द्वारा २४ मार्च, १९७५ को दिये गये निर्णय के अनुसार निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपलोग हल्ला मचायेंगे तो मैं अकेला सबसे ज्यादा हल्ला मचा सकता हूं। आदरणीय सदन में बोलने का नियम है और कल मैंने पढ़कर बतलाया था। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को कत्तई अधिकार नहीं था कि वे किसी दूसरे सदस्य को प्राधिकृत करके चले जाते। मान लीजिये हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में मैं कोई मुकदमा करने जा रहा हूं, किसी के ऊपर आरोप लगाता हूं तो यह नहीं हो सकता कि मेरे बदले में कोई दूसरा व्यक्ति उस आरोप को लगावे या किसी तरह का सवाल करे। इसके लिये मैं किसी को प्राधिकृत नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं इस स्तर तक नहीं उतर सकता जिस स्तर तक श्री काशी नाथ जी उतर गये। मैं मानसिक रूप से उद्वेलित था इसलिये चला गया था और उपस्थित नहीं था। मैं अपने दो साथियों को दे गया था कि चर्चा करते। मैं एक सौदे बाजी नहीं, अरबों की सौदे बाजी रखूंगा, आपके खिलाफ नहीं बल्कि बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ सौदे बाजी रखूंगा। लेकिन यह अवसर नहीं है। मैंने आपसे पहले क्षमा मांगी कि उपस्थित नहीं था और उसके अनेक कारण थे। यहां तो नियमानुसार हमारे बराबर सब हैं और चर्चा प्रारम्भ कर सकते थे। इसमें नई बात नहीं है। वैसे जो आप उचित समझें, वह करें।

(श्री काशी नाथ मिश्र के खड़े होने पर शोर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, काशी नाथ जी का दोष नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, हम तो इंतजार करते हैं कि यह लोग छेड़ दिया करें। मान्यवर, स्थिति ऐसी है कि कभी श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी बोलने के लिये खड़े हों तो मैंने अपने माननीय सदस्यों को बीच में बोलने के लिये रोका है। कल बस्ती के लोगों को कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इनको कहना चाहिये कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब पार्टी के लीडर बोलें तो ऐसा नहीं करना चाहिये। इन्होंने एक आरोप भी लगा दिया कि हम सौदे बाजी करते हैं। १८ वर्ष के जीवन में सौदे बाजी का प्रथम आरोप श्री काशी नाथ ने लगाया है।

श्री काशी नाथ मिश्र---

मान्यवर, कोई भी बात होती है तो उसका तार्किक परिणाम निकाला जाता है। कोई अधिकारी अनुपस्थित हो जाय तो हमारा जैसा आदमी, जो थोड़ा पढ़ा-लिखा हो, यह परिणाम निकालने केलिये मजबूर हो जाता है कि इसमें कोई चाल है, कोई सांठ-गांठ अधिकारी से तो नहीं हो गयी है।

श्री अध्यक्ष---

यह आपका स्वभाव है, यह आपको मुबारक हो। लेकिन विशेषाधिकार हनन का सवाल कैसे बनता है। आप कहते हैं कि लोकसभा की रूलिंग देख लें। तो ठीक है, देख लेंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, काशीनाथ जी ने कहा कि फलां नहीं होते तो फलां को कैसे अधिकृत कर देते हैं। मैं स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं कि जिस मंत्री को वक्तव्य देना रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में दूसरे मंत्री उत्तर देते हैं। क्या यह परम्परा सही मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये व्यवस्था है और नियम में भी है। लेकिन जो कोई विशेषाधिकार का सवाल बनता है उसको रहना चाहिये। उसको अब देखेंगे। माननीय सदस्य ने लोकसभा की कार्यवाही में देखा है तो उसको देख लेंगे। अभी इस पर निर्णय नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, नियम ५६ में जो दिया गया उसमें कल श्री नारायण जी थे तो कैसे लांछन बनता है। यह जान बूझकर आरोप कैसे लगाया ? जब तीन में से एक उपस्थित है तो अनुपस्थित होने का कोई सवाल नहीं होता है। इस प्रकार चर्चा होनी चाहिये थी। आपने किस आधार पर स्थगित किया या इस आधार पर स्थगित किया कि माधव बाबू नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने क्यों स्थगित किया, वह दृष्टिकोण दूसरा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने तो एक सीधी सी बात रखी कि तीन सिगनेटरीज थे। उनमें से एक लेट आये, तीसरे ने प्रारम्भ कर दिया। अगर आप समझते हैं कि बनता है तो प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रीनारायण जी थे और मैंने उन्हें बोलने के लिये कहा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

वह खड़े नहीं हुए। राम प्रकाश जी खड़े थे। दो आदमी थे नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं कि श्रीनारायण जी जिस ग्रामीण बोली में बोलते हैं तो हमें फिर समझाना पड़ता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

तो हम क्या करें ? जो नियम है.....

श्री अध्यक्ष--

मैं कब कह रहा हूं कि नियम के विरुद्ध है। मेरे प्राग्दर्शन में नहीं बनता है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लोक सभा की कार्यवाही में ऐसा है तो हम देखेंगे। अगर वह इस तरह की कोई रूलिंग दिखायेंगे तो हम विचार करेंगे लेकिन यह नहीं है कि मैं उससे सहमत ही हो जाऊं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इस हाउस की जो परम्परा है उसको भी ध्यान में रखें।

श्री अध्यक्ष--

आपको हाउस की परम्परा स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी इनका ध्यान रखें।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

जब हम थे तो बोल लेते। माननीय हिम्मत सिंह थे और थे, सब बोल लेते।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिस्तौल सहित एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा तथ्य छिपाने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय सत्यपाल मलिक, मोतीलाल देहलवी और मुहम्मद असरार अहमद ने दिया है। दोनों का एक ही विषय है। अतः उनको एक साथ ले रहे हैं। श्री सत्यपाल मलिक एवं श्री मोतीलाल देहलवी ने सूचना दी है कि १९ मार्च, १९७५ को विधायकों द्वारा मांग किये जाने पर कि सदन को बताया जाय कि इलाहाबाद में पकड़े गये पिस्तौलधारी नवयुवक के राजनयिक सम्बन्ध क्या हैं, माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्यों का कहना है कि कल ही दिल्ली के समाचार पत्रों, विशेषकर स्टेट्समैन में छपा है कि पुलिस की सूचना के अनुसार अभियुक्त की हमदर्दी कांग्रेस के साथ है और इलाहाबाद के अनेक व्यक्तियों ने भी बताया है कि अभियुक्त सत्ता कांग्रेस से सम्बन्धित है। माननीय सदस्यों का भी कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को यह भी नहीं बताया कि अभियुक्त हाई कोर्ट में इतने अन्दर तक सूचना विभाग की निदेशक कुमारी सरला साहनी के साथ गया था। सूचना देने वाले माननीय सदस्यों का यह कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने जान-बूझकर गलत सूचना दी है और तथ्यों को छिपाया है। अतः उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उपस्थित करने के अपने मन्तव्य की सूचना दी है। इसी सूचना से मिलती जुलती एक अन्य सूचना श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री मधुकर दिघे तथा श्री रामआधार से प्राप्त हुई है। उनका भी कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने १९ मार्च, १९७५ को उपर्युक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में जो बयान दिया है उसमें तथ्यों को जान बूझकर छिपाने का प्रयास किया है और इस आधार पर उन्होंने भी माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में १९ मार्च, १९७५ को यह कहा था कि "अभी तक गोविन्द मिश्र को राजनीतिक सम्बन्ध की जानकारी नहीं हो पायी है" और बाद में श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा यह पूछे जाने पर कि अभियुक्त जिस अखबार का सम्पादक है क्या उसके लिखने से ऐसा आभास होता है कि यह व्यक्ति किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा को रखता है मुख्य मंत्री ने कहा कि 'इस सम्बन्ध में कुछ भी इस समय कहना उचित नहीं होगा'। इससे स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो कुछ भी कहा उससे गलत बयानी सिद्ध नहीं होती। उन्होंने अभी अन्तिम उत्तर नहीं दिया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

पहले आप मलिक साहब को सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना यह है कि जानबूझ कर गुमराह किया लेकिन कार्यवाही देखने से तथ्य यह है कि माननीय मुख्य मंत्री का कहना है कि इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना इस वक्त उचित नहीं होगा ।

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मुझे भी कुछ कहना है ।

श्री अध्यक्ष--

संकलित कार्यवाही आपके सामने है । अब आप कह सकते हैं ।

श्री सत्यपाल मलिक--

यह बतलाया गया कि अभी तक उसके राजनीतिक लगाव व राजनीतिक सम्बन्धों की जानकारी नहीं है । अखबार की बात नहीं कहता, स्टेटमेंट में यह छपा है कि पुलिस तथा अन्य स्रोतों से जानकारी हुई । इसके अलावा जो इलाहाबाद की राजनीति में दिलचस्पी और जानकारी रखने वाले लोग हैं उन्होंने यह बतलाया कि उसका सम्बन्ध कांग्रेस से है । इस घटना के दिन ही तमाम जानकारी केन्द्रीय सरकार के सामने पहुंच गयी होगी । बहुत मामूली जानकारी भी मुख्य मंत्री जी को रहती है । लेकिन इस युवक के राजनीतिक सम्बन्धों के बारे में जानकारी जब कि वह इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं मुख्य मंत्री जी को नहीं है इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । एक दिन व एक रात के इन्टरोगेशन के बाद भी वह जवाब देते हैं कि उसके राजनीतिक सम्बन्धों के बारे में जानकारी नहीं मिली है तो हैरत होती है । पुलिस की जो अनुसंधान शाखायें हैं वे इन्टरोगेट करती हैं तो यह तो मोटी सी बात है कि गिरफ्तार होने के फौरन बाद ही उनको जानकारी हो सकती थी जब कि अखबारों में सब चीज छप गयी । माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि इसकी जानकारी उनको नहीं है, सही नहीं है । मेरा कहना है कि उनकी गिरफ्तारी होने के फौरन बाद जानकारी उनको थी । इससे साफ प्रिविलेज का प्रश्न, दूसरा हो नहीं सकता । कहीं उसका सम्बन्ध विरोधी पक्ष से होता तो अब तक हाय तोबा मच गई होती लेकिन चूंकि उसका सम्बन्ध कांग्रेस पार्टी के साथ है इसलिये जिक्र नहीं किया गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूं और इस सारे मामले से कुछ निष्कर्ष निकालना चाहता हूं । अभी हमारे मलिक जी ने बहुत सुन्दर तरीके से सारी चीज की विवेचना आपके सामने की और हमारे मुख्य मंत्री जी को यह सूचना दी कि उसका एसोसियेशन किससे था । यह सभी को मालूम है कि वहां तीन गोल हैं और एक महीने पहले इलाहाबाद में इन तीनों गोलों की बन्दूक से फायर चले । चाहे प्रान्त हो अथवा केन्द्र हो सभी को विदित है कि इन गोलों के नेता आपस में द्वेष भावना एक दूसरे के प्रति रखते हैं, उनकी आपस में पटरी नहीं खाती । मेरा जैसा छोटा आदमी भी यही निष्कर्ष निकाल रहा है कि इसमें जरूर कुछ रहस्य है जिससे यह बात खोली नहीं गयी है वर्ना बड़े-बड़े आदमी इन्वाल्व हो जाते । मेरा जैसा गरीब आदमी यह निष्कर्ष निकाल रहा है । लिहाजा यह इतना गम्भीर प्रश्न है कि इसे स्वीकार किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय सत्य पाल मलिक ने जो विशेषाधिकार का नोटिस मुख्य मंत्री के खिलाफ उठाया है मेरा निवेदन है कि इलाहाबाद के वर्तमान जिलाधिकारी और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय। गिरफ्तारी के तुरन्त बाद गोविन्द मिश्रा ने जो वक्तव्य दिया, पुलिस अधिकारियों को वह यही था कि वह कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और पिता स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और उनकी सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के साथ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें यह कहा कि गिरफ्तार युवक के राजनीतिक सम्बन्धों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो जहां तक इरादे का प्रश्न है, इससे मैं भी सहमत हूं कि उसका माननीय न्यायाधीश लक्ष्य हो, राजनारायण जी उसका लक्ष्य हों, पीलू मोदी उनका लक्ष्य हो ....लेकिन जहां तक राजनैतिक प्रश्न है, उसकी गिरफ्तारी के तुरन्त बाद पुलिस अधिकारी को इस बात की सूचना थी. . . . .

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह तथ्य बता रहे हैं. . . . . .

एक सदस्य--

माननीय सदस्य को यह बयान कहां से मिला. . . . . .

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

यह विश्वस्त सूत्र से पता चला होगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह जो कहा है उसमें विशेषाधिकार का सवाल आता है अथवा नहीं, यह प्रश्न है. . . . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जानबूझकर जो सूचना आई उसको उन्होंने छिपाया है और अगर उनके पास सूचना नहीं आई तो वहां के पुलिस अधीक्षक एवम् जिला अधिकारी ने जानबूझकर छिपाया।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं केवल एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि मुख्य मंत्री जी को जो सूचना उपलब्ध थी, उसके आधार पर उन्होंने सदन को अवगत कराया। स्वयं मालवीय जी एक अच्छे वकील हैं और वह यह जानते हैं कि यह अपराधी का बयान था और उसकी प्रमाणिकता के आधार पर मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, यह मैं समझ पाने में असमर्थ हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

अपराधी का बयान कभी-कभी मंत्रियों के बयान से ज्यादा स्पष्ट होता है।

श्री रामायण राय--

कहा गया है कि यह स्वतन्त्रता सेनानी का पुत्र है। अगर यह सही भी हो तो उधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी स्वतन्त्रता सेनानी बैठे हुये हैं। तो यह बात कहना कि स्वतन्त्रता संग्राम के सभी सेनानी कांग्रेस के सदस्य होंगे, यह बात भी मेरी समझ के परे है. . .

श्री सत्यपाल मलिक--

जो भी बयान है, वह सदन के सामने आना चाहिये था।

श्री रामायण राय--

जब कोई आदमी गम्भीर अपराधों में फंस जाता है तो अपने बचाव के लिये वह कुछ ऐसी बातें करता है जिससे भ्रम फैले और उसने शासक दल को बदनाम करने के लिये ऐसा बयान दिया हो कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन उसके आधार पर भी कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके आधार पर विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है.....

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, यह जो कहा गया है कि मुख्य मंत्री जी ने हाउस को मिसलीड किया है तो मैं कहता हूं कि भाई सत्य प्रकाश जी ने जो उसी जिले के रहने वाले हैं और मेरे मित्र हैं उन्होंने मिसलीड किया है क्योंकि उसका पिता..... (व्यवधान) वह खुद ही मिसलीड कर रहे हैं। इसलिये उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है उस पर विचार किया जाय। अगर कहियेगा तो मैं लिख कर दे दूंगा इसलिये माननीय सदन का समय बरबाद न किया जाय।

(श्री मधुकर दिघे बीच-बीच में बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष--

मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे अवसरों पर जब ऐसी कोई बात आयी है और किसी दल के किसी व्यक्ति के नाम का सवाल आया है सर्वसम्मति से यह हुआ कि किसी का नाम न लिया जाय और दल का सम्बन्ध न बताया जाय। कल मुख्य मंत्री जी ने बताया..... (व्यवधान)। चाहे किसी भी दल का हो, यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। इसको मैं खारिज करता हूं..... (व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े हो गये और एक साथ बोलने लगे)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आपका जो फैसला होगा.....

श्री अध्यक्ष--

फैसला मैंने कर दिया। आप कार्यवाही देख लें। हमेशा यह माना गया है कि कोई भी पार्टी हो, उसका नाम नहीं बताया गया है।

श्री मधुकर दिघे--

[* * *]

[* * * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

दूसरा जो प्रश्न है उस पर यदि आपको बोलना हो तो आप कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

[* * * * *]

खेलकूद मंत्री के सदन से बाहर बयान देने के सम्बन्ध में संवैधानिक आपत्ति

श्री अध्यक्ष--

राजनीतिक प्रश्न यहां नहीं होगा। दूसरा एक संवैधानिक आपत्ति का प्रश्न है... (घोर व्यवधान)। इनका कुछ नहीं लिखा जायेगा.....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

आपको सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

राजनीतिक सवाल सदन में नहीं, बाहर आप ले जा सकते हैं..... (घोर व्यवधान)। एक संवैधानिक आपत्ति माननीय खेल कूद मंत्री के खिलाफ उठायी गई है। इसमें औचित्य का प्रश्न जरूर है माननीय मंत्री जी को औचित्य को ध्यान में रखकर करना चाहिये था। इसमें कोई असंवैधानिकता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

कार्य सूची ६, माननीय स्वायत्तशासन मंत्री.....

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, १९७५

(शोर के बीच)

न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की आज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल संम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की आज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ५७३-६२० पर)

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिस्तौल सहित एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा तथ्य छिपाने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

[* * * * * * *]

श्री अध्यक्ष--

किसी को इजाजत नहीं है। कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

[* * * * * * * *]

श्री अध्यक्ष--

किसी को इजाजत नहीं दूंगा। (व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री राम अधार--

[* * * * * * * *]

श्री अध्यक्ष--

अब मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह व्यवस्थित हो जायं (व्यवधान) अगर नहीं बैठते हैं तो मैं १० मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय १२ बजकर ३५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ। १२ बजकर ४५ मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचना दी कि श्री अध्यक्ष ने सदन को और १५ मिनट के लिये स्थगित कर दिया है। मार्शल ने पुनः सदन को सूचना दी कि श्री अध्यक्ष ने सदन को और १० मिनट के लिये स्थगित कर दिया है। १ बजकर १० मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री।

श्री मधुकर दिघे--

आपने मुझे बोलने का आदेश दिया था और मेरा नाम पुकारा इस बीच में एक आदमी उधर से बोल लो।

श्री अध्यक्ष--

अब वह प्रश्न नहीं है।

श्री मधुकर दिघे--

जब आपने मेरा नाम पुकारा।

श्री अध्यक्ष--

वह अव्यवस्था के कारण है।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री मधुकर दिघे--

मैं उन हस्ताक्षरकर्ताओं में से हूं.....

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। चौधरी साहब कहेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

चौधरी साहब से हमारी बातचीत नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---

यदि आप कहें तो मैं दस मिनट के लिये सदन स्थगित कर दूं। आप लोग बातचीत कर लें।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों का कहना यह है कि मुझे पूरी बात मालूम नहीं है इसलिये उनको कह लेने दीजिये।

श्री मधुकर दिघे--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दो मुख्य बातों पर लाना चाहता था। एक तो यह कि एक आदमी किस तरह से वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते वक्त वह अपने साथ किन-किन लोगों को ले गया था। वह किन-किन के पीछे गया। यह तथ्य छिपाया गया। इसलिये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न में जहां गलत बयानी है वहां तथ्य छिपाना भी है। अब तथ्यों को छिपाने का क्या नतीजा निकल सकता है? जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तो सब से पहले लार्ड माउंट बैटन को इत्तिला हुई तो उनके दिमाग पर असर हुआ कि कहीं ऐसे आदमी ने तो यह काम नहीं किया जो हिन्दू न होकर मुसलमान हो। लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि एक हिन्दू ने किया, उन्होंने समझ लिया तो चैन की सांस ली और कहा कि खुदा का शुक्र है।

श्री अध्यक्ष--

जाति बताई किसी दल का नाम नहीं बताया। जाति तो इस देश में स्पष्ट ही होती है।

श्री मधुकर दिघे--

ऐसा कोई व्यक्ति जिसका दिमाग खराब हो या इरादतन गया हो। चाहे प्रधान मंत्री हों, चाहे जज हों जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित थे, देश के महान नेता थे, उनके ऊपर हमला करने के इरादे से गया हो और उन तथ्यों को जिनको छिपाना नहीं चाहिये उन तथ्यों को मुख्य मंत्री को सामने लाना चाहिये था। उसको न लाकर के देश में एक भावना फैला दी गयी कि कहीं न कहीं प्रधान मंत्री की हत्या करने की साजिश थी। अगर सारे तथ्य सामने आये होते तो हमारा दिमाग बनता कि यह व्यक्ति किस व्यक्ति की हत्या कर सकता था। प्रधान मंत्री की हत्या करने जाता तब भी बहुत बुरा है। मान्यवर, तो इन लोगों को शारीरिक नुकसान होता लेकिन हमारी तो वर्षों की तपस्या नष्ट हो जायेगी। इसलिये हमारी प्रेस्टीज एट स्टेक इन लोगों से ज्यादा है। इसलिये मैं कहना चहता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं छिपाये गये। वह एक सरकारी अधिकारी के साथ, एक नहीं बल्कि दो-दो अधिकारियों के साथ गया।

श्री अध्यक्ष--

यह बात कही जा चुकी है। यह पुनरावृत्ति है।

चौधरी चरण सिंह--

अब वह बात खत्म करने जा रहे हैं। आपके सामने मुख्य मंत्री जी ने कुछ बताया है। माननीय दिघे जी को वह मालूम है। उन्हें कह लेने दीजिये। वे बड़ी मृदु भाषा में कह रहे हैं।

श्री मधुकर दिघे--

जब वह उन अधिकारियों के साथ जा रहा था तो झोला हिला रहा था और जो संयंत्र वहां लगा हुआ था वह संयंत्र बावजूद रिवाल्वर के झोले मे होते हुये पकड़ नहीं पाया। जब गोविन्द मिश्रा वापस किया गया तो पकड़ा गया है। अगर कोई घटना हो गई होती तो देश पर कलंक लगता, सरकार पर कलंक लगता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अतः इसको छिपाना विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। मैं अत्यंत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गलत बयानी पर जा रहे हैं और मैं तथ्यों को छिपाने की बात कह रहा हूं।

(माननीय मुख्य मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मुझ पर भी तो मेहरबानी करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप हमारे ऊपर मेहरबानी करें ..... (व्यवधान).....

श्री राम अधार--

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आप सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता। जो बात तय हो गई यहां या वहां, उस पर अड़ना नहीं चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, एक चीज मुझे भी कहनी है। मान्यवर, चौधरी साहब ने क्या बात कही, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। मान्यवर, मुझे भी दो मिनट का अवसर दें। ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक को इजाजत दे दिया और किसी को इजाजत नहीं दूंगा। अगर माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम है तो १० मिनट के लिये मैं फिर स्थगित कर दूं, तय कर लीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

(व्यवधान)..... मान्यवर, जब वह कह चुके थे कि हम कांग्रेस के हैं और हमारे बाप भी कांग्रेस के थे..... (व्यवधान)...

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बहस किस लिये हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--

जो बात एक बार तय हो जाती है, उसी के अनुसार मैं उनको समझाता हूं.... (व्यवधान)..... मैंने माननीय दिघे जी को मौका दे दिया..... (व्यवधान)।

श्री मोती लाल दूहलवी--

मान्यवर, जो बात तय हो गई, वह तो हम शिरोधार्य करेंगे ही, लेकिन आप कृपा करके सुन तो लीजिये। आप मेहरबानी करके सुन तो लीजिए।.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं किसी दल को सुनने के लिये तैयार नहीं हूं, या तो नियमों से चलेगा सदन या नहीं चलेगा। मैं यह चेतावनी देता हूं कि जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन से तय हुआ है उसी तरह से कार्यवाही होगी।.....

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

आपकी चेतावनी का कोई डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस सदन को न्याय की व्यवस्था को कुंठित करने का हथियार नहीं बना सकता। सवाल यह है कि मैंने आपको मौका दे दिया। एक मर्तबा सुन लिया। मैंने उसको अस्वीकार कर दिया।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मैंने जो कुछ भी इस सदन में कहा है वह न सिर्फ इस सूचना पर आधारित है बल्कि और कुछ कहना न्याय और व्यवस्था में व्यवधान डालना होगा। मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मेरे भाषण में कौन सा कांटा है जो समय नहीं देते हैं।

श्री राम अधार--

आरोप में मेरे भी दस्तखत हैं (बोलना जारी रखा)।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी से कह सकता हूं, माननीय नेता विरोधी दल के बोलने के बाद।

श्री राम अधार--

मेरा दस्तखत है।.....

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल नहीं है। जुर्म का सवाल उठाया गया है। वह कार्य स्थगन अथवा विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न नहीं है। वह अदालत का प्रश्न है। राजनैतिक झगड़े के स्वरूप को वहां ले जाना चाहिये।

श्री मीतीलाल देहलवी--

यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस तरह की इजाजत नहीं देता। मैं इजाजत दूंगा नेता विरोधी दल को।

चौधरी चरण सिंह--

अब मैं क्या अर्ज करूं। २ मिनट में देहलवी जी बोल लेते और ५ मिनट में बोल लेते माधव प्रसाद त्रिपाठी जी।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं। इधर से भी लोग खड़े हो जायेंगे। आपने कहा कि दिघे जी बोल लें। जो मसला है, उसकी जो नजाकत है, डेलीकेसी है, आप बेहतर जानते हैं। तफतीश चल रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ? ऐसी हालत है।

श्री राम अधार--

आपने जान बूझ कर साजिस में आकर सदन का समय लिया है और आप चाहते हैं माननीय मुख्य मंत्री को बचाना।

श्री अध्यक्ष--

यह आरोप है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

अध्यक्ष महोदय, आप मेरी भी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी को इजाजत नहीं देता बोलने की, नेता सदन और नेता विरोधी दल के अलावा। नेता विरोधी दल को समय दूंगा।

श्री मोती लाल देहलवी--

मुझे समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं मजबूर हूं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं उनको करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि मेरे कक्ष में जो बात तय हो जाये, चाहे उसमें जो कुछ भी हो, वह हो।

चौधरी चरण सिंह--

सिर्फ सवाल यह है कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। अब नेता सदन को बोलने की इजाजत दें। वह कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं जब किसी के सम्बन्ध में, किसी केस में इनवेस्टीगेशन जारी होता है, और वह व्यक्ति अभी पुलिस में रिमान्ड में है, जुडीशियल कस्टडी में नहीं गया, उससे पूंछतांछ जारी है तो उसके सम्बन्ध में कोई भी बात कहना, क्या बयान दिया, आधे घंटे के बाद क्या कहा और एक घंटे के बाद क्या कहा तो यह न तो वाजिब है और न किया जा सकता है। दूसरी बात "स्टेट्समैन" का न तो मैं एडिटर हूं और न कौरसपौन्डेन्ट। उसकी जिम्मेदारी "स्टेट्समैन" की है। तीसरी बात, आपकी राय होगी, कौन अखबार गैर जिम्मेदार है, मैं तो किसी को गैर-जिम्मेदार नहीं मानता हूं। मेरी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। व्यक्तिगत आधार पर अपनी जानकारी के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी बात कह सकता है लेकिन मुझ से मुख्य मंत्री के रूप में कोई प्रश्न पूछा गया उसका मैंने उत्तर दे दिया है। मेरी जानकारी में क्या-क्या है उससे मामले पर दूसरा भी असर पड़ सकता है। जिस समय वह पकड़ा गया जो वाजिब था, वह मैंने कहा। न मैंने कोई तथ्य छुपाने की कोशिश की और न ही सदन को गुमराह करने की कोशिश की।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, ये अब भी तथ्यों को छुपा रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह--

इन्टैरोगेशन तो अभी कुछ अर्से तक चलेगा और हो सकता है कि आज जो कुछ वह कह रहा है, कल उसको बदल दे तो कन्क्लूजन में ही फर्क पड़ जायगा। तो जहां तक इन्टैरोगेशन की बात है, वह तो सही है। माननीय मालवीय जी ने बताया कि एक्युज्ड ने कोई बयान दिया है, पुलिस का इन्टैरोगेशन तो बाद में होगा, तो जो बयान दिया गया उसे बताने में तो कोई हानि नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उस बयान को जाहिर करने में कोई आपत्ति वाजिब नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, उनको जो कुछ उसने कहा है, उसको सदन के समक्ष रखना नहीं चाहता हूं, न रख सकूंगा और न यह संभव है, मुनासिब भी नहीं है। ऐसे बयानात की कोर्ट भी नोटिस नहीं लेती है।

चौधरी चरण सिंह--

हर क्रिमिनल केस में एफ० आई० आर० फौज होती है और वह पढ़ कर सुनाई भी जाती है। इस केस में जो इन्वैस्टिगेशन हुआ है, वह न बताइये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

एफ० आई० आर० इस समय मेरे पास नहीं है। अगर नेता, विरोधी दल, चाहेंगे तो मैं उसे मंगाकर उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

तो मान्यवर, तब तक के लिये जो प्रश्न उठाया गया है, उस पर अपनी स्टैंड बदल दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अगर माननीय सदस्य को कोई खुद की जानकारी हो तो वे बयान करें कि एफ० आई० आर० में यह लिखा है कि इससे कांग्रेस से सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जो बयान श्री गोविन्द मिश्रा ने पुलिस वालों के सामने तुरन्त पकड़ने के बाद दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि उसके पिता एक पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और वे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने उसमें यह भी कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का हमदर्द हूं और उससे सहानुभूति भी रखता हूं। इस तथ्य को माननीय मुख्यमंत्री ने और इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानबूझकर छुपाया है, इसीलिये यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

अब हम आगे चलते हैं, अब वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक पर चर्चा होगी। प्रश्न आप पूछ सकते हैं लेकिन प्रश्न पूछने की विधि और विशेषाधिकार की अवहेलना के सवाल में अन्तर है, स्पष्टीकरण आप चाहें तो मैं करा सकता हूं लेकिन अगर आप प्रश्न चाहते हैं तो उसके लिये तो सूचना देनी होगी।

माननीय माधव प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते थे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

दो विषयों में मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्रिविलेज का जो प्रश्न आया इसमें तो मुझे इतना ही कहना है कि आज जैसी स्थिति है उसको देखते हुये कांग्रेस सारे जन समाज का ध्यान दूसरी ओर खींचना चाहती है और मुझे अपने मन में शंका रहती है कि इस प्रकार का वितंडावाद खड़ा कर के या तो वही लोग उसके पीछे हैं या सारी जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं। अगर दूसरा दल इसमें शामिल होता या दूसरे दल का नाम भी ले लिया होता या १० वर्ष पहले भी संबंधित होता तो मुख्य मंत्री जी पहले ही कह देते। जैसा कि "स्टेट्समैन" में निकला है अगर यह पहले ही मालूम हो गया कि वह कांग्रेस का सदस्य था, उसका बाप स्वतंत्रता सेनानी था तो यह भ्रम दूर करने के लिये पहले ही सदन में क्यों नहीं रख दिया? मालूम हुआ पहले दिन और सदन में कहा दूसरे दिन। यह बात भी सही है कि बिना सरकार की कनाइवेन्स के कभी वह व्यक्ति उस जगह नहीं पहुंच सकता था। अगर कोई यह कहे कि वहां मेटल डिटेक्टर रख दिया गया उसने पता लगा लिया तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि वह तो पहले नहीं गया। अगर वह सीढ़ी से आतीं, उन्हीं पर लक्ष्य होता तो पता नहीं क्या करता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप अटकल लगा रहे हैं, कोई व्यक्तिगत संज्ञान के तौर पर बात नहीं कह रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सिवाय इसके कि कांग्रेस सरकार की ढिलाई है और क्या हो सकता है । हो सकता है कि कांग्रेस के लोग ही इसमें हों । अभी एक मिश्रा हैं राज्य सभा में, उन्होंने और कुछ नहीं बना—वैसे तो सी० आई० ए० और न जाने किन-किन संस्थाओं का नाम लेते हैं—तो कह दिया कि वह तो किसी जनसंघ वाले से संबंधित था । जहां तक मुझे सूचना मिली है वह कांग्रेस वाला है । मैं अगर रेपीट करूं कि कांग्रेस का है, कांग्रेस वालों का हाथ है, कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि समें कुछ गड़बड़ी हो जाय तो मेरा निष्कर्ष गलत नहीं होगा । यह तो प्रिविलेज के बारे में हुआ ।

सदन की कार्यवाहियों की जांच के लिये समिति गठित करने की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

दूसरे विषय के बारे में, मैंने कल आपको एक प्रार्थना-पत्र दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे नहीं मिला कोई प्रार्थना-पत्र ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कल एक दिया था ३०१ में प्रोसीडिंग्स के सम्बन्ध में । मैंने कहा था कि प्रोसीडिंग्स को इन एकार्डेन्स विद ला होना चाहिये और जो नियम ३०३ है इसके मुताबिक बिल्कुल वरबैटिम होना चाहिये । यह जो मैंने अपने मन में शंका व्यक्त इसलिये की कि अखबार में भी दूसरी चीज निकली और इतने सदस्य यहां बैठे हैं इन्होंने भी दूसरी बात सुनी जो मेरी समझ से उतरी नहीं थी । इसलिये मैंने कहा कि वह वरबैटिम होनी चाहिये । मेरा मतलब यह नहीं है कि वह डेलीबरेट है । हो सकता है कि इरोनेन्स हो, हाउस की गड़बड़ी से हो, यह मैं नहीं कहता कि आपकी और सचिव की जानकारी से हुआ, या कोई ऐसी एजेन्सी हो जिसकी जानकारी आपको न हो और उसने गड़बड़ी करायी हो । इन सारी बातों के होते हुये किसी व्यक्ति को पनिश करना या कोई प्रोसीडिंग्स शुरू करना बिल्कुल अन्यायपूर्ण बात होगी । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस सदन की समिति नियुक्त कर दें वह जांच करे हमने गलत कहा या सही । भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो, प्रोसीडिंग्स वरबैटिम, नियम ३०३ के मुताबिक लिखी जायं और तब अगर कोई गलती करे तो सजा दी जा सकती है और तब हमको कहा जा सकता है कि तुम्हारा कहना निराधार है जबकि इसकी पूर्ति हो जाय । आप कृपया एक समिति नियुक्त करें और उसकी जांच के बाद कोई कदम किसी के खिलाफ उठायें, मैं किसी पर कोई लांछन नहीं लगाता हूं किसी पर लांछन न समझें ।

श्री अध्यक्ष—

कल माननीय चौधरी साहब भी हमारे पास आये थे, माननीय चौधरी साहब ने कहा कि आपको लिख कर भी दिया है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं सुन नहीं पा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जो ३०१ के अन्तर्गत सूचना आपने दी है अभी तक वह सचिव के पास नहीं पहुंची है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

वह तो आपके बगल में बैठे हैं, हमने दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

उस पर तो हम निर्णय देंगे, मगर उसे पहले देख तो लें । आपने दिया है, पर हमारे पास वह नहीं पहुंचा.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उसको देख लीजियेगा जो मैंने कहा है ।

(व्यवधान)

विविध विषय

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था, इन्दिरा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस दल के लोग ही साजिश कर रहे हैं मेरी हत्या की तरफ.....(व्यवधान)... जो बयान आया है उससे साफ जाहिर है कि या तो इन्दिरा गांधी को या माननीय राजनारायण की हत्या करने.....

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । अगर आप नहीं बैठेंगे तो मुझे अनुशासन की कार्यवाही करनी पड़ेगी । यह मामला खत्म हो चुका है। इसको बार-बार उठाने की मैं इजाजत नहीं देता । आप कृपा करके आसन ग्रहण करें । (न बैठने पर) मैं दूसरी बार आपसे फिर कहता हूं आप आसन ग्रहण करें । मैं तीसरी बार फिर कह रहा हूं कि आप आसन ग्रहण करें । मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(श्री राम अधार बैठ गये ।)

(श्री राम सुन्दर पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

कल आपने मुझसे यह कहा था कि कल आप बोलें.....

श्री अध्यक्ष--

कल का मतलब आज ही से नहीं है, कल का मतलब जब वह विषय आये, तब ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

एक सदस्य---

हमने नियम ५१ के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ का जब समय आये तब आप कहें। अभी मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

जब ५१ का समय आयेगा उस समय आप क्या हमें मौका देंगे? हमने जो प्रश्न दिया है उस पर केवल वक्तव्य से ही काम नहीं चलेगा.....

एक सदस्य--

नियम ५२ में उसे ले लें।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ में जो सवाल आपने दिये हैं महत्वपूर्ण हैं, पर उसका अभी समय कहां है..... (व्यवधान)

एक सदस्य--

हमने कार्य-स्थगन दिया है.....

श्री अध्यक्ष--

वह स्वीकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

गोरखपुर में जो घटना घटी है उसको नियम ५१ में लेने से काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्ताव कोई स्वीकृत नहीं है। .... (व्यवधान) ..... मैं आपकी बात को सुनने के लिये तैयार हूं लेकिन अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अपने कक्ष में ही अस्वीकार कर दूंगा और किसी को उस पर यहां बोलने का मौका नहीं दूंगा। अभी तो मैं सब को एक-एक, दो-दो मिनट का मौका दे देता हूं, लेकिन बाद में किसी को मौका नहीं दूंगा। मेरा कहना है कि यहां जब बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है तो उसमें आप हर चीज कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

गोरखपुर का मसला बहुत अहम है। केवल १८ तारीख को ही वहां लाठी नहीं चली बल्कि १९ तारीख को भी सेंट एंड्रूज कालेज के सामने लाठी चली और कालेज में घुस कर लड़कों को लाठी से मारा गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य आज सदन का काम चलने नहीं देना चाहते हैं। अगर खड़े हुए माननीय सदस्य एक दो मिनट के अन्दर बैठते नहीं हैं तो फिर मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

हर बार आप कहते हैं कि सदन को स्थगित कर दूंगा, सदन को स्थगित कर दूंगा। इस तरह से व्यवस्था नहीं कायम रह सकती। जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का मसला है, वहां पुलिस ने जो ज्यादती की है, उस पर चर्चा के लिये आपको समय देना चाहिये। केवल नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य दिलाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बतलाऊं कि १९ तारीख को पी० ए० सी० और पुलिस ने विनोद को लाठी से मारा और इतना ही नहीं, उन्होंने अशोक पांडेय और नन्हूं को भी विश्वविद्यालय में घुस कर मारा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

ऐसी स्थिति में अब मैं सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय १ बजकर ४२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १२ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

१९७५-७६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

(श्री राम सुन्दर पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, आपने जो बोलने का मौका दिया है।

(व्यवधान)

(श्री सत्यपाल मलिक, श्री राम सुन्दर पांडेय साथ-साथ बोलने लगे)

श्री सत्य पाल मलिक--

[* * *]

श्री राम सुन्दर पांडेय--

बजट जो इस सदन में (व्यवधान)

श्री सत्य पाल मलिक--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम सुन्दर पांडेय का लिखा जायगा और किसी का नहीं लिखा जायगा।

(श्री राम सुन्दर पांडेय के साथ श्री सत्य पाल मलिक भी बोलते रहे जिससे श्री पांडेय का भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं दिया।)

---

†१९ मार्च, १९७५ की कार्यवाही से।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

इस बजट में सारे प्रदेश के लिये . . . . . (व्यवधान) . . . . । इस प्रदेश की जनता के लिये इस बजट में प्राविधान किया गया है । अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं . . . . . (व्यवधान) . . . . . व्यवस्था की बात है, सबको इसमें योगदान देना चाहिये । आप देखेंगे कि आज प्रदेश के लिये कुछ हो रहा है । मान्यवर, विरोधी दल बैठा रहता है लेकिन आज आप देख रहे हैं . . . . . (व्यवधान) . . . . .मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले कार्यवाही होती थी अध्यक्ष के ऊपर प्रस्ताव लाया जाता था । ३-४ दिन तक बहस होती थी ।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के साथ-साथ श्री सत्यपाल मलिक भी बोल रहे थे-माइक्रोफोन भी बन्द था ।)

श्री अध्यक्ष--

यदि आप (श्री सत्यपाल मलिक) व्यवस्थित नहीं होते हैं तो कुछ करना पड़ेगा।

(श्री सत्यपाल मलिक के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं समझता हूं कि माननीय विरोधी दल के सदस्य बजट पर सामान्य चर्चा नहीं करना चाहते हैं । इसलिये आज के लिये मैं सदन को स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद सदन २ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२० मार्च, १९७५ ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम २९(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०१ पर ।]

१३ फरवरी, १९७५ को बुलन्दशहर जनपद में कर्मचारियों के आन्दोलन के फलस्वरूप बिजली बन्द होने का ब्यौरा :

Feb. 1975	From	To	Remarks
19th/20th	10 P.M. on 19th	4 A.M. on 20th	Night hours.
20th/21st	10 P.M. on 20th	4 A,M. on 21st	do
21st/22nd	12 midnight on 21st	4 A.M. on 22nd	do
22nd/23rd	6 P.M. on 22nd	6 A.M. on 23rd	Including evening hours.
23rd 24th 25th	6 P.M. onwards supply cut off till 8.55 P.M, on 25th		Total supply cut off,

अनुभाग दर्शन पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम २९(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०३ पर]

सूची अभियुक्तगण जो गिरफ्तार किये गये थे

क्रम-सं०	अपराध संख्या	धारा	अभियुक्त का नाम	तारीख गिरफ्तारी	तारीख जमानत
१	२	३	४	५	६
१	९७	७ सी० एल० ए० ऐक्ट	१—कृष्ण बहादुर मिश्रा ..	७—२—७५	जेल में है
			२—श्यामलाल शुक्ल ..	..	१—३—७५
			३—शेर बहादुर सिंह ..	..	..
			४—राम राज	९—२—७५	..
			५—जानकी प्रसाद ..		..
२	९८	,,	१—बृजेश बहादुर ..	७—२—७५	१—५—७५
			२—परशराम	..	..
			३—बड़कऊ		
			४—मलखान सिंह ..		
			५—चित्रकेत सिंह ..		
			६—रमेश दत्त सिंह ..		
			७—नन्द कुमार सिंह ..		
			८—मुमताज अहमद ..		
			९—छब्बर		
			१०—सन्ने		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			११—सन्तोषी	..	..	.
			१२—हसनअली ..	..	,,	,,
			१३—हौसिला ..	..	,,	,,
			१४—हरीशंकर ..	..	,,	,,
३	१०७	,,	१—भगवती प्रसाद ..	..	१२–२–७५	१–३–७५
			२—सावली प्रसाद	..	,,	,,
			३—जोखनलाल ..	..	,,	,,
			४—बालक राम ..	..	,,	,,
			५—गोवर्द्धन ..	..	१२–२–७५	१–३–७५
			६—छेदीराम ..	..	,,	,,
			७—लाल बच्चा ..	..	,,	,,
४	११७	७ सी० एल० ए० ऐक्ट ..	१—रामलखन सिंह ..	..	१७–२–७५	१–३–७५
			२—श्याम बहादुर सिंह	..	,,	,,
			३—मुन्शी सिंह	..	,,	,,
			४—छोटे लाल ..	..	,,	,,
			५—असर्फी लाल	.	,,	,,
			६—छोटे लाल पुत्र भरथरी	..	,,	,,
			७—रामराज ..	..	,,	,,
			८—परमेश्वर ..	..	,,	,,
			९—छेदी ..	..		,,
			१०—राम सुमिरन ..	..	,,	,,
			११—वीरेन्द्र दुबे ..	..	,,	,,
			१२—नन्दलाल ..	..	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	अपराध सं०	धारा	अभियुक्त का नाम			तारीख गिरफ्तारी	तारीख जमानत
१	२	३	४			५	६
४	११७	७ सी० एल० ए० ऐक्ट ..	१३—नन्द किशोर	..	..	१७-२-७५	१-३-७५
			१४—राधेश्याम		..	,,	,,
			१५—सब्दू राम	..	..	,,	,,
			१६—भगोले	..	..	,,	,,
			१७—सन्तराम	..	..	,,	,,
			१८—सन्त राम	..	..	,,	,,
			१९—रामलखन		..	,,	,,
			२०—रामदेव	..	..	,,	,,
			२१—रामतेज	..	..	,,	,,
			२२—बुद्धराम	..	..	,,	,,
			२३—रामलाल	..	..	,,	,,
			२४—हमराज सिंह	..	..	,,	,,
५	१२५	७ सी० एल० ए० ऐक्ट ..	१—रामलखन		..	१८-२-७५	१-३-७५
			२—रामहर्ष विद्रोही	..	..	,,	,,
			३—छोटे लाल	..	..	,,	,,
			४—रामनाथ	..	..	,,	,,
			५—सिद्ध नाथ	..	..	,,	,,
			६—रामदेव	..	..	,,	,,
			७—ओरी लाल	..	..	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

				८—श्यामनरायन	..	..	,,	,,
				९—बुद्धू	..	..	,,	,,
				१०—रमेशलाल	..	..	,,	,,
६	१२८	७ सी०एल० ए० ऐक्ट	..	१—वीरेन्द्र दुबे	..	..	१९—२—७५	१—३—७५
				२—नन्हा	..	..	,,	,,
				३—रामनरेश सिंह	..	..	,,	,,
				४—बदलू	..	..	,,	,,
				५—जोगेन्दर	..	..	,,	,,
				६—रामपाल	..	..	,,	,,
				७—पंचम	..	..	,,	,,
				८—मिश्री लाल	..	..	,,	,,
				९—भगेलू	..	..	..	,,
७	१३१	७ सी० एल० ए० ऐक्ट	..	१—कैलाशनाथ	..	..	२०—२—७५	१—३—७५
				२—पन्नालाल	..	..	,,	,,
				३—रामसिंह	..	..	,,	,,
				४—राजेन्दर	..	..	,,	,,
८	१३९	७ सी० एल० ए० ऐक्ट	..	१—शारदा सिंह		..	२१—२—७५	जेल में है
				२—रक्षाराम	..	..	,,	१—३—७५
				३—भीखू	..	..	,,	,,
				४—स्वामी दयाल	..	..	,,	,,
				५—पाटनदीन	..	..	,,	,,
				६—रमेश्वर प्रसाद	..	..	,,	,,
				कुल योग	..	.. ७९		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०५ पर)।

गाजियाबाद से प्रकाशित उन समाचार पत्रों की सूची जिन्हें वर्ष १९७२–७३, ७३–७४ (दिनांक २५–१२–७४ तक) में सरकारी विज्ञापन दिये गये।

क्रम-सं०	समाचार पत्र का नाम	विज्ञापन देने की तिथि	विज्ञापन की धनराशि	ग्राहक सं०
१	२	३	४	५
		वर्ष १९७२–७३ में	रु०	
१	हिन्दी साप्ताहिक 'गाजियाबाद समाचार' ..	५–७–७२	३४.००	६०० से १,०००
		५–८–७२	६८.००	,, ,,
		२२–९–७२	३७.००	,, ,,
		योग ..	१३९.००	
२	हिन्दी साप्ताहिक 'सौम्य संदेश' ..	५–८–७२	१४९.६०	५,५००
		२२–९–७२	७४.८०	,,
		योग ..	२२४.४०	
३	हिन्दी साप्ताहिक 'युग करवटे' ..	७–५–७३	८५.००	७,२२५
		२३–५–७३	६८.००	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			२६–७–७३	६८.००	,,
			२९–८–७३	६८.००	,,
			२–१०–७३	६८.००	,,
			५–११–७३	१३६.००	,,
			१५–१२–७३	६८.००	,,
		योग ..		५६१.००	
४	हिन्दी साप्ताहिक 'लोक सन्देश'	.. ..	९–११–७३	३७.४०	१,८००
		योग ..		३७.४०	
		वर्ष १९७३–७४ में			
१	हिन्दी साप्ताहिक 'मुक्ति युद्ध'	.. ..	३१–१–७४	६८.००	अनुपलब्ध
			३०–७–७४	९३.५०	,,
			१–११–७४	५०.००	,,
		योग ..		२११.५०	
२	हिन्दी साप्ताहिक 'प्रलयंकर'	.. ..	२४–५–७३	८५.००	३,००० से अधिक
			१२–६–७३	८५.००	,,
		योग ..		१७०.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	समाचार पत्र का नाम	विज्ञापन देने की तिथि	विज्ञापन की धनराशि	ग्राहक सं०
१	२	३	४	५
		वर्ष १९७३–७४ में	रु०	
३	हिन्दी साप्ताहिक 'कण'	१८–४–७३	९३.५०	१,५००
		२२–४–७३	९३.५०	,,
		१७–५–७३	८५.००	,,
		योग ..	२७२.००	
४	हिन्दी दैनिक 'लोक संदेश'	८–९–७३	१८७.००	अनुपलब्ध
		योग ..	१८७.००	
५	हिन्दी साप्ताहिक 'गाजियाबाद समाचार'	७–४–७३	१८७.००	६०० से १,०००
		१०–५–७३	१८७.००	,,
		२६–७–७३	६८.००	,,
		२९–८–७३	३०.६०	,,
		२–१०–७३	३०.६०	,,
		५–११–७३	७४.८०	,,
		२–७–७४	३७.४०	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	५–८–७४	४४.२०	,,
	२६–८–७४	४४.२०	,,
	२३–९–७४	४४.२०	,,
	४–११–७४	४४.२०	,,
	योग ..	७९२.२०	
६ हिन्दी साप्ताहिक 'सौम्य सन्देश'	७–४–७३	२९९.२०	५,५००
	५–५–७३	१७०.००	,,
	२४–५–७३	१७०.००	,,
	३१–५–७३	१७०.००	,,
	७–७–७४	८८.४०	,,
	५–८–७४	८८.४०	,,
	२६–८–७४	८८.४०	,,
	२३–९–७४	८८.४०	,,
	४–११–७४	८८.४०	,,
	योग ..	१,२५१.२०	
७ हिन्दी साप्ताहिक 'युग करवटें	१७–१–७४	१३६.००	७,२२५
	२४–४–७४	८८.४०	,,
	२–७–७४	८८.४०	,,
	५–८–७४	८८.४०	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	समाचार पत्र का नाम	विज्ञापन देने की तिथि	विज्ञापन की धनराशि	ग्राहक सं०
१	२	३	४	५
		वर्ष १९७३-७४ में	रु०	
		२६-८-७४	८८.४०	७,२२५
		२३-९-७४	८८.४०	,,
		४-११-७४	८८.४०	,,
		योग ..	३६६.४०	
८	हिन्दी साप्ताहिक 'लोक सन्देश'	२४-१-७४	१३.५०	१,८००
		३-४-७४	१३.५०	,,
		२६-४-७४	१३.५०	,,
		२-८-७४	४६.५०	,,
		योग ..	३२७.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

नकल तहरीर वादी

श्री मान् थानाध्यक्ष थाना कोतवाली कानपुर मान्यवर सेवा में निवेदन है कि मैं मोहनलाल गुप्ता संयोजक, भ्रष्टाचार उन्मूलन छापामार समिति कानपुर का हूं। आज दिनांक करीब २७-८-७४ को करीब लगभग ६·३७ मिनट पर ए० डी० एम० राकनिंग के पास उनके आफिस के अन्दर अपने समिति के कुछ सदस्यों के साथ बैठा हुआ था तथा एक छापा मारने का विचार विमर्श कर रहा था। सुरेन्द्र बहादुर सिंह जो युवक कांग्रेस का प्रधान बताते हुए साहब के सामने कुर्सी में बैठ गया तथा एक प्रार्थना-पत्र देकर मांग करने लगा कि १०० बोरी सीमेंट दे दें। ए० डी० एम० साहब ने इनकार कर दिया। इसी बीच वह मुझसे कहने लगा कि आप लोग सब बाहर चले जायं मेरे मना करने पर मेरे पास उठकर आया तथा मुझे लात घूसों से मारना शुरू कर दिया। उसके मुंह से शराब की दुर्गन्ध आ रही थी। ए० डी० एम० साहब ने मना किया कि मेरे आफिस के अन्दर मारपीट मत करो तथा बाहर चले जायं उस पर ए० डी० एम० साहब के साथ भी अभद्रता करने को तैयार हो गया तथा आवाज देकर अपने साथियों को बुला लिया जो पहले से वहां पर खड़े थे। लगभग ७-८ व्यक्ति थे सभी नशे की हालत में अन्दर आये तथा मुझे पकड़कर कमरे के बाहर खींचते हुए ले गये तथा कहा कि उसे खींचकर गाड़ी में डाल लो और ले चलो। पहले से उसके पास एम्बेस्डर कार क्रीम कलर की थी इसी बीच एक दरोगा तथा दो सिपाही आते हुए दिखाई पड़े वह सब लोग गाड़ी में बैठ कर मुझे छोड़कर भाग गये मेरे शरीर के अन्दर अन्दरूनी कई चोटें लगी हैं। अतः आप मेरी डाक्टरी परीक्षा कराने की कृपा करें मेरे साथ समिति के सुरेन्द्र कुमार यादव, मदनचन्द्र जैन, राम किशोर गुप्ता, रोशनलाल राठौर आदि थे मुझे इन लोगों से जिन्हें कि चेहरे से पहचानता हूं भविष्य में जान और माल का इनसे खतरा है। अगर मेरे ऊपर भविष्य में कोई कारवाई होता है तो इसके जुम्मेदार यही व्यक्ति हैं। मेरी प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना की रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करें भवदीय मोहन लाल गुप्ता पुत्र श्री राजाराम गुप्ता संयोजक, भ्रष्टाचार समिति उन्मूलन छापामार, कानपुर प्रधान कार्यालय ६७/१२, कैनाल रोड, कानपुर-हे०म० हुक्म सिंह, एफ० आई० आर० लेखक २७-२-७४

नकल मुताबिक असल है ह० अपठनीय, २८-२-७५

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१५ पर)

राज्य विद्युत् परिषद् से संबंधित विद्युत् खंडों, उनके विद्युत क्षेत्र में स्थिति चल चित्र और उन पर देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि की सूची

क्रम-सं०	विद्युत् संपूर्तिकर्ता का नाम	उपभोक्ता का नाम	आपत्तिगत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि
१	२	३	४
			रु० पै०
१	अधिशासी अभियंता, हाईडिल इलेक्ट्रिक डिवीजन, आजमगढ़।	१—पैराडाइज सिनेमा, गोरखनाथ मंजन।	४४९.६८
		२—कृष्णा टाकीज, गोरखनाथ मंजन।	१०४१.५७
२	अधिशासी अभियंता, हाईड्रो० इलेक्ट्रिक डिवीजन, देवरिया।	१—कृष्णा टाकीज, पडरौना	६०७.५०
		२—तदैव	७०४.३८
		३—श्री गिरजा शंकर जायसवाल (कन्हैया टाकीज)	५०४.३५
३	अधिशासी अभियंता, हाईड्रो० इलेक्ट्रिक डिवीजन, गोरखपुर।	१—जयहिन्द टाकीज ..	६८.००
		२—श्री महादेव प्रसाद (चउरी चउरा)।	१२०७.९४
		३—श्री लालबहादुर साही	८३७.३५
		४—श्री विश्वनाथ प्रसाद ..	३८५.०५
४	अधिशासी अभियंता, इलेक्ट्रिक मेन्टीनेन्स डिवीजन (नार्थ), बुलन्दशहर।	१—श्री ओम प्रकाश	९००.६०
		२—दयानन्द प्रकाश ..	५५६.१४
५	अधिशासी अभियंता, इलेक्ट्रिक, मेन्टीनेन्स डिवीजन (साउथ), बुलन्दशहर।	१—श्री मक्खन लाल अग्रवाल (कालाआम सिनेमा)	१६९४.३४ ९९७.९५
		२—श्री राम कृष्ण शर्मा (सिनेमा हाल खुर्जा स्टैन्ड)	९४६.७४ २७९.९०
		३—श्री रूकमन दयाल नाढीमल	२१३.०८ ९५८.०८
		(देवी चित्र मंदिर खुर्जा)	३०८.३४
		योग ..	१२,६६०.९९

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर)

नकल तहरीर वादी

श्रीमान् थाना इंचार्ज साहब थाना जलालाबाद निवेदन है कि करीब पौने दो साल हुये मेरे भाई विजय कुमार ने रेडियो बेचने व मरम्मत करने की दुकान खोली थी। उसमें हमारे मोहल्ले का रामविलास पुत्र शिव दाय वैश्य भी शरीक था। करीब दो महीने हुये विजय कुमार ने रामविलास का साझा खतम कर दिया और उसका साझे का रुपया १०५० दे दिया परन्तु राम विलास कहता था कि मुझे रुपया कम मिला है दोबारा हिसाब करो पिछले बुधवार को रामविलास ने अपने मेली ओम प्रकाश पुत्र राम भरोसे वैश्य मौ० कानून गोयान ने विजय कुमार को बाजार गंज में गालियां दीं और कहा कि हिसाब क्यों नहीं करते। विजय कुमार ने यह बात मेरी सबसे बड़े भाई जगदीश चन्द से कही। उसी दिन मेरे भाई जगदीश चन्द को राम विलास नल वाली गली में रामेश्वर दयाल पुत्र द्वारिका प्रसाद वैश्य मौ० नौसारा के कपड़े की दुकान के सामने मिला जगदीश चन्द ने रामेश्वर दयाल के सामने रामविलास को डांटते हुये कहा कि ऐसे गालियां देने से क्या फायदा। फिर दोबारा हिसाब कर लिया जायेगा। इस पर रामविलास ने जगदीशचन्द्र को भी गालियां दीं तो जगदीश चन्द्र ने राम विलास को दो चार थप्पड़ मार दिये। तभी रामेश्वर दयाल ने इनका बीच बचाव कर दिया। आज करीब पौने चार बजे की बात है मैं अपने भाई जगदीश चन्द्र के साथ रमेश चन्द्र पुत्र गंगा सहाय वैश्य मौ० कानूनगोयान की कपड़े की दुकान से कपड़ा लेने गया और दुकान पर बैठे ही थे कि रमेश चन्द्र से कपड़ा दिखाने को कह ही रहे थे कि तभी राम विलास अपने हाथ में एक नाली बन्दूक लिये व कमर में कारतूसों की पेटी बांधे व इसका मेली राम नाथ ब्रा० पट्टी वाला मौ० महाजनान कस्बा व थाना जलालाबाद जिसके यहां आज कल राम विलास रहता है सड़क पर रमेश चन्द्र की दुकान के सामने आये रामनाथ ने कहा कि यहीं बैठा है मार सारे को इसी बीच में रामविलास ने बन्दूक से दो फायर जगदीश चन्द्र पर किये जगदीश चन्द्र चोट खाकर चीखे व तड़प कर मर गये। मैं भी चिल्लाया राम विलास ने अपनी बन्दूक फिर भरी व राम विलास व राम नाथ यह कहते हुये पूरब को भागा कि अगर किसी ने हमें पकड़ने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। यह किस्सा मैकू लाल पुत्र लाखन लाल व राम भरोसे पुत्र मेवा राम वैश्य मौ० नौसारा व भग्गू लाल पुत्र मोजी लाल वैश्य मौ० कानूनगोयान व राम भरोसे लाल पुत्र जगन्नाथ कहार मौ० महाजनान कस्बा व थाना जलालाबाद व बहुत से लोगों ने देखा है जो वहां मौके पर मौजूद थे। दो खोके कारतूस भी जो राम विलास ने फायर करके डाल दिये थे। मैंने उठा लिये हैं। जो मेरे पास हैं। मैंने सुना है कि राम विलास व रामनाथ अल्लागंज की तरफ गये हैं। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जावे। प्रार्थी आशोक कुमार पुत्र अशर्फी लाल वैश्य मौ० नौसारा कस्बा व थाना जलालाबाद १८-९-७४।

नोट:—मैं प्रधान लेखक प्रमाणित करता हूं कि बादी चिक हाजा पर शब्द व शब्द (अंकित किया) तहरीर पर हवाला मुकदमा थाने की मोहर तथा मेरे हस्ताक्षर हैं।

(ह०) लाडबक्स सिंह
एच० एम०
१८-९-७४

नोट:—नकल मुताबिक असल के है।
(ह०) अपठनीय
पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२२ पर)

थानाध्यक्ष मरहा सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के विरुद्ध १-९-७४ से ३१-१२-७४ की अवधि में क्षेत्रीय जनता द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना-पत्रों तथा उनके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण:—

क्रम-सं०	शिकायत करने वाले का नाम	शिकायतों का विवरण	जांच का परिणाम तथा की गई कार्यवाही
१	२	३	४
१	श्री ओंकार दास पालीवाल, ग्राम प्रधान, चन्दपुरवा, जिला हमीरपुर।	थानाध्यक्ष, कांग्रेसी विधायक के असर से सुमेरपुर की जनता के साथ अत्याचार करते हैं, प्रार्थी के भाई श्री अनन्दी प्रसाद पालीवाल को एक गलत मुकदमा में फंसा दिया है तथा जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर को जाने वाली सुमेरपुर की जनता को सुमेरपुर के बस स्टेशन पर रोक दिया है।	पुलिस के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने पर आरोप असत्य पाये गये।
२	सुमेरपुर, हमीरपुर की जनता।	उपरोक्त	उपरोक्त
३	श्री ओंकार प्रसाद, ग्राम प्रधान, चन्दपुरवा, जिला हमीरपुर।	थाना पैलानी, जिला बांदा के बदमाशों से सांठगांठ करने, चोरी व डकैती करवा कर हिस्सा लेने, ग्राम गौरी से एक गाय जबरदस्ती लेकर बेच देने, ग्राम बांक के रामेश्वर, कुन्डौरा के सत्तीदीन चमार व राजा सिंह ग्राम नरायनपुर के गिरा काछी को बन्द करने व पैसा लेकर छोड़ देने, अमुक व्यक्ति के यहां बिना लाइसेंस के गांजा, भांग बिकने और उससे माहवारी रुपिया लेने तथा प्राइवेट गाड़ियों से पैसा लेकर चलवाने।	पुलिस के एक राज पत्रित अधिकारी के जांच के दौरान प्रार्थी ने इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र देने से इन्कार किया है तथा उक्त प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों के बारे में अपनी कोई जानकारी न होना बताया। फिर भी समस्त आरोपों की जांच की गयी तथा सभी आरोप असत्य पाये गये। पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र के आपत्ति करने पर गिरा काछी को बन्द रखने व छोड़ देने तथा प्राइवेट लारियों से

क्रम-सं०	शिकायत करने वाले का नाम	शिकायतों का विवरण	जांच का परिणाम तथा की गई कार्यवाही
			पैसा लेकर चलवाने के आरोपों की पुनः जांच की जा रही है।
४	श्रीमती कमला, ग्राम पचखुरामहान, थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर।	प्रार्थिनी के घर दिनांक १२–९–७४ की शाम को घुस आने, उसके पति के बारे में पूछने, उसके यह कहने पर कि उसका पति बाहर गया हुआ है उसको बेतों से मारने व उसको तथा उसके ससुर को गाली देने व घर की तलाशी लेने।	क्षेत्र निरीक्षक महोदय की जांच से प्रार्थिनी के पति, जो धारा १४७/३२३/३०७ भा० दं० वि० तथा धारा ४५७/३८० भा० दं० वि० के मुकदमों में वांछित थे, की तलाश के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्रार्थिनी के मकान की दिनांक १२–९–७४ को तलाशी लिये जाने की बात सही पाई गई किन्तु अन्य सभी आरोप असत्य पाये गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२८ पर)

माह अप्रैल से जून, १९७४ तक जनपद देवरिया के लोगों को आबंटित किये गये स्कूटर तथा फिएट कार की सूची :—

बजाज

१—श्री राम बहल तिवारी, जिला होलसेल कन्ज्यूमर कोआपरेटिव, देवरिया।
२—श्री सुरेश सिंह एडवोकेट, देवरिया।
३—श्री विजय प्रताप नारायण सिंह, प्रिन्सिपल, इन्द्रपुर इन्टर कालेज, देवरिया।
४—श्री सुरेश मनि त्रिपाठी एडवोकेट, देवरिया।
५—श्री भगवत सिंह प्रिंसिपल, बुद्ध इन्टर कालेज कुशीनगर, देवरिया।
६—श्री राम दुलारे त्रिपाठी, कसया, देवरिया।
७—डा० इन्दू गुप्ता, देवरिया।
८—श्री बृजा नन्द सिंह, ब्लाक प्रमुख, देवरिया।
९—श्री शिव अवतार मनि त्रिपाठी, देवरिया।
१०—श्री पारस मिश्रा, अध्यापक, देवरिया।
११—श्री राम अधार सिंह, देवरिया।
१२—श्री मकसूदन राय, देवरिया।
१३—श्री शम्भू शाही, देवरिया।
१४—श्री बृजेन्द्र सिंह, देवरिया।
१५—श्री सुरेन्द्र सिंह, देवरिया।
१६—श्री इन्द्र जीत सिंह, देवरिया।
१७—श्री गिरधर चतुर्वेदी, देवरिया।
१८—श्री हरेन्द्र मनि त्रिपाठी, देवरिया।

लम्ब्रेटा

१९—श्री बिपिन बिहारी मनि त्रिपाठी, एडवोकेट, देवरिया।
२०—श्री एम० ए० सलाम, देवरिया।
२१—श्री शारदा तिवारी, देवरिया।

फिएट कार

१—श्रीमती रोशन आरा पत्नी, श्री एम० एस० लारी, मोहल्ला वेस्ट लार, देवरिया।

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३३ पर)

क्रम-संख्या	सम्बद्ध महाविद्यालयों का नाम	प्रवेशित छात्र संख्या	अनुसूचित जाति
१	शिबली नेशनल महाविद्यालय, आजमगढ़	२५८	२५
२	एम० एल० के० महाविद्यालय, बलरामपुर, गोंडा	८०५	..
३	श्री मु० म० टाउन महाविद्यालय, बलिया	८५०	२८
४	सतीश चन्द्र कालेज, बलिया ..	८६२	१२
५	बाबा राघवदास महाविद्यालय, देवरिया	७००	..
६	बुद्ध महाविद्यालय, कुशीनगर, देवरिया	५५०	२३
७	तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर	२७०	१४
८	स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर	१३९	१९
९	श्री दुर्गाजी महाविद्यालय, पंडेसर, आजमगढ़	८५०	..
१०	राजा श्रीकृष्णदत्त महाविद्यालय, जौनपुर	४३१	..
११	के० बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर	..	..
१२	के० एम० साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद	..	..
१३	उदय प्रताप कालेज, वाराणसी	१६६	११
१४	हरिश्चन्द्र महाविद्यालय, वाराणसी	१९०	१६
१५	स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़	..	..
१६	किसान महाविद्यालय, बहराइच	१०१	८
१७	रणवीर रणन्जय महाविद्यालय, अमेठी, सुल्तानपुर	२५०	७
१८	श्री गांधी स्मारक महाविद्यालय, समोधपुर, जौनपुर	..	..
१९	म० मो० मा० महाविद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया	४१८	१६
२०	शिवपति डिग्री कालेज, शोहरतगढ़, बस्ती	३००	१०
२१	श्री गणेशराय डिग्री कालेज, डोथी, जौनपुर	३००	९
२२	सकलडीहा डिग्री कालेज, सकलडीहा, वाराणसी	..	..
२३	राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ	२००	५
२४	श्री लाल बहादुर डिग्री कालेज, गोंडा	२५०	५
२५	ज० लाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज, गोरखपुर	२३५	९
२६	म० मो० मा० उपाधि महाविद्यालय कालाकांकर, प्रतापगढ़।	१५०	३
२७	दिग्विजय नाथ डिग्री कालेज, गोरखपुर	..	..
२८	लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, मुगलसराय, वाराणसी	२५३	..
२९	नागरिक डिग्री कालेज, जंघई, जौनपुर	२७६	३
३०	सेवाश्रम डिग्री कालेज, ढिढुई, प्रतापगढ़	२०३	२

विधान सभा

क्रम-संख्या	सम्बद्ध महाविद्यालयों का नाम	प्रवेशित छात्र संख्या	अनुसूचित जाति
३१	कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ साइंस टेक्नोलोजी, सुल्तानपुर ।	२३५	..
३२	बी० एन० के० डिग्री कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद	१७६	२९
३३	रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती	५००	..
३४	श्री गांधी डिग्री कालेज, मालटारी आजमगढ़	२००	..
३५	स्वामी देवानन्द डिग्री कालेज, मठलार, देवरिया	२६१	..

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५४२ पर)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था विधेयक, १९७५

जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास तथा विनियमन के लिए एक निगम, प्राधिकारियों तथा संगठनों की स्थापना और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, कन्टूनमेन्ट क्षेत्रों को छोड़कर, होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

२—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) "मलकूप" के अन्तर्गत कोई ऐसी तलछट टंकी या अन्य टंकी भी है जो किसी भू-गृहादि से निकलने वाले दूषित पदार्थ को ग्रहण करने या उसके निस्तारण के लिये हो ;

(२) "संचारण पाइप" का तात्पर्य किसी पाइप या समस्त फिटिंग सहित ऐसे पाइप से है जिसके द्वारा प्रनाड (मेन) से किसी भू-गृहादि को जल सम्भरित किया जाता हो और इसके अन्तर्गत संयोजक पाइप, सेवा पाइप, मीटर या अन्य फिटिंग भी है ;

(३) "संयोजक पाइप" का तात्पर्य जोड़ चूड़ी (फेरूल) से रोक-टोटी तक, ऐसे जल के पाइप से है जो, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम के प्रनाड से सेवा पाइप को जोड़ता हो ;

(४) "उपभोक्ता" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम से किसी प्रकार के जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का फायदा मिलता हो ;

(५) "घरेलू सीवेज" का तात्पर्य निवास-स्थानों, बोर्डिंग तथा लाजिंग हाउसों, छात्रावासों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में जो किसी व्यापार या उद्योग के भाग न हों, निकलने वाले और वैयक्तिक तथा सामान्य मानव कार्य-कलापों से जैसे कि पानी पीने, नहाने, प्रक्षालन, धोने तथा खाना पकाने में उत्पन्न उच्छिष्ठ जल से है ;

(६) "नाली" के अन्तर्गत मल नाला, सुरंग, पाइप, खाई (डिच), मल नाली (गटर) या जल कुल्या (चैनल) अथवा जल कुन्ड (सिस्टर्न), फ्लश टंकी, मल टंकी (सेप्टिक टैंक) अथवा कोई अन्य युक्ति जो सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल, कूड़ा-करकट, उच्छिष्ट जल या अवभूमि जल को बहा ले जाने अथवा शोधन के लिये हो, तथा इसके अन्तर्गत कोई पुलिया, संवातन नाल या पाइप अथवा अन्य उपकरण या फिटिंग, जो ऐसी नाली में जुड़ी हो, और कोई निष्कासक (इजेक्टर), संदावित वायु प्रनाड, मुहरबन्द सीवेज प्रनाड और कोई विशेष मशीनरी अथवा साधित्र भी है जो किसी स्थान से सीवेज या दुर्गन्धित पदार्थ को उठाने, एकत्र करने, निकालने या हटाने के लिये हो ;

(७) "जोड़ चूड़ी" का तात्पर्य ऐसी जोड़ चूड़ी से है जो संयोजक पाइप को प्रनाड से जोड़ती हो ;

(८) "महा प्रबन्धक" का तात्पर्य धारा २० की उपधारा (२) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त जल-संस्थान के महा प्रबन्धक से है ;

(९) "जल संस्थान" का तात्पर्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी से है जिसे एक या अधिक स्थानीय क्षेत्रों में इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिये धारा १८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाय ;

(१०) "स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग" और "सामुदायिक विकास विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन इन नामों के विभागों से है ;

(११) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो किसी स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अन्तर्गत हो ;

(१२) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति या गांव सभा से है ;

(१३) "प्रनाड" का तात्पर्य, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम द्वारा व्यष्टिक उपभोक्ताओं के लिये सम्भरण से भिन्न जल के सामान्य सम्भरण के लिये बिछाये गये पाइप से है और इसके अन्तर्गत ऐसे पाइप के सम्बन्ध में प्रयुक्त कोई साधित्र भी है ;

(१४) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन नियुक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से है ;

(१५) "निगम" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम से है ;

(१६) किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "अध्यासी" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में स्वामी को तत्समय किराया या उसका कोई भाग देता हो अथवा उसका देनदार हो ;

(ख) कोई स्वामी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो;

(ग) ऐसे भू-गृहादि का किरायेदार जो किराया देने से मुक्त हो ;

(घ) कोई लाइसेंसधारी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो ; और

(ङ) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गृहादि का प्रयोग और अध्यासन करने के सम्बन्ध में स्वामी को क्षतिपूर्ति का देनदार हो ;

(१७) किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उक्त भू-गृहादि का किराया लेता हो अथवा जो उसका किराया लेने का हकदार हो यदि भू-गृहादि किराये पर दिया जाय और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो स्वामी के मद्धे ऐसा किराया लेता हो ;

(ख) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये अर्पित किसी भू-गृहादि का किराया लेता हो या जिसे उसका प्रबन्ध सौंपा गया हो ;

(ग) किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उक्त भू-गृहादि का प्रभार लेने के लिये या ऐसे भू-गृहादि के

स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त रिसीवर या प्रबन्धक ; और

(घ) भोग-बन्धकी ;

(१८) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है ;

(१९) "विहित" का तात्पर्य नियमों द्वारा विहित से है ;

(२०) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य विहित प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी से है ;

(२१) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, "असार्वजनिक मार्ग", "सार्वजनिक मार्ग" तथा "मार्ग" के वही अर्थ होंगे जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि में हों ;

(२२) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(२३) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ;

(२४) "सेवा पाइप" का तात्पर्य रोक-टोंटी से परे संयोजक पाइप से भिन्न किसी पाइप से है, जिसके द्वारा किसी भू-गृहादि को जल संभरित किया जाता हो ;

(२५) "सीवेज" का तात्पर्य विष्टा या नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मलकूपों अथवा नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुओं, और हौदी, स्नानागार, अस्तबल, पशु-शाला तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों के दूषित जल से है और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ भी है ;

(२६) "सीवर" का तात्पर्य सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल, उच्छिष्ट जल अथवा अवभूमि जल बहा ले जाने के लिये बन्द वाहक नाला से है ;

(२७) "सीवर-व्यवस्था" का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजिनक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ द्रव पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने से है ;

(२८) "रोक टोंटी" का तात्पर्य ऐसी रोक टोंटी से है, जो किसी भू-गृहादि के जल संभरण को बन्द अथवा विनियमित करने के प्रयोजनार्थ प्रनाड से दूर संयोजक पाइप के सिरे पर लगी हो ;

(२९) "व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ" का तात्पर्य किसी ऐसे तरल पदार्थ, चाहे उसमें पदार्थ के कण घुले मिले हों या न हों, से है जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापार या उद्योग जिसके अन्तर्गत कृषि तथा औद्यानिकी भी है, के दौरान उत्पादित या उत्सर्जित होता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू सीवेज नहीं है ;

(३०) "जल संयोजन" के अन्तर्गत—

(क) कोई ऐसी टंकी, जल कुन्ड, बम्बा (हाइड्रेन्ट), स्थायी नल, मीटर या टोंटी भी है, जो किसी असार्वजनिक संपत्ति में स्थित हो और जल संस्थान के प्रनाड या अन्य पाइप से संयुक्त हो ; और

(ख) जल का ऐसा पाइप भी है जो ऐसी टंकी, जल कुन्ड, बम्बा, स्थायी नल, मीटर या टोंटी को ऐसे प्रनाड या पाइप से जोड़ता हो ;

(३१) "जल संभरण" का तात्पर्य किसी समुदाय को पीने की तथा अन्य घरेलू उपयोगों, उद्योग, आमोद-प्रमोद तथा विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों की अपेक्षा को पूरा करने वाली जल व्यवस्था प्रणाली से है ;

(३२) "जल कल" के अन्तर्गत जल मार्ग (जिसमें कोई सोता, झील, झरना, नदी या नहर, कुआं, पम्प, गैलरी, जलाशय, जल कुन्ड, टंकी सम्मिलित है), नलिका चाहे वह ढकी हो या खुली, शोधन यूनिट, जल कपाट, संभरण प्रनाड, पुलिया, इंजन, जल वाहन, बम्बा, स्थायी नल, वाहक नाला और मशीन, भूमि, भवन या ऐसी अन्य वस्तु है जो जल संभरण के लिये हो, अथवा जल संभरण के लिये प्रयुक्त हो अथवा जल संभरण के स्रोतों का संरक्षण करने के लिये या जल शोधन के लिये हो ।

अध्याय २

निगम की स्थापना, कार्य संचालन, कृत्य तथा शक्तियां

निगम की स्थापना

३—(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से, उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी ।

(२) उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम उक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक समान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने अथवा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी ।

(३) निगम सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा ।

(४) निगम का प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा, और ऐसे अन्य स्थानों पर भी उसके कार्यालय हो सकते हैं जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

निगम का गठन

४--(१) निगम में, उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा ।

(२) अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) एक प्रबन्ध निदेशक (जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी), जो प्रशासकीय अनुभव रखने वाला तथा जल संभरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा ;

(ख) एक वित्त निदेशक (जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा), जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी विषयों का अनुभव हो ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन ;

(घ) सचिव, उत्तरप्रदेश सरकार, स्वायत्त शासन विभाग, पदेन ;

(ङ) स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(च) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(छ) राज्य में स्थानीय निकायों के तीन निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(३) अध्यक्ष की तथा पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी ।

(४) उपधारा (२) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट कोई सदस्य निगम की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की दशा में, किसी ऐसे अधिकारी को जो उसके विभाग में उप सचिव के पद से नीचे का न हो और खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में, जो अपर निदेशक के पद से नीचे का न हो, बैठक में भाग लेने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है । इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा ।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

५—कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष या अन्य सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष हुआ हो जिसमें नैतिक अधमता समन्वित हो ;

(ख) अननुमुक्त दिवालिया हो ;

(ग) विकृत-चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो ;

(घ) धारा ६ और ७ में यथा उपबन्धित के सिवाय, निगम के अधीन किसी लाभ के पद पर हो ;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो, जो निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो—

(१) किसी स्थावर संपत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा उसके लिये किये गये किसी करार में,

(२) धन के ऋण के लिये किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिये किसी प्रतिभूति में,

(३) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें निगम के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो,

(४) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो, यदा-कदा बिक्री में,

कोई अंश या हित है ।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्य-काल

६—(१) निगम का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय, तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(२) धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (छ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रधान के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(३) धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(४) अध्यक्ष या कोई अन्य उपर्युक्त सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

७—(१) अध्यक्ष तथा धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (क) तथा (ख) के अधीन नियुक्त सदस्यों को निगम की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय।

(२) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त कोई अन्य सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्त्तव्यों के पालन में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों में, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का संपादन करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

कर्मचारियों की नियुक्ति

८—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण संपादन करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति तथा उनके निबन्धन और शर्तों का अवधारण राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा।

(२) निगम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, निगम का कर्मचारी नियुक्त कर सकता है।

९—निगम के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष का निगम के अन्य समस्त कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण तथा निदेश होगा और इस बात के अधीन रहते हुए प्रबन्ध-निदेशक का उन पर नियंत्रण होगा। कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण

१०—(१) निगम की सभी कार्यवाहियां निगम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी और निगम के सभी आदेश तथा अन्य लिखत निगम के प्रबन्ध-निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी। निगम के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

(२) निगम किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति निगम की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा।

११—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या अध्यक्ष या प्रबन्ध-निदेशक या निगम के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को जो धारा ४६, ४९ और ५० के अधीन उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य न हों, प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे। शक्तियों का प्रति-निधान

१२—(१) निगम का या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य—

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा ५ के खण्ड (ङ) या (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो, या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्तिक रूप से काम किया हो,

धारा ५ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध में निगम या उसकी किसी समिति की किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत किसी संकल्प या प्रश्न पर चर्चा भी है, न तो मत देगा और न भाग लेगा। हित होने के कारण निगम की कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता

(२) यदि निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित हो, तो वह निगम की या उसकी किसी समिति की किसी ऐसी बैठक में जिसमें ऐसी भूमि से सम्बन्धित किसी विषय पर विचार किया जाना हो, भाग नहीं लेगा।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) की कोई बात निगम या उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को, उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

१३—निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल—

(क) निगम या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने,

के कारण अविधिमान्य न होगी।

जल निगम के कृत्य

१४—निगम के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(१) जल संभरण के लिए योजनायें तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना ;

(२) राज्य सरकार, और स्थानीय निकायों, की तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यष्टियों को जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना ;

(३) राज्य सरकार के निदेश पर जल संभरण, सीवर-व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनायें तैयार करना ;

(४) जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर टैरिफ, कर तथा जल संभरण के परिव्यय का पुनर्विलोकन करना और उन पर सलाह देना ;

(५) अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करने तथा उसका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना ;

(६) जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना ;

(७) ऐसे सभी कृत्य करना जो यहां पर वर्णित नहीं हैं और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये जा रहे थे ;

(८) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनर्विलोकन करना ;

(९) राज्य में प्रत्येक जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं से पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना ;

(१०) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तो किसी जल-कल तथा सीवर-व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और उनका अनुरक्षण करना ;

(११) राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना ;

(१२) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए व्यावहारिक गवेषणा करना ;

(१३) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों को करना ; और

(१४) ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जायं।

जल निगम की शक्ति

१५—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(२) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :—

(१) राज्य में समस्त जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना ;

(२) किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना जिसे वह आवश्यक समझे ;

(३) अपने कार्मिकों के लिए तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ;

(४) जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करना ;

(५) राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यष्टियों को, निगम द्वारा प्रदान की गयी सभी सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना ;

(६) किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिए आवश्यक समझे ;

(७) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना ;

(८) जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना ;

(९) धन उधार लेना, ऋण का जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना ;

(१०) स्थानीय निकायों को उनकी जल संभरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना ;

(११) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का संपादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

रिपोर्ट तथा सूचना मांगने की शक्ति

१६—(१) निगम किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय से ऐसी रिपोर्ट तथा सूचना जिसे निगम आवश्यक समझे, मांग सकता है और उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) (क) इस प्रकार जारी किए गए निदेशों का सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, अनुपालन किया जायगा ;

(ख) यदि ऐसा जल संस्थान या स्थानीय निकाय ऐसे निदेशों से असहमत हो अथवा उनका अनुपालन करने में कोई कठिनाई अनुभव करे तो वह उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

पर्यवेक्षण तथा प्रति सैकड़ा परिव्यय

१७—निगम किसी ऐसी योजना या निर्माण-कार्य के व्यय में, जिसके निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन का कार्य धारा १४ के खण्ड (१) के अधीन किया जाय, पर्यवेक्षण तथा प्रति सैकड़ा परिव्यय, ऐसी दर पर, जो ऐसी सीमा से अधिक न हो जिसे विहित किया जाय जिसे वह धारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (५) के अधीन अवधारित करे, सम्मिलित कर सकता है।

अध्याय ३

जल संस्थानों की स्थापना, कार्य संचालन, कृत्य तथा शक्तियां

जल-संस्थान की स्थापना

१८—(१) यदि राज्य सरकार की राय में, स्थानीय परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हो और किसी क्षेत्र में जल संभरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं में सुधार करना आवश्यक या समीचीन समझा जाय तो वह उस क्षेत्र के लिए जल संस्थान के नाम से एक निकाय गठित कर सकती है।

(२) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से, गठित किया जायगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन कोई जल संस्थान इस प्रकार गठित किया जा सकता है कि एक या एकाधिक स्थानीय निकायों के स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, जैसा राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, उसकी अधिकारिता हो।

(४) जल संस्थान शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह जल-संस्थान "(क्षेत्र का छोटा

नाम जैसा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो) जल संस्थान" के नाम से बाद प्रस्तुत कर सकेगा, और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने अथवा उस का निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(५) जल संस्थान को सभी प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा।

(६) जल संस्थान का मुख्य कार्यालय उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा।

(७) जल संस्थान का अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों पर भी, जहां वह आवश्यक समझे, उप-कार्यालय हो सकता है।

(८) राज्य सरकार, जहां वह लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, गजट में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से,—

(क) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई क्षेत्र अलग कर सकती है ;

(ख) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र को दो या अधिक जल संस्थानों के क्षेत्र में पृथक-पृथक बांट सकती है ;

(ग) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दो या अधिक जल संस्थानों के क्षेत्रों को एकल जल संस्थान के क्षेत्र में समामेलित कर सकती है ; या

(घ) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र का कोई भाग ऐसा क्षेत्र न रह जाने की घोषणा कर सकती है।

महापालिकाओं तथा म्युनिसिपल बोर्डों पर जल संस्थान की शक्तियों का प्रदत्त किया जाना।

१९—(१) किसी नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड के तदर्थ आवेदन पर राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, उस नगर महापालिका या बोर्ड को, ऐसे दिनांक से जिसे ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जायगा, जल संस्थान की शक्तियां प्रदत्त कर सकती है और जहां ऐसी अधिसूचना जारी की जाय वहां ऐसी नगर महापालिका या बोर्ड अपने स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में जल संस्थान के कृत्यों का सम्पादन और शक्तियों का प्रयोग करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा २०, २१, २२, ३३ और ३८ ऐसी किसी नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड पर लागू न होगी।

(२) जल संस्थान के रूप में, नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ या यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ और इस अधिनियम के बीच कोई असंगति होने की दशा में इस अधिनियम के उपबन्ध अधिभावी होंगे।

जल संस्थान का गठन

२०—(१) जल संस्थान में, उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।

(२) अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) उन जिलों के जिनमें जल संस्थान का क्षेत्र पड़ता हो, कलेक्टर, पदेन ;

(ख) सामुदायिक विकास विभाग का वह ज्येष्ठतम अधिकारी जिसका मुख्यालय जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत हो ;

(ग) एक महाप्रबन्धक (जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा) जो प्रशासकीय अनुभव रखने वाला तथा जल सम्भरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला आहत अभियन्ता होगा ;

(घ) निगम का एक प्रतिनिधि, और

(ङ) जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकाय के तीन निर्वाचित प्रधान अथवा सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

अनर्हतायें

२१—निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हताओं से सम्बन्धित धारा ५ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पदों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

कार्यकाल

२२—(१) जल संस्थान का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाए, और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(२) धारा २० के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय, इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(३) धारा २० की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट, करे, पद धारण करेगा।

(४) जल संस्थान का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी समय राज्य सरकार को संबोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

पारिश्रमिक

२३—(१) जल संस्थान के अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्यों, को, जो जल संस्थान के लिए पूर्ण कालिक रूप से कार्य करें, जल संस्थान की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार निश्चित करे।

(२) यदि जल संस्थान का अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्त्तव्यों के पालन में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का संपादन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

जल संस्थान के कृत्य

२४—जल संस्थान के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(१) जल सम्भरण की योजनायें बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना ;

(२) जहां साध्य हो, वहां सीवर-व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन ;

(३) अपने कार्य-कलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्यप्रद जल मिल सके और, जहां साध्य हो वहां दक्ष सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके ;

(४) ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है ;

(५) ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उसे सौंपे।

जल संस्थान की शक्तियां

२५—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक जल संस्थान को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(२) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :—

(१) उस क्षेत्र के, जो उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत हो, जल-सम्भरण, सीवर-व्यवस्था और सीवेज सम्बन्धी निस्तारण से सम्बन्धित सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करना ;

(२) भूमि तथा अन्य सम्पति अर्जित करना, उन पर आधिपत्य रखना और उन्हें धारित करना और किसी राजमार्ग, सड़क, मार्ग या स्थान से होकर, उसके आर-पार, ऊपर या नीचे से और स्वामी या अध्यासी को युक्ति-युक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी भवन या भूमि में, उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे से कोई जल या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण-कार्य करना ;

(३) किसी प्राकृतिक स्रोत से जल और उच्छिष्ट जल का निस्तारण करना ;

(४) किसी व्यक्ति या निकाय के साथ ऐसी संविदा या करार करना जिसे जल संस्थान आवश्यक समझे ;

(५) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना;

(६) निगम के अनुमोदन के अधीन रहते हुये जल-सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए ऐसे टैरिफ लगाना या उसमें संशोधन करना और इन सेवाओं के लिए ऐसे सभी कर तथा प्रभार वसूल करना जो विहित किए जायं ;

(७) व्यय करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना ;

(८) निगम से ऋण, अग्रिम, वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करना।

शक्तियों का प्रतिनिधान

२६—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई जल संस्थान सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या महा प्रबन्धक को अथवा जल संस्थान के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को जो धारा ४४ और ५० के अधीन शक्तियां तथा कर्त्तव्य न हों ; प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

कर्मचारियों की नियुक्ति

२७—(१) जल संस्थान अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिए ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति तथा उनके निबन्धन तथा शर्तों का अवधारण, राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा।

(२) अध्यक्ष के सामान्य नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुए, जल संस्थान के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण तथा उन पर नियन्त्रण महाप्रबन्धक में निहित होगा।

जल संस्थान के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

२८—(१) जल संस्थान की सभी कार्यवाहियां जल संस्थान के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी, और जल संस्थान के सभी आदेश तथा अन्य लिखतें जल संस्थान के महाप्रबन्धक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी।

(२) जल संस्थान किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित कर सकता है और इस प्रकार आमन्त्रित व्यक्ति जल संस्थान की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

२९—जल संस्थान या उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल—

अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

(क) जल संस्थान या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने,

के कारण अविधिमान्य न होगी।

३०—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जल संस्थान तथा उपभोक्ता के बीच उद्भूत होने वाला कोई विवाद निगम का निदिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

उपभोक्ताओं से विवाद

अध्याय ४

सम्पत्तियों का निहित किया जाना और कर्मचारियों का स्थानान्तरण

३१—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य सरकार की ऐसी समस्त सम्पत्तियां (जिनके अन्तर्गत जल-कल, भवन, प्रयोगशालायें, भंडार, गाड़ियां, फर्नीचर तथा अन्य साज सामान भी है) जिनका प्रयोग स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा अपने प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो, निगम की स्थापना के दिनांक से, जिसे आगे इस अध्याय में "नियत दिनांक" कहा गया है, निगम में निहित और अन्तरित हो जायेंगी।

निगम में सम्पत्ति का निहित होना तथा अन्तरण

(२) ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जैसा राज्य सरकार अवधारित करे।

३२—जहां कोई ऐसा सन्देह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति निगम में धारा ३१ के अधीन निहित हो गयी है, या नहीं, वहां राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

सम्पत्ति के निहित होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा

३३—(१) जहां कहीं भी धारा १८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई जल संस्थान गठित किया जाय वहां—

वर्तमान जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का जल संस्थान में निहित होना

(क) समस्त वर्तमान जल सम्भरण सेवायें और जहां जल संस्थान धारा २४ के खण्ड (२) में विनिदिष्ट कृत्यों को अपने हाथ में ले, वहां वर्तमान समस्त सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवायें, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्म जिनके अन्तर्गत, यथास्थिति, सभी संयन्त्र, मशीनरी, जल-कल, पम्पिंग स्टेशन, छानने की टंकियां, जल प्रनाड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग में या उसके किनारे, ऊपर या नीचे सार्वजनिक सीवर तथा

ऐसे सभी भवन, भूमि और अन्य निर्माण-कार्य, सामग्री, भंडार और उससे सम्बन्धित वस्तुयें जो जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक स्थानीय निकाय की हों, या उसमें निहित हों ;

(ख) उक्त जल प्रनाड तथा सीवरों से संलग्न उतनी अवभूमि जो किसी ऐसे जल प्रनाड तथा सीवरों या किन्हीं पाइपों तथा ऐसे अन्य उपकरणों और फिटिंग्स, जो ऐसे जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं और कार्यों तथा सीवेज फार्मों से सम्बन्धित हो, को बढ़ाने, गहरा करने या अन्य प्रकार से उनकी मरम्मत या उनका अनुरक्षण करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो; और

(ग) खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित वस्तुओं से सम्बन्धित ऐसे स्थानीय निकाय के समस्त अधिकार, दायित्व तथा बाध्यतायें जिनके अन्तर्गत जल-कर तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर के, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, और जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित, किसी परिव्यय या फीस के, बकाया की वसूली का अधिकार भी है और इसके अन्तर्गत खण्ड (क) या (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित अथवा उपोजित ऋण से भिन्न उपर्युक्त किसी बात के लिये सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थानीय निकाय को दिये गए किसी ऋण से होने वाले दायित्व भी हैं ;

जल संस्थान के गठित होने के दिनांक से (जिसे आगे इस अध्याय में "उक्त दिनांक" कहा गया है) उसमें निहित होंगे और उसे अन्तरित हो जायेंगे और उसके नियन्त्रणाधीन होंगे।

(२) ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जो सरकार अवधारित करे।

(३) जहां इस सम्बन्ध में कोई सन्देह या विवाद उठे कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्तियां उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान में निहित हो गई हैं या नहीं अथवा कोई अधिकार, दायित्व या बाध्यतायें इस धारा के अधीन जल संस्थान के अधिकार, दायित्व या बाध्यतायें हो गई हैं, या नहीं तो ऐसा सन्देह या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और सम्बद्ध जल संस्थान तथा स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

जल संस्थान उन विषयों के सम्बन्ध में जिन पर यह अधिनियम प्रयोज्य हो, स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यतायें ग्रहण करेगा।

३४—धारा ३४ में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों के सम्बन्ध में उक्त दिनांक के पूर्व किसी स्थानीय निकाय द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत समस्त ऋण तथा बाध्यतायें, की गई समस्त संविदायें और किये जाने के लिए वचनबद्ध समस्त विषय तथा बातें जल संस्थान द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत किए गये या किए जाने के लिए, वचनबद्ध समझी जायेंगी, और ऐसे सभी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां जो स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित हों या जो यदि धारा ३३ की उपधारा (१) के अधीन निहित और अन्तरित न होतीं, तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकतीं,

जल संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती हैं, अथवा संस्थित की जा सकती हैं।

जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकायों के कार्य-कलापों का समन्वय

३५—यदि राज्य सरकार की राय हो कि यह लोक-हित में है कि किसी जल-संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय को जिनकी ऐसे क्षेत्रों पर एक दूसरे से लगे हुए हों, अधिकारिता हो, जल सम्भरण सेवाओं, या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों के सम्बन्ध में अपने कार्य-कलापों का समन्वय करना चाहिए तो वह ऐसे जल संस्थान और सम्बद्ध स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और उस जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेश का अनुपालन करें।

पुन: उधार देने की संक्रिया के सम्बन्ध में निगम की विशेष शक्तियां

३६—जहां धारा ४६ के अधीन किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय और निगम के बीच किसी करार में ऐसी व्यवस्था हो तो निगम को धारा ४९ के अधीन अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जल-कर के, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर के और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित किसी परिव्यय या फीस के, बकाया के जो जल-संस्थान या स्थानीय निकाय को देय हो, सीधे वसूल करने की भी शक्ति होगी जिससे कि निगम अपने देयों की वसूल सके।

कर्मचारियों का निगम को स्थानान्तरण

३७—(१) इस धारा में की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में सेवायोजित हो, नियत दिनांक को तथा से निगम का कर्मचारी हो जायगा और उसमें उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर और पेन्शन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा, या सेवा में रहेगा जिन पर वह नियत दिनांक को उसे धारण करता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सेवायोजन निगम में समाप्त न कर दिया जाए अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवायें नियन्त्रित होती हों, निगम द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू न होगी जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा निगम का कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के अधीन पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जाएगी और वह राज्य सरकार से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो —

(१) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक,

(२) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक, के बराबर होगा।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उनके नाम जमा धनराशि, राज्य सरकार द्वारा नियत दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखे सहित निगम को अन्तरित कर दी जायेगी और राज्य सरकार को छोड़ कर, निगम ऐसे कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश धनराशियों का, जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार समुपयुक्त समय पर, उन्हें देय हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(३) संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् १९४७ ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन निगम में किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उक्त ऐक्ट या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा। संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या २८, १९४७ ई०

(४) उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नियत दिनांक को और से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो नियत दिनांक से निगम के अधिष्ठान में सृजित हो जायगा, निगम का, यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायगा।

(५) उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खन्ड में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी नियत दिनांक और उक्त धारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदों की समाप्ति के दिनांक के बीच राज्य सरकार की सेवा में बना रहा समझा जायगा, किन्तु राज्य सरकार उक्त अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को अपने द्वारा दिए गए पारिश्रमिक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिकर की निगम से प्रतिपूर्ति की भी हकदार होगी।

(६) छटनी या पदों को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स, जैसे कि वे राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियन्त्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू है, के पैरा ४२६ या पैरा ४३६ की कोई बात सिवाय इस धारा में व्यवस्थित सीमा तक, उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होगी।

कर्मचारियों का जल संस्थान को स्थानान्तरण

३८—(१) इस धारा में की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, (जिसके अन्तर्गत यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ६९-बी और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ११२-क के अधीन सृजित सेवा का कोई सदस्य नहीं है) जो स्थानीय क्षेत्रों के जिसके लिये कोई जल संस्थान गठित किया गया हो किसी स्थानीय निकाय के अधीन अनन्य रूप से जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों अथवा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में सेवायोजित हो, उक्त दिनांक को तथा से जल संस्थान का कर्मचारी हो जायगा और वह उसमें उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों

एवं शर्तों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा, या सेवा में रहेगा जिन पर वह उक्त दिनांक को उसे धारण करता, यदि उपर्युक्त जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवायें, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्म जल संस्थान को अन्तरित और उसमें निहित न किये गए होते, और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सेवायोजन जलसंस्थान से समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवायें नियंत्रित होती हों, जल संस्थान द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू न होगी जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा जल संस्थान का कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि स्थानीय निकाय के अधीन पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खन्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जाएगी और वह उक्त स्थानीय निकाय से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो —

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक,

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक,

के बराबर होगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किसी अभिव्यक्त प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० में यथापरिभाषित किसी कर्मकार से भिन्न हो और जो जल संस्थान का कर्मचारी हो जाय, किसी ऐसे अधिष्ठान या उपक्रम से जिसमें वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित था, जल-संस्थान के किसी अन्य अधिष्ठान या उपक्रम में उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व नियन्त्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(३) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि उक्त दिनांक के पूर्व कोई व्यक्ति किसी स्थानीय निकाय के अधीन उपर्युक्त जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में अनन्य रूप से सेवायोजित था या नहीं तो उसका विनिश्चिय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।

(४) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेन्शन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उनके नाम जमा धनराशि सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा उक्त दिनांक तक

देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखे सहित जल संस्थान को अन्तरित कर दी जायगी और स्थानीय निकाय को छोड़कर जल संस्थान ऐसे कर्मचारियों को पेन्शन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश देयों का, जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार, समुपयुक्त समय पर, उन्हें देय हो, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान में किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उक्त ऐक्ट या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(६) किसी स्थानीय निकाय का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान का कर्मचारी होने पर उक्त दिनांक को और स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो उक्त दिनांक से जल संस्थान के अधिष्ठान में सृजित हो जाएगा, जल संस्थान का, यथास्थिति स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायगा।

(७) उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी उक्त दिनांक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदों की समाप्ति के दिनांक के बीच सम्बद्ध स्थानीय निकाय की सेवा में बना रहा समझा जायगा, किन्तु स्थानीय निकाय उक्त अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को अपने द्वारा दिए गए पारिश्रमिक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिकर का जल संस्थान से प्रतिपूर्ति का भी हकदार होगा।

(८) सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, जैसा कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियन्त्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू है, के पैरा ४२६ या पैरा ४३६ अथवा पदों की छटनी या उनको समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से सम्बन्धित किन्हीं अन्य नियमों की कोई बात, सिवाय की इस धारा में व्यवस्थित सीमा तक, उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होगी।

(९) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ६९-बी, तथा उत्तर प्रदेश, नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ११२-क या उक्त धाराओं के अधीन बनाये गए नियमों में केन्द्रीयित सेवाओं के सम्बन्ध में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीयित सेवा का प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त धाराओं और नियमों में निर्दिष्ट हो, यथास्थिति, ऐसे जल संस्थान या निगम में जिसको कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के किसी आदेश द्वारा तत्समय उसको सेवायें प्रदान की जायें, प्रतिनियुक्ति पर सेवा करने के लिए आबद्ध होगा, और ऐसा कोई कर्मचारी केवल ऐसी प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोई प्रतिनियुक्ति या अन्य भत्ता पाने का हकदार न होगा, तथा तद्धीन रहते हुए वह उन्हीं

निबन्धनों तथा शर्तों पर केन्द्रीयित सेवा का सदस्य बना रहेगा जिस पर कि वह ऐसी प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के पहले था।

अध्याय ५

सम्पत्ति, संविदा, वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा

संविदा आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण

३९—निगम या जल संस्थान की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा।

निगम की निधि

४०—(१) निगम की अपनी निधि होगी जो निगम निधि कहलायेगी और स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त धनराशियों से भिन्न सभी प्राप्त धनराशियां जमा की जायेंगी।

(२) निगम की एक और निधि भी होगी जो ऋण निधि कहलाएगी और वह भी स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी अन्य निधियां गठित कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष संपादन के लिए आवयक हों।

जल संस्थान की निधि

४१—प्रत्येक जल संस्थान की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें जल संस्थान द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

जल निगम के वित्त के लिए सामान्य सिद्धान्त

४२—निगम, यथा व्यवहार्य और धारा ४३ के अधीन राज्य सरकार से किसी अनुदान या वित्तीय सहायता के लिए कोई उधार लेने के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन अपना कार्य-संचालन हानि पर नहीं करेगा।

निगम तथा जल संस्थान का अनुदान तथा वित्तीय सहायता

४३—(१) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल के यथोचित विधीय विनियोजन के पश्चात्, समय-समय पर, निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुदान तथा वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकती है।

(२) राज्य सरकार जल सम्भरण तथा सीवेज व्यवस्था सम्बंधी सेवाओं के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय निकाय या जल संस्थान को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान निगम के माध्यम से ही देगी, अन्यथा नहीं।

जल संस्थान के वित के लिए सामान्य सिद्धान्त

४४—जल संस्थान इस अधिनियम के अधीन अपने कर और प्रभार की दरें समय-समय पर, इस प्रकार निर्धारित तथा समायोजित करेगा जिससे कि वह अपने कार्य संचालन, अनुरक्षण और ऋण सम्बन्धी खर्च को, यथासाध्य, पूरा कर सके और जहां व्यवहार्य हो, अपनी स्थिर आस्तियों पर लाभ प्राप्त कर सके।

निगम को ऋण

४५—राज्य सरकार समय-समय पर निगम को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जिन पर राज्य सरकार और निगम सहमत हों, ऋण दे सकती है।

जल निगम की उधार लेने और पुनः उधार देने की शक्ति

४६—(१) निगम तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, और उपधारा (५) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अपनी स्थापना के दिनांक से एकमात्र ऐसा स्थानीय प्राधिकारी होगा जो जल संभरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए कोई भी धनराशि उधार लेने के लिए प्राधिकृत है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थानीय निकाय जिसकी ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता हो जो जल संस्थान की अधिकारिता में सम्मिलित न हो, राज्य सरकार के अनुमोदन से, जो ऐसा अनुमोदन देने के पूर्व निगम से परामर्श करेगी, ऐसी सेवाओं के लिए कोई भी धनराशि उधार ले सकता है।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, अधीन रहते हुये इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित धनराशि, या तो बन्ध-पत्र या निधि-पत्र जारी करके या अन्य प्रकार से अथवा ऐसे बैंकरों या अन्य निकायों या संस्थाओं से जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, ठहराव करके उधार ले सकता है।

(3) निगम द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया जाने वाला ऋण-पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जाएगा, उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जाएगी तथा उसे ऐसी रीति से मोचित किया जायगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(4) निगम ऐसी उधार ली गई धनराशि का कोई भाग किसी स्थानीय निकाय को जल-संभरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित कृत्यों के संपादन के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें निगम अवधारित करे, अग्रिम दे सकता है।

(5) यदि निगम ने किसी जल संस्थान या किसी स्थानीय निकाय को जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए ऋण देनेके लिये कोई धनराशि उधार ली हो तो निगम ऐसा ऋण उक्त जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे निबन्धनों तथा ब्याज की दरों पर, उतनी धनराशि में तथा प्रतिदान की ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तरित करेगा जिन पर निगम और जल संस्थान या स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में जल-संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं की दक्ष प्रोन्नति, उनके निष्पादन, संचालन तथा अनुरक्षण के लिए करार द्वारा व्यवस्था करे।

४७—निगम तथा प्रत्येक जल संस्थान एक अवक्षयण समिति सृजित करेगा और उसके लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, वार्षिक व्यवस्था करेगा। **अवक्षयण समिति**

४८—राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निगम को दिए गए या अन्तरित किए गये किसी ऋण के प्रतिदान तथा सभी ऋणों पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति कर सकेगी। **प्रत्याभूतिदाता के रूप में सरकार**

४९—(१) जहां कोई जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो किसी करार के अधीन निगम के प्रतिदायी हो, किसी ऋण या अग्रिम अथवा उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में व्यतिक्रम करे या अन्यथा निगम के साथ किये गये करार के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहे तो निगम राज्य सरकार से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए अनुरोध कर सकता है। **निगम द्वारा सीधे प्रबन्ध**

(२) राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन निगम से अनुरोध-पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकती है कि निगम, जल संस्थान या स्थानीय निकाय की, यथास्थिति, जल संभरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं या दोनों का प्रबन्ध ले लेगा, और उसके देयों को ऐसे प्रबन्धतन्त्र के माध्यम से वसूल करेगा, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश की कार्यान्वयन अवधि को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है जिससे कि इस प्रकार बढ़ायी गयी कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।

(३) यदि किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जल संभरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध निगम द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो अथवा कोई देय धनराशियां उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा वसूल कर ली गई हों, तो इस प्रकार प्रबन्ध तथा वसूली के सम्बन्ध में उसके द्वारा उचित रूप से किये गये सभी खर्च, परिव्यय तथा व्यय जल संस्थान या स्थानीय निकाय से वसूल किये जा सकेंगे और ऐसी धनराशि, जो उसने उक्त प्रबन्ध तथा वसूली से प्राप्त की हो, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर उसके द्वारा न्यास में रखी जायगी जिसका उपयोजन प्रथमत : उक्त खर्च, परिव्यय तथा व्यय का भुगतान करने में और द्वितीयत : निगम को देय ऋण चुकाने में किया जायगा और इस प्रकार प्राप्त धनराशि का अवशिष्ट ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को दिया जायगा जो उसे पाने का हकदार हो।

(४) जहां उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश दिया जाय, वहां सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय और, यथास्थिति, जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों में लगे हुये उसके कर्मचारी ऐसे आदेश का तत्काल अनुपालन करेंगे, और निगम के अनुरोध पर जिले का कलेक्टर ऐसी सेवाओं से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति या आस्ति, लेखा-बही, रजिस्टर या

दस्तावेज निगम को दिलाने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्टत: ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

लेखे और लेखा-परीक्षा

५०—(१) निगम और जल संस्थान वर्ष के दौरान अपने कार्य-कलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति, एक विवरण-पत्र तथा/अथवा अनुपूरक विवरण-पत्र तथा उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेंगे तथा उसके दौरान किसी भी समय तैयार कर सकते हैं और उन्हें निगम की दशा में राज्य सरकार को और जल संस्थान की दशा में निगम को ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे दिनांक तक जैसा राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम के पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पूर्वानुमोदन के, ऐसे वित्तीय वर्ष के जिसके सम्बन्ध में उक्त वित्तीय विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त न होने की दशा में, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान सभी लेखों में उतनी धनराशि तक की जो पूर्व वित्तीय वर्ष तत्स्थानी अवधि के लिए अनुमोदित धनराशि से अधिक न हो, व्यय करने का हकदार होगा और ऐसी धनराशि में उक्त अवधि के दौरान अनुदान तथा वित्तीय सहायता में से व्यय की गई कोई धनराशि सम्मिलित न होगी।

(२) निगम तथा जल संस्थान ऐसी उचित लेखा-बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य बहियां रखवायेंगे और पक्का चिट्ठा ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसा विनियमों द्वारा अपेक्षित हो, तैयार करायेंगे।

(३) निगम और जल संस्थान के लेखों की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर की जायगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेखों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने की और अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी शक्ति होगी, जो विहित की जाय।

(४) निगम और जल संस्थान के वे लेखे जो लेखा-परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित हों और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष क्रमश: राज्य सरकार और निगम को भेजे जायेंगे जो उनके सम्बन्ध में, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे, और निगम या जल संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(५) राज्य सरकार —

(क) उपधारा (४) के अधीन उसे प्राप्त निगम के लेखे, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा, प्रतिवेदन, सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ; और

(ख) निगम के लेखे को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी, जो वह उचित समझे।

अधिभार

५१--(१) यथास्थिति, निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी निगम या जल संस्थान की किसी धनराशि या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार के दायी होंगे यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुये उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।

(२) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय।

(३) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप, अन्तर्ग्रस्त पायी जाय, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(४) निगम या जल संस्थान को, उपधारा (३) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट धनराशि को ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को पारिश्रमिक के मद्धे या अन्य प्रकार से निगम या जल संस्थान द्वारा देय किसी धनराशि में से, कटौती करने से निषिद्ध न करेगी।

अध्याय ६

कर, फीस तथा परिव्यय

उद्ग्रहणीय कर

५२--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जल संस्थान अपने क्षेत्र के भीतर स्थित भू-गृहादि पर--

(क) जहां क्षेत्र जल संस्थान की जल सम्भरण सेवा के अन्तर्गत आता हो, जल कर, और

(ख) जहां क्षेत्र जल संस्थान की सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत आता हो, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर,

उद्गृहीत करेगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित कर ऐसी दर पर उद्गृहीत किये जायेंगे, जो भू-गृहादि के निर्धारित वार्षिक मूल्य के, जल कर की दशा में छः प्रतिशत से कम और चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर की दशा में दो प्रतिशत से कम तथा चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार निगम की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करें।

वार्षिक मूल्य का निर्धारण

५३--(१) धारा ५२ के प्रयोजनार्थ, "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य --

(क) रेलवे स्टेशन, शिक्षा संस्था (जिसके अन्तर्गत उनके छात्रावास तथा हाल भी हैं), कारखाना (जैसा कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में परिभाषित है) और वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ में परिभाषित है) की दशा में, भू-गृहादि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत,

(ख) किसी अन्य भू-गृहादि की दशा में, ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर ऐसा भू-गृहादि वास्तव में किराये पर दिया गया हो अथवा यदि भू-गृहादि किराये पर न दिया गया हो तो ऐसे सकल वार्षिक किराए जिस पर भू-गृहादि को युक्तियुक्तत: किराए पर दिए जाने की आशा हो,

से है :

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित भू-गृहादि की दशा में वार्षिक मूल्य इस धारा के अधीन अन्यथा अवधारित वार्षिक मूल्य से पच्चीस प्रतिशत कम समझा जाएगा।

(२) धारा ५२ में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और ऐसा प्राधिकारी या तो स्वयं जल संस्थान या कोई अन्य अभिकरण हो सकता है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(३) यदि निर्धारण जल संस्थान द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाय तो जल संस्थान या ऐसा अन्य अभिकरण विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(४) जब तक किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित न किया जाय, तब तक उस स्थानीय क्षेत्र में समस्त भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जैसा कि वह सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा गृह कर के प्रयोजनार्थ निर्धारित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायगा।

(५) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, तो वह धारा ५४ के अधीन की गई अपील पर उसमें किए गए किसी फेरफार के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी विधि में, जिसमें सम्बन्धित स्थानीय निकाय का गठन हुआ हो, किसी बात के होते हुये भी, उस स्थानीय निकाय द्वारा उद्गृहीत गृह-कर के प्रयोजनों के लिए भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायगा।

कर निर्धारण के विरुद्ध अपील

५४—(१) कोई व्यक्ति जो धारा ५३ की उपधारा (२) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा दिये गए कर-निर्धारण के आदेश से क्षुब्ध हो, विहित प्राधिकारी को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाय तो विहित प्राधिकारी उस आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

(३) विहित प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपीलाधीन आदेश की या तो पुष्टि कर सकता है, या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है।

(४) उपधारा (३) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम और सम्बद्ध पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

करों के उद्ग्रहण पर निर्बन्धन

५५—धारा ५२ में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होगा, अर्थात् :—

(क) वे किसी ऐसी भूमि पर, जो केवल कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाती हो, उद्गृहीत नहीं किए जायेंगे जब तक कि जल संस्थान द्वारा उस भूमि को ऐसे प्रयोजनों के लिए जल संभरित न किया जाय;

(ख) जल-कर किसी ऐसे भू-गृहादि पर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा-

(१) जिसका कोई भाग निकटतम स्थायी नल या अन्य जल कल से, जहां पर जनता को जल संस्थान द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, दो सौ मीटर के अर्द्ध-व्यास के भीतर न हो; या

(२) जिसका वार्षिक मूल्य एक सौ पचास रुपये से अधिक न हो;

(ग) सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर किसी ऐसे भू-गृहादि पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा —

(१) जिसका कोई भाग जल संस्थान के निकटतम सीवर के एक सौ मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर न हो; या

(२) जिसका वार्षिक मूल्य एक सौ पचास रुपये से अधिक न हो।

कर का भुगतान करने का दायित्व

५६—धारा ५२ में उल्लिखित कर —

(क) यथास्थिति, जल संस्थान के जल संभरण या सीवर से सम्बद्ध भू-गृहादि की दशा में, भू-गृहादि के अध्यासी से,

(ख) ऐसे भू-गृहादि की दशा में जो इस प्रकार सम्बद्ध न हो, भू-गृहादि के स्वामी से;

वसूल किया जा सकेगा।

करों का समेकन

५७—धारा ५२ में उल्लिखित दोनों करों के उद्ग्रहण, निर्धारण या संग्रहण के प्रयोजनार्थ, जल संस्थान दोनों करों को समेकित कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

५८—धारा ५२ में उल्लिखित करों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७८, २१४, २१५, २२२, २२३ और २२६ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम की धारा १७३ में वर्णित सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में लागू होते हैं, और उक्त उपबन्धों में महापालिका, और मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानो वे क्रमश: जल संस्थान और उसके ऐसे अधिकारी के जिसे तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रति निर्देश हों।

जल-परिव्यय

५९—(१) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा, अपने द्वारा सम्भरित जल का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार, और प्रत्येक संयोजन के सम्बन्ध में लिया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी, निश्चित करेगा।

(२) जल संस्थान, परिमाण के अनुसार जल परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, उक्त अवधि में जल के प्रत्याशित उपभोग के आधार पर, एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय

६०—(१) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा, उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार (जो उपभोक्ता को सम्भरित कुल जल के परिमाण का उतना प्रतिशत होगा जो विहित किया जाय), और ऐसे निस्तारण के सम्बन्ध में लिया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी निश्चित करेगा।

(२) जल संस्थान, उपधारा (१) में वर्णित आधार के अनुसार उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, उक्त अवधि में उच्छिष्ट जल के प्रत्याशित निस्तारण के आधार पर एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

मीटर का किराया

६१—जल संस्थान मीटर के लिए ऐसा किराया, जैसी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जाय, ले सकता है।

प्रतिभूति

६२—जल संस्थान उपभोक्ता से मीटर का संभरण किये जाने के सम्बन्ध में अथवा सीवर के संयोजित करने के लिये प्रतिभूति स्वरूप ऐसी धनराशि जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, की मांग कर सकता है, परन्तु जल संस्थान इस प्रकार जमा की गई किसी धनराशि पर उतनी दर से जिसे निगम समय-समय पर अवधारित करे, ब्याज देगा।

फीस

६३—जल संस्थान किसी जल संभरण या सीवर के संयोजम, संयोजन को काटने, उसे पुन: संयोजित करने अथवा जांच या पर्यवेक्षण अथवा की गई किसी अन्य सेवा या निष्पादित अथवा पर्यवेक्षित कार्य के लिए ऐसी फीस जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, ले सकता है।

देय करों तथा अन्य धनराशि की वसूली

६४—(१) इस अधिनियम के अधीन जल संस्थान को कर, फीस, जल-परिव्यय, उच्छिष्ट जल निस्तारण-परिव्यय, मीटर का किराया, शास्ति, क्षतिपूर्ति या अधिभार के मद्धे देय कोई धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(२) उपधारा (१) की कोई बात, उपभोक्ता द्वारा उक्त उपधारा में निर्दिष्ट देयों का भुगतान न करने की दशा में, जल संस्थान की उपविधियों के अनुसार जल संभरण संयोजन काटने की जल संस्थान की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी।

अध्याय ७

जल संभरण

घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण की परिभाषा

६५—इस अधिनियम के अधीन घरेलू प्रयोजनों के लिए जल संभरण का तात्पर्य, सिवाय निम्नलिखित के, किसी भी प्रयोजन के लिए संभरण से है, अर्थात् :—

(क) व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय के लिए ;

(ख) उद्यान या सिंचाई के प्रयोजनार्थ ;

(ग) भवन निर्माण के लिए, जिसके अन्तर्गत मार्गों का निर्माण भी है ;

(घ) फव्वारे, तैरने का बड़ा हौद, सार्वजनिक स्नान गृह या टंकियों के लिए या किसी अलंकारिक या यान्त्रिक प्रयोजनों के लिए ;

(ङ) ऐसे पशुओं के लिए, यदि वे बिक्री या किराए पर देने के लिए अथवा उनके उत्पाद की बिक्री के लिये रखे जाते हों ;

(च) किसी जलपान-गृह में या किसी होटल, बोर्डिंग हाउस या नैवासिक क्लब के निवासियों द्वारा उपभोग तथा प्रयोग के लिए ;

(छ) नाट्यशाला तथा सिनेमा में अभिगमन करने वाले व्यक्तियों के उपभोग तथा प्रयोग के लिए ;

(ज) मार्गों पर छिड़काव के लिए ; या

(झ) गाड़ियों को, यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिए रखी जाती हों, धोने के लिए।

जल संस्थान द्वारा जल संभरण

६६—(१) जल संस्थान किसी भू-गृहादि स्वामी या अध्यासी द्वारा तदर्थ आवेदन-पत्र दिए जाने पर निम्नलिखित दशा में घरेलू प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण करने की स्वीकृति देगा —

(क) यदि ऐसा भू-गृहादि वर्तमान प्रनाड से तीस मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो ; या

(ख) यदि प्रार्थी ऐसे भू-गृहादि की दशा में जो तीस मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो, भू-गृहादि को निकटतम वर्तमान प्रनाड से सम्बद्ध करने के लिए तीस मीटर की दूरी से आगे किसी विस्तार के आवश्यक व्यय को वहन करने के लिए तैयार हो।

स्पष्टीकरण—जल संस्थान तीस मीटर से अनधिक, केवल ऐसी दूरी तक के विस्तार का व्यय वहन करेगा जो भू-गृहादि की बाह्य सीमा की निकटतम वर्तमान प्रनाड के सम्बद्ध करने के लिये पर्याप्त हो।

(२) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे जल संभरित किया जाय उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन किसी विस्तार का व्यय वहन करने पर भी, विस्तार में स्वत्व जल संस्थान में निहित होगा।

(३) जल संस्थान तदर्थ आवेदन-पत्र दिए जाने पर घरेलू प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जल संभरण की स्वीकृति दे सकता है।

(४) घरेलू या अन्य प्रयोजनों के लिए जल संभरण ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन होगा जिनकी व्यवस्था उप-विधियों द्वारा की जाय।

(५) उपधारा (४) में निर्दिष्ट- उप-विधियों में किसी बात के होते हुये भी, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य परिनियत निगम अथवा किसी शिक्षा संस्था को जल संस्थान भुगतान और अवधि के सम्बन्ध में ऐसे निबन्धनों पर तथा संभरण सम्बन्धी ऐसी शर्तों पर जल संभरण कर सकता है जिन पर परस्पर सहमति हो।

घरेलू प्रयोजनों के लिए जल संभरण का प्रयोग गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा

६७—कोई व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिनकी व्यवस्था उप-विधियों द्वारा की जाय, घरेलू प्रयोजनों के लिए सम्भरित जल का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए न तो करेगा और न करने देगा।

दमकल नल की व्यवस्था

६८—(१) जल संस्थान किसी कारखाने (जैसा कि वह कारखाना अधिनियम, १९४८ में परिभाषित है) अथवा किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि वह उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ में परिभाषित है) के स्वामी या अध्यासी के अनुरोध और उसके व्यय पर सभी आनुषंगिक कार्यों सहित दमकल नल की व्यवस्था और उसका अनुरक्षण ऐसे कारखाने, दूकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आग लगने की दशा में जल संभरण के लिये करेगा और किसी ऐसी दशा में ऐसे स्वामी या अध्यासी के उपर्युक्त के सम्बन्ध में संभरित जल का परिव्यय वसूल करेगा :

(२) जल संस्थान सभी ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जहां वह आवश्यक समझे, आग लगने की दशा में जल संभरण के लिए सभी आनुषंगिक कार्यों सहित दमकल नल की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण करेगा और उपर्युक्त के सम्बन्ध में जल संभरित करेगा।

जल मीटर की व्यवस्था करने की शक्ति

६९—(१) जल संस्थान जल मीटर की व्यवस्था कर सकता है और उसे भू-गृहादि में जल संस्थान के जल कल से संयोजित सेवा पाइप में लगा सकता है।

(२) मीटर लगाने का व्यय और उसके प्रयोग के लिए देय किराया उपभोक्ता द्वारा दिया जाएगा।

(३) मीटरों की व्यवस्था अथवा उनके संयोजनों का अन्तरण और उनका प्रयोग, अनुरक्षण तथा परीक्षण और उसे लगाने का व्यय तथा उनका किराया और तत्सम्बन्धी किसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, का दिया जाना, तदर्थ बनाई गई उपविधियों द्वारा विनियमित होगा।

७०—(१) जल संस्थान द्वारा लाइसेन्स-प्राप्त नल मिस्त्री (जिसे आगे लाइसेन्स प्राप्त नल मिस्त्री कहा गया है) से भिन्न कोई व्यक्ति जल संयोजन के सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्माण कार्य जो मामूली कार्य न हो, नहीं करेगा, और कोई व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा निर्माण-कार्य करने की अनुज्ञा न देगा। लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री

(२) जब उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई निर्माण-कार्य किया जाय तो ऐसा निर्माण-कार्य जल संस्थान की स्वेच्छा से विघटित कर दिया जा सकेगा।

७१—(१) ऐसे भू-गृहादि का जिसे जल संस्थान द्वारा जल सम्भरित किया जाय, स्वामी या अध्यासी जल का न तो अपव्यय होने देगा और न अपव्यय करेगा, और न ही उससे सम्बद्ध किसी सेवा पाइप या किसी टोंटी अथवा अन्य फिटिंग या कार्य को बिना मरम्मत के रहने देगा या रखेगा जिससे कि जल का अपव्यय हो। जल के अपव्यय पर प्रतिषेध

(२) जब कभी जल संस्थान को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी सेवा पाइप या टोंटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य में किसी दोष के परिणामस्वरूप जल का अपव्यय हो रहा है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा उपभोक्ता से ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, उसकी मरम्मत कराने और दोष दूर कराने की अपेक्षा कर सकता है।

(३) यदि निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी मरम्मत न कराई जाय तो जल संस्थान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मरम्मत करा सकता है, और ऐसी मरम्मत का परिव्यय उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा।

७२—(१)—जल संस्थान किसी भू-गृहादि के जल संभरण को काट सकता है— जल संभरण काट देने की शक्ति

(क) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर, फीस, किराया, जल परिव्यय या किसी परिव्यय या अन्य धनराशि का भुगतान उपर्युक्त के सम्बन्ध में बिल दिये जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न किया जाय; अथवा

(ख) यदि जल संस्थान से ऐसा लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् जिसके द्वारा उससे ऐसा करने से विरत रहने की अपेक्षा की गई हो, उपभोक्ता इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियमों या उप-विधि के उपबन्धों का उल्लंघन करके जल का प्रयोग करना जारी रखता है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दिये रहता है; अथवा

(ग) यदि उपभोक्ता जल मीटर या किसी संयोजक पाइप अथवा जोड़ चूड़ी को क्षति पहुंचाता है या ऐसी क्षति पहुंचने देता है; अथवा

(घ) यदि उपभोक्ता जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक को ऐसे भू-गृहादि में प्रवेश नहीं करने देता

है जहां जल सम्भरण के सम्बन्ध में वह कोई निर्माण-कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा कोई परीक्षा या जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना चाहता हो, अथवा किसी ऐसे अधिकारी या सेवक को कोई निर्माण-कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा ऐसी परीक्षा या जांच करने से रोकता है ; अथवा

(ङ) यदि जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा परीक्षा करने पर यह पाया जाय कि सेवा पाइप या कोई टोंटी अथवा उसमें सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य मरम्मत न किए जाने से इतना खराब है जिससे जल का अपव्यय या उसका अपदूषण होता है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक है ; अथवा

(च) यदि उपभोक्ता इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों या उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी सेवा पाइप या किसी टोंटी या उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य को स्थापित कराये, उसे हटाये, उसकी मरम्मत कराये या अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करे अथवा ऐसा करने की अनुज्ञा दे ; अथवा

(छ) यदि सेवा पाइप या टोंटी अथवा अन्य फिटिंग या निर्माण-कार्य में स्राव होने के कारण सार्वजनिक मार्ग की क्षति पहुंचती है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्क हो।

(२) इस धारा के अधीन या इसके अनुसरण में की गई किसी कार्यवाही से कोई व्यक्ति किसी ऐसी शास्ति या दायित्व से अवमुक्त न होगा जिसे उसने अन्यथा उपगत किया हो।

(३) जल संस्थान उपधारा (१) के अधीन काटे गये जल संभरण को ऐसे परिव्ययों का भुगतान करने और ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, फिर से जोड़ सकता है।

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

७३--(१) कोई व्यक्ति--

(क) निगम या किसी जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किस व्यक्ति को जानबूझ कर न तो किसी निर्माण-कार्य के लिये निशानबन्दी करने से रोकेगा और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा ; अथवा

(ख) जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक निगम या किसी जल संस्थान के किसी ताले, टोंटी, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या साधित्र को न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा, न मोड़ेगा,

न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न हो अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करेगा ; अथवा

(ग) निगम या किसी जल संस्थान के किसी जल कल से प्रवाहित जल या ऐसा जल संभरित करनेवाले जलमार्ग के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे जल बहायेगा, न निकालेगा न उसे मोड़ेगा और न ही उससे जल लेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या किसी जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्त्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तद्धीन किसी जल कल के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधन देने से इन्कार करेगा और न उसे प्रस्तुत करने में जानबूझ कर उपेक्षा करेगा ; अथवा

(ङ) किसी जल कल के भीतर, उस पर, या उसके ऊपर न तो नहायेगा, न धुलाई करेगा, न उसमें किसी पशु को फेंकेगा और न उसमें किसी पशु को प्रवेश करायेगा अथवा किसी जल कल में न तो कोई कचरा, धूल या गलीज फेंकेगा, और न उसमें कोई कपड़ा, ऊन या चमड़ा या किसी पशु की खाल की धुलाई या सफाई करेगा अथवा किसी हौदी या नाली या किसी वाष्प इंजन या ब्वायलर का पानी अथवा किसी अन्य दूषित जल को किसी जल कल की ओर न तो ले जाने देगा और न उसमें मिलाने देगा और न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जिससे किसी भी जल कल का पानी दूषित हो जाय अथवा उसके दूषित होने की संभावना हो।

(२) उपधारा (१) के खंड (ख) की कोई बात किसी ऐसे उपभोक्ता के सम्बन्ध में जो अपने भू–गृहादि को जल सम्भरित करने वाले सेवा पाईप पर लगाई गई रोक टोंटी को बन्द करता हो, तब लागू न होगी यदि उसने किसी ऐसे उपभोक्ता की, जिसके जल संभरण पर टोंटी बन्द करने का प्रभाव पड़ता हो, सहमति प्राप्त कर ली हो।

अध्याय ८

सीवर व्यवस्था

सीवर से संयोजित करने का स्वामी या अध्यासी का अधिकार

७४––किसी भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी, भू–गृहादि के सीवेज को जल संस्थान के सीवर में गिराने का हकदार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा करने के पूर्व, वह––

(क) जल संस्थान की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले और उपविधियों के अनुसार संयोजन फीस का भुगतान कर दे ; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तों का जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, अनुपालन करे।

स्वामी से सीवर संयोजन लेने की अपेक्षा करने की शक्ति

७५---यदि जल संस्थान की राय में किसी भू-गृहादि में सीवेज के प्रभावकारी निस्तारण के लिये पर्याप्त साधन नहीं है और जल संस्थान का सीवर भू-गृहादि के किसी भाग से पचास मीटर की दूरी पर स्थित है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा, उक्त भू-गृहादि के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार सीवर संयोजन करा लें।

सीवर से संयोजित करने का प्रतिषेध

७६---कोई व्यक्ति, जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना, जल संस्थान के किसी सीवर से कोई संयोजन या संचार न तो करेगा और न करायेगा।

सीवर के ऊपर भवन निर्माण करने का प्रतिषेध

७७---(१) कोई व्यक्ति जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना जल संस्थान के किसी सीवर के ऊपर कोई असार्वजनिक मार्ग, भवन या अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

(२) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३२७ और ३३३ के उपबन्ध, उपधारा (१) के उल्लंघन में किसी निर्माण के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देश के लिये जल संस्थान के ऐसे अधिकारी के, जिसे वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट करे, प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हों।

सीवर या मल कूप के संवातन के लिये नाल (शाफ्ट) आदि लगाने की शक्ति

७८---जल संस्थान किसी सीवर या मल कूप के लिये, चाहे वह जल संस्थान में निहित हो या नहीं, संवातन के प्रयोजनार्थ, कोई नाल या पाइप, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, किसी भू-गृहादि पर खड़ा कर सकता है अथवा किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकता है।

दोषयुक्त प्रतीत होने वाले सीवर आदि की परीक्षा तथा जांच करने की शक्ति

७९---(१) यदि जल संस्थान को यह प्रतीत हो कि यह विश्वास करने का युक्ति-युक्त आधार है कि कोई असार्वजनिक सीवर या मलकूप ऐसी दशा में है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या जो अपदूषण है अथवा जल संस्थान के सीवर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचार करने वाला कोई असार्वजिनक सीवर इतना दोषपूर्ण है जिससे कि उसमें अवभूमि-जल या कंकड़ या अन्य पदार्थ आते हों तो वह उसकी दशा के बारे में परीक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी जांच कर सकता है, जो दबावयुक्त जल द्वारा की जाने वाली जांच न हो, और यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो भूमि खोद सकता है।

(२) (क) यदि परीक्षा करनेपर सीवर या मलकूप उचित स्थिति में पाया जाय तो जल संस्थान, यथाशक्य शीघ्र, भूमि को, जो उसके द्वारा खोदी गई हो, पूर्व स्थिति में लायेगा और अपने द्वारा हुई क्षति के लिये प्रतिकर का अवधारण और उसका भुगतान करेगा।

(ख) यदि इसके विपरीत, इस प्रकार परीक्षित सीवर या मलकूप दोषपूर्ण पाया जाय तो, जल संस्थान शीघ्र ही उसका काम करना रोक सकता है या उसे जल संस्थान के सीवर से विसंयोजित कर सकता है या स्वामी

अथवा अध्यासी से ऐसी प्रतिकारी कार्यवाही, जैसी कि जल संस्थान द्वारा निदेशित की जाय ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, करने की अपेक्षा कर सकता है और किसी ऐसी दशा में जल संस्थान अपने द्वारा किया गया व्यय, यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी से वसूल कर सकता है ।

(३) यदि इस प्रकार अवधारित धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जल संस्थान विवाद को निगम को निर्दिष्ट करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

८०—कोई व्यक्ति—

(क) इस अध्याय के अधीन जल निगम या जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझकर न तो किसी निर्माण-कार्य के लिये निशानबन्दी करने से रोकेगा और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा; अथवा

(ख) जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी ताले, वाल्व, पाइप, या अन्य कार्य या साधित्र को, जो निगम या जल संस्थान के हों तथा इस अध्याय के अधीन उसके कृत्यों से सम्बद्ध हों, न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(ग) निगम या जल संस्थान के किसी ऐसे सीवेज सम्बन्धी कार्य के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे पानी बहायेगा, न अन्यत्र ले जायेगा, न उसे मोड़ेगा और न ही उससे कोई गन्दगी निकालेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्त्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तदधीन किसी सीवेज सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधनों को प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा और न जान बूझकर उपेक्षा करेगा ।

प्रवेश, सर्वेक्षण आदि करने की शक्ति

८१—(१) निगम या जल संस्थान का उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना, किसी भू-गृहादि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है :—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने ;

(ग) अवभूमि खोदने या बेधने ;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण–कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने ;

(ङ) चिन्ह बनाकर या खाइयां काटकर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्हांकित करने; अथवा

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम या उपविधियों के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि––

(१) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भवन में इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायगा ;

(२) किसी निवास गृह या स्थान में उसके अध्यासी व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की कम से कम चौबीस घंटे की सूचना दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायगा ;

(३) निवास गृह के किसी भी भाग में रहने वाली महिलाओं को वहां से हटने के लिये समुचित अवसर तथा सुविधा दी जायगी ; और

(४) जिस भू–गृहादि में प्रवेश किया जाय, उसके अध्यासी व्यक्तियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहां तक संभव हो, यथोचित ध्यान रखा जायगा ।

(२) जब कभी निगम या जल संस्थान का उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त उपधारा के अनुसरण में किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करे तो वह इस प्रकार प्रवेश करने के समय उपर्युक्त किसी कार्य से होने वाली क्षति के लिये, यदि कोई हो, भुगतान करेगा या भुगतान निविदित करेगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में विवाद हो, तो ऐसा विवाद निगम की दशा में, निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसी भू–गृहादि में या उस पर प्रवेश करने का हकदार हो तो वह उसी प्रकार किसी संलग्न भू–गृहादि में या उस पर भी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी कार्य के लिये या वहां कोई मिट्टी, प्रस्तर विशेष या अन्य पदार्थ इकट्ठा करने अथवा ऐसे कार्य पर पहुंचने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जो उसके निष्पादन से सम्बद्ध हो, प्रवेश कर सकता है ।

(४) किसी अधिकारी के लिये जो किसी स्थान में प्रवेश करने के सम्बन्ध में निगम या जल संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो, कोई दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध खोलना या खुलवाना वैध होगा, यदि––

(क) वह समझता हो कि इस प्रकार प्रवेश करने के लिये उसका खोला जाना आवश्यक है ; तथा

(ख) स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो या उपस्थित होते हुए भी ऐसा दरवाजा या फाटक खोलने या ऐसा अवरोध हटाने से इन्कार करता हो ।

(५) इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हुये, यथासंभव, न्यूनतम क्षति पहुंचायेगा और ऐसी क्षति के लिये प्रतिकर, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को या दोनों को देय होगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उक्त विवाद निगम की दशा में निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा ।

टंकी, पोखरों तथा कुओं को विसंक्रमित करने की शक्ति

८२—(१) निगम या जल संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी टंकी, पोखरे या कुवें की सफाई या विसंक्रमण, उसके स्वामी या अध्यासी को, यदि कोई हो, नोटिस देने के पश्चात् उस समय करा सकता है जब उसे यह प्रतीत हो कि ऐसी सफाई या विसंक्रमण किसी भी भयानक रोग को फैलाने से बचायेगा या रोकेगा ।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट सफाई या विसंक्रमण कराने का व्यय उक्त टंकी, पोखरे या कुयें के स्वामी या अध्यासी से वसूल किया जा सकेगा।

अध्याय ९

शास्ति तथा प्रक्रिया

अपराधों का संज्ञान

८३—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि अपराध किये जाने के पश्चात् अगले छः महीने के भीतर, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उसका परिवाद न किया जाय ।

सामान्य शास्ति

८४—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस, आदेश या अधियाचना का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और अग्रेतर जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहे पचास रुपये तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

८५—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार व अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना

उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उससे ऐसा अपराध किए जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक उपाय किए ।

(२) उपधारा (१) में दी गई किसी बात के होते हुये भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की उपेक्षा पर आरोप्य है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

अपना नाम तथा पता न बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति

८६—(१) यदि कोई व्यक्ति जिसने निगम या जल संस्थान के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया हो अथवा जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध करने का दोष लगाया गया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को कोई ऐसा अपराध करने का युक्ति-युक्त सन्देह हो, ऐसे अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या न बताये अथवा ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है तो ऐसा अधिकारी उसका नाम या पता अथवा दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसे बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ४२ की उपधारा (२) और (३) और धारा ४३, ४८, ५६, ५७, ५८ और ५९ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उसकी धारा ४२ की उपधारा (१) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

अपराधों का शमन

८७—(१) यथास्थिति, प्रबन्ध निदेशक, या महाप्रबन्धक अथवा निगम या किसी जल संस्थान द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है ।

(२) जहां किसी अपराध का शमन किया जा चुका हो, तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और इस प्रकार शमनित अपराधी के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के कर्त्तव्य

८८—ऐसे सभी पुलिस अधिकारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का जिनके स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया जाय या करने का प्रयास किया जाये, यह कर्त्तव्य होगा कि वे जल संस्थान को या जल संस्थान के तदर्थ प्राधिकृत अधिकारियों को, यथास्थिति, ऐसे अपराध के किये जाने की या ऐसा अपराध करने का प्रयास किये जाने की तुरन्त सूचना दें और ऐसे सभी अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता दें।

अध्याय १०

बाह्य नियंत्रण

नीति विषयक प्रश्नों पर निगम को निदेश

८९—(१) अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में निगम नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ प्रदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें।

(२) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

निगम द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य सूचना

९०—(१) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे दिनांक के वर्ष और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायेगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की संभावना हो, और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(२) निगम, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और निगम के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा निगम के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्योरे, जिसकी राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

नीति विषयक प्रश्नों पर जल संस्थान को निदेश

९१—(१) अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में जल संस्थान नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ-प्रदर्शित होगा जो उसे निगम द्वारा दिये जायें।

(२) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में निगम उपधारा (१) के अधीन निदेश दे सकता है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

जल संस्थान की रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य सूचना

९२—(१) जल संस्थान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा निगम निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायगा, तैयार करेगा और उसे निगम को प्रस्तुत करेगा, और रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हों, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में जल संस्थान द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो।

(२) जल संस्थान, निगम को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा निगम निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और जल संस्थान के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा जल संस्थान के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्योरे, जिसकी निगम समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय ११

प्रकीर्ण

सहायता देने का स्थानीय निकायों का कर्त्तव्य

९३—(१) सभी स्थानीय निकाय, निगम या किसी जल संस्थान को ऐसी मदद और ऐसी सहायता देंगे तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिये (और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने के लिये) ऐसे अभिलेख, मानचित्र, नक्शे और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करेंगे जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिये अपेक्षित हों।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक स्थानीय निकाय मांग किये जाने पर भू-गृहादि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण और कर, फीस तथा परिव्यय उद्गृहीत करने के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची तथा अन्य संगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके उद्धरण मूल्य पर उपलब्ध करायेगी।

(३) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसा निदेश दे सकती है जो उसकी राय में निगम या किसी जल संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक या समीचीन हो और तदुपरान्त उस स्थानीय निकाय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सामान्य शक्ति

९४—किसी ऐसे मामले में जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, निगम या जल संस्थान किसी ऐसे व्यक्ति को युक्ति-युक्त प्रतिकर का भुगतान कर सकता है, जिसे निगम या जल संस्थान में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निहित किसी शक्ति का प्रयोग करने के कारण क्षति पहुंची हो।

९५—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, निगम या जल संस्थान अथवा निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष या अन्य सदस्य, या राज्य सरकार या निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये न ीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपविधि के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित अथवा आशयित हो। सद्भावना किये गये कार्य से का संरक्षण

अध्याय १२

नियम, विनियम तथा उपविधियां

९६—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(२) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

(क) धारा ५० की उपधारा (३) के अधीन लेखा परीक्षक की शक्तियां ;

(ख) धारा ५१ के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था, यदि कोई हो, भी है ;

(ग) प्रक्रिया जिसका धारा ५३ की उपधारा (३) के अधीन वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिये जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा अनुसरण किया जायगा, जिसके अन्तर्गत कर निर्धारण सूचियों का अधिप्रमाणीकरण तथा उनकी अभिरक्षा, ऐसी सूचियों का पुनरीक्षण और कालावधि, ऐसी सूचियों का संशोधन और परिवर्तन, और कर-निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद की दशा में अपील भी है ;

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जा सके ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु स प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

विनियम

९७—(१) निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम या जल संस्थान के कार्य-कलापों के प्रशासन के लिये ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों से असंगत न हों।

(२) विशेषतः, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) निगम या जल संस्थान की बैठकें बुलाना और करना, समय और स्थान जहां पर ऐसी बैठकें की जायं, ऐसी बैठकों में कार्य-संचालन और बैठकों में गणपूर्ति के लिये व्यक्तियों की आवश्यक संख्या ;

(ख) निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों की शक्ति और कर्त्तव्य ;

(ग) संविदा पर सेवायोजित कर्मचारियों से भिन्न निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(घ) निगम या जल संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध ;

(ङ) निगम या जल संस्थान की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्रों का निष्पादन ;

(च) वह सीमा जिस तक प्रबन्ध निदेशक या महा प्रबन्धक किसी वित्तीय वर्ष में आवर्तक या अनावर्तक व्यय, धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विवरण-पत्र में, सम्मिलित किये गये बिना, कर सकेंगे ;

(छ) निगम या जल संस्थान द्वारा लेखों का रखा जाना और पक्का चिट्ठा तैयार किया जाना ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन निगम या जल संस्थान के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्रक्रिया ;

(झ) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

(३) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन निगम या जल संस्थान द्वारा कोई विनियम न बनाये जायं, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्हीं विनियमों में निगम या जल संस्थान उपधारा (१) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकता है या उन्हें विखंडित कर सकता है।

उप विधियां

९८—निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, सर्वसाधारण को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत उपविधियां बना सकता है, और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) घरेलू तथा अन्य प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण के निबन्धन एवं शर्तें;

(ख) मीटरों का लगाया जाना और उनके संयोजन को अन्तरित करना, और उनका प्रयोग, अनुरक्षण, जांच करना, संयोजन काटना और उसका पुनः संयोजन, उसके सम्बन्ध में फीस, किराया तथा अन्य परिव्यय जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा प्रतिभूति देना भी है और उससे सम्बद्ध विषय;

(ग) निगम या जल संस्थान के सीवर से संयोजन के लिये दी जाने वाली फीस और ऐसे संयोजन के लिये अन्य निबन्धन एवं शर्तें ;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिये उपविधियों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके;

अध्याय १३

संक्रमणकालीन उपबन्ध तथा निरसन

संक्रमणकालीन उपबन्ध

९९—सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए धारा १८ के अधीन कोई जल संस्थान गठित किया गया हो, ऐसे गठन के दिनांक के पूर्व जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है, आरोपित जल कर अथवा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, तथा उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसे कर अथवा जल सम्भरण अथवा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना, नोटिस, आदेश, निदेश, नियम, उपविधि अथवा प्रपत्र, जिसके अन्तर्गत कोई कर-निर्धारण अथवा छूट या संयोजन, संयोजन काटने या पुनः संयोजन का आदेश जो किया गया हो या स्वीकृत हो अथवा किसी भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी पर आरोपित शास्ति अथवा किसी नल मिस्त्री को जारी किया गया कोई लाइसेन्स, अथवा तत्सम्बन्धी कोई आदेश भी है, जो स्थानीय क्षेत्र की अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय पर प्रयोज्य विधि के उपबन्धों के अधीन हो तथा उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध जल संस्थान ऐसे कर के आरोपण अथवा निर्धारण के निमित्त अथवा ऐसे लाइसेन्स स्वीकृत करने अथवा संयोजन दिये जाने के निमित्त

अथवा ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के निमित्त कोई अन्य व्यवस्था न करें अथवा आदेश न दें अथवा अन्य कार्यवाही या कार्य न करें, तथा ऐसी अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, उपविधि अथवा लाइसेन्स के विषय में सम्बन्धित स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानो वह सम्बद्ध जल संस्थान के प्रति निर्देश है, तथा विशेषतः ऐसे कर एवं फीस की आय सम्बन्धित स्थानीय निकाय की निधि मे जाने के बजाय सम्बद्ध जल संस्थान की निधि में रखी जायेगी।

निरसन तथा संशोधन

१००—धारा ९९ में की गई व्यवस्था के सिवाय, उस दिनांक को और जब से कोई जल संस्थान गठित किया जाय, जिसमें—

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में यथापरिभाषित नगर हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त अधिनियम की धारायें ११४ और ११५ और अध्याय १०, ११, १९, २३ और २५;

यू० पी० ऐक्ट, संख्या २, १९१६

(ख) यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में यथापरिभाषित कोई म्युनिसिपैलिटी हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त ऐक्ट की धारायें ७ और ८ और अध्याय ५, ७ और ९;

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २, १९१४

(ग) संयुक्त प्रान्त टाउन एरियाज अधिनियम, १९१४ में यथापरिभाषित कोई टाउन एरिया हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त अधिनियम की धारायें ३, १४, और २५ और अध्याय ५ और ६;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(घ) यूनाइटेड प्राविंसेज, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में यथापरिभाषित कोई नोटीफाइड एरिया हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त नोटीफाइड एरिया के सम्बन्ध में यथापरिष्कृत तथा प्रसारित खण्ड (ख) में निर्दिष्ट उक्त ऐक्ट के उपबन्ध;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१

(ङ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में यथापरिभाषित, यथास्थिति ,कोई खण्ड या किसी जिले का ग्रामीण क्षेत्र हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त अधिनियम के अध्याय ३, ७, ९ और १४;

(च) यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में यथापरिभाषित गांव सभा की अधिकारिता के अन्तर्गत कोई क्षेत्र हो, उसके सम्बन्ध में,—उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ और ५ के उपबन्ध;

उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम द्वारा जल संस्थान को अभ्यर्पित शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य जिसके अन्तर्गत उक्त कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोजनार्थ किसी सम्पत्ति को कब्जे में रखने की शक्ति भी है, यथास्थिति, महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी, क्षेत्र समिति, जिला परिषद् या गांव सभा की शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों के बाहर थे।

जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निधि

१०१—(१) धारा १०० में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक स्थानीय निकाय की जहां जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाएं या दोनों ही हों, एक पृथक निधि होगी जिसे "जल सम्भरण तथा सीवर—व्यवस्था सम्बन्धी निधि" कहा जायगा, जो स्थानीय निधि समझी जायेगी तथा जिसमें ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा ऐसी सेवाओं की प्रोन्नति, संचालन, अनुरक्षण तथा उनके प्रबन्ध के लिये प्राप्त सभी धनराशियों को तथा ऐसे समस्त राजस्व को भी जो उपर्युक्त सेवायें किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हों, जमा किया जायगा।

(२) उपर्युक्त निधि में जमा की गयी धनराशि का उपभोग अनन्य रूप से जल सम्भरण अथवा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजनों के लिये अथवा दोनों के लिये ही किया जायगा।

कठिनाइयों को दूर करना

१०२—(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, विशेषतः धारा १०० में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों में इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में, आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम अथवा उक्त अधिनियमितियां उस अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हो सकते हैं, तथा जिनसे मूलार्थ पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के उपरान्त न दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

नागर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जनता के स्वास्थ्य के लिए पीने के पानी का सम्भरण और सीवेज का समुचित निस्तारण बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण जनता के नागर क्षेत्रों की ओर क्रमिक निवेशन के परिणामस्वरूप नागरक्षेत्रों की स्थिति बहुत विकट हो गई है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार नागर तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती रही है। किन्तु वर्तमान स्थानीय निकाय जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था की सुविधाओं का अपेक्षित सीमा तक न तो प्रसार और न ही उसका विस्तार कर सके हैं।

२---राज्य में जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था सेवाओं के विकास तथा विनियमन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक और राज्य सरकार के बीच काफी समय से विचार-विमर्श भी चल रहा है। इन परिस्थितियों में तथा राज्य में जल वितरण एवं सीवर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर एक निगमित निकाय की स्थापना तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में जल संस्थाओं की स्थापना की जाय।

३---तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

जगदीश शरण अग्रवाल,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

पी०एस०यू०पी०---एल० १०८ वि० सभा (५२३)---१९७६---८४०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा